



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway
मंडल कार्यालय, Divisional Office,
कार्मिक विभाग, Personnel Department,
किंग्सवे, नागपुर, Kingsway, Nagpur-440001

No. P/NGP/RUL/2018/4

Date: 13.05.2025

Office Memorandum

Sub: Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 – regarding.

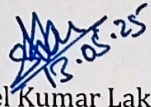
Ref: RBE No. 22/2025 & 25/2025, RBA No. 10/25 (SECR Estt. Rule No. 39/2025, 45/2025 & 46/2025).

Ministry of Finance (Department of Financial Services) vide Gazette Notification No. FX-1/3/2024-PR dated 24.01.2025 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) vide Gazette Notification No. PFRDA-12/01/0001/2023-LEGAL dated 19.03.2025 with regards to the above subject for compliance and guidance. These instructions circulated under RBE No. 22/2025 & 25/2025, RBA No. 10/25 (SECR Estt. Rule No. 39/2025, 45/2025 & 46/2025) for implementation.

Railway servants, who are eligible and covered under NPS, and who are willing to exercise the option for the Unified Pension Scheme (UPS) introduced by the Central Government as an option under the National Pension System (NPS) for the employees of the Central Government, are hereby requested to submit their duly filled form in prescribed format (i.e. A1, A2, B2 and B6) in *two copies* to the office of the Sr.DPO/Nagpur's on or before 30.06.2025.

Instructions and Formats are available on the official website of SECR (secr.indianrailways.gov.in followed by path > Dept./Div of SECR > Head Quarter > Personnel > Rules and Publications).

Encl.: As Above.


(Susheel Kumar Lakra)
Assistant Personnel Officer-II
for Sr. DPO/SECR/ Nagpur

Copt to:

1. Ch. OS (G) for kind information of DRM, ADRM.
2. All Branch Officers for kind information.
3. Ch. S&WI. It is advised to contact the employees in their jurisdiction and get their option wherever required.
4. DC/SECRM/NGP, DS/AISCSTREA/NGP, DS/SECR/BCEA/NGP are requested to give publicity.
5. All concerned of S.E.C. Railway, Nagpur Division.



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway
मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)
HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR,
GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/04

दिनांक: 01.04.2025

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं. - 45/2025

विषय: - Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025- reg.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. F(E)III/2025/UPS/1 दिनांक 28.03.2025, RBE No. 25/2025 की प्रति, सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। इस विषय से संबंधित रेलवे बोर्ड के पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था: -

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	F(E) III/2025/UPS/1, Dt. 18.03.2025, RBE No. 22/2025	39/2025

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site- Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder- Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


(वैभव चौहान)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(रुलिंग)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. एफ(ई)III/2025/यूपीएस/1

नई दिल्ली, दिनांक: २४.03.2025.

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

विषय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 18.03.2025 का समसंख्यक पत्र।

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिनांक 24 जनवरी, 2025 की राजपत्रित अधिसूचना सं.एफएक्स-1/3/2024-पीआर के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है। उक्त अधिसूचना को उपरोक्त संदर्भ पत्र के तहत रेलों में परिपत्रित किया गया था।

2. अब, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिनांक 19.03.2025 की राजपत्रित अधिसूचना सं.पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-लीगल के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 जारी किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, के लिए विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना का संचालन किया जा सके। इस अधिसूचना की एक प्रति सूचना और अनुपालन हेतु संलग्न है।

3. उक्त अधिसूचना में उल्लिखित मूल नियम 56(j) और केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, क्रमशः, भारतीय रेल स्थापना संहिता (आईआरईसी) जिल्द II (1987- संस्करण) के अध्याय 18 के नियम 1802 (क) और रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अनुरूप हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन) विनियम, 2025 के नियम 2(g) में उल्लिखित "कार्यालय का प्रधान" की परिभाषा को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

““कार्यालय का प्रधान” का अर्थ ऐसे राजपत्रित अधिकारी से है जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा कार्यालय कार्यालय का प्रधान के रूप में घोषित किया गया है और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी इसी प्रकार से विनिर्दिष्ट करे।”

4. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त।

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)
निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

No. F(E)III/2025/UPS/1

New Delhi, dated:28 .03.2025.

**The General Managers/Principal Financial Advisors,
All Zonal Railways/Production Units etc,
DGs of RDSO and NAIR.**

Sub: Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 - regarding.

Ref: Board's letter of even number dated:18.03.2025.

Ministry of Finance (Department of Financial Services) vide Gazette Notification No. FX-1/3/2024-PR dated 24th January, 2025 had introduced Unified Pension Scheme (UPS) as an option under the National Pension System (NPS) for the employees of the Central Government who are covered under National Pension System. The said notification was circulated on Railways vide letter under reference above.

2. Now, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) vide Gazette Notification No. PFRDA- 12/01/0001/2023-LEGAL dated 19.03.2025 has issued the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 to operationalise the UPS introduced by the Central Government as an option under the NPS for the employees of the Central Government who are covered under NPS. A copy of this notification is enclosed for information and compliance.

3. The Fundamental Rule 56(j) and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 mentioned in ibid notification correspond to Rule 1802(a) of Chapter 18, IREC Vol.II (1987-edition) and Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 respectively. The definition of "Head of Office" mentioned in regulation 2(g) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 may be read as under:

" "Head of Office" means a gazetted officer whom the appointing authority may, by order declare as Head of Office and includes such other authority or person whom the appointing authority may specify in the like manner."

4. Please acknowledge receipt.


**(G. Priya Sudarsani),
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.**

D.A.: As above

No. F(E)III/2025/UPS/1

New Delhi, Dated: 28.03.2025.

Copy to:-

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.

G. Riga Sudasani
For Member Finance, Railway Board

No. F(E)III/2025/UPS/1

New Delhi, Dated: 28.03.2025.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

Dyni 28.03.2025
For Principal Executive Director (IR), Railway Board.

No. F(E)III/2025/UPS/1

New Delhi, Dated: 28.03.2025.

Copy to:-

1. Adv. to MR, EDPG to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, PS to MoSR(D), EDPG to MoSR(D), PS to MoSR(J), EDPG to MoSR(J), DPG to MoSR(J).
2. PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/TRS, Secretary/RB.
3. DG/HR, DG/Safety, DG(RHS), DG(RPF).
4. All Addl. Members, PEDs, All EDs, JSs.
5. Pay & Accounts Officer, M/o Railways (Railway Board)

No. F(E)III/2025/UPS/1

New Delhi, Dated: 28.03.2025.

Copy to:-

1. The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad
2. Principal CAO, PLW, Patiala.
3. The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL, Railtel and MDs, CRIS, IRWO.
4. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, New Delhi.
5. The Registrar, RCT/Delhi.
6. Chairmen of all RRBs
7. The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow.

(Reference- Pension Fund Regulatory and Development Authority gazette Notification No. PFRDA-12/01 /0001/2023-Legal dated 19.03.2025.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261726
CG-DL-E-20032025-261726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]
No. 183]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025

फा. सं. पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-विधि.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) तथा उसकी उपधारा (2) के खंड (च) और (व) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, ताकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को संचालित किया जा सके, नामतः -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025" कहा जाएगा।
- (2) इन विनियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए संरचना निर्धारित करना और इस योजना के कार्यान्वयन और इसके साथ जुड़े या आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित मध्यवर्तियों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के दायित्वों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना है ।
- (3) ये विनियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ.** - (1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भित न हो-
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23);
 - (ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण;
 - (ग) "स्वीकार्य भुगतान" का अर्थ है वह राशि है जो एक यूपीएस अभिदाता को आजीवन देय होगी, जैसा कि इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट अनुपात और रीति में निर्धारित किया गया है;
 - (घ) "बैंचमार्क कॉर्पस" का अर्थ है वह कोष, जिसे विनियम 12 के तहत निर्दिष्ट किया गया है;
 - (ङ) "डिफॉल्ट पैटर्न" का अर्थ है पेंशन निधि(यों) और निवेश पैटर्न का वह विकल्प, जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यूपीएस के तहत व्यक्तिगत कॉर्पस के संबंध में निर्धारित किया जाता है;
 - (च) "पारिवारिक भुगतान" वह मासिक राशि है, जो किसी दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को देय होती है;
 - (छ) "कार्यालय प्रमुख" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 2024 के अंतर्गत परिभाषित एक राजपत्रित अधिकारी, और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, कार्यालय प्रमुख के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है;
 - (ज) "व्यक्तिगत कॉर्पस" का अर्थ है किसी अभिदाता के व्यक्तिगत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में देय इकाइयों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य;
 - (झ) " कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी " का अर्थ है यूपीएस अभिदाता का पति या पत्नी जिसका नाम अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम 56 (अ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), जैसा कि लागू हो, की तिथि पर सेवा रिकॉर्ड में उपलब्ध हो, और जो यूपीएस अभिदाता के पश्चात् जीवित हो;
 - (ञ) "पूल कॉर्पस" का अर्थ है वह कोष, जिसे विनियम 7 के तहत निर्दिष्ट किया गया है;
 - (ट) "अर्हक सेवा" का अर्थ है, यूपीएस अभिदाता की सेवा-अवधि जिसकी गणना विनियम 13 के तहत निर्दिष्ट रीति में की गयी हो;
 - (ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ;

- (ड) "एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)" का अर्थ है, वह विकल्प जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध है;
- (ढ) "यूपीएस अधिसूचना" का अर्थ है वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24 जनवरी, 2025;
- (ण) "यूपीएस भुगतान आदेश" का अर्थ वह प्राधिकार है, जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को जारी किया जाता है, जिसमें विनियम 20 के तहत निर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं।
- (त) इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए "यूपीएस अभिदाता" का अर्थ है, केंद्र सरकार का वह कर्मचारी है, जिसने इन विनियमों के अनुसार यूपीएस विकल्प का चयन किया हो और इसके तहत नामांकित हुआ हो;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए मौजूदा विनियमों में परिभाषित किया गया हो।

अध्याय II

प्रयोज्यता

3. **एकीकृत पेंशन योजना की प्रयोज्यता.** - (1) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा-
- (i) दिनांक 01 अप्रैल, 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं;
- (ii) केंद्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शामिल नए भर्ती हुए कार्मिक;
- (iii) (क) कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है, या मौलिक नियम 56 (ज) के तहत सेवानिवृत्त हुआ है (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं मानी जाती); या
- (ख) उस अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, जो अधिवर्षित या सेवा-निवृत्त हो चुका है और यूपीएस के लिए विकल्प का चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है;
- (2) यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (i) 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर, या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर, उप-नियम (1) के खंड (i) और खंड (iii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में; और
- (ii) उप-नियम (1) के उप-खंड (ii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार सेवाओं में शामिल होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर।
- (3) एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा ।

अध्याय III

पंजीकरण

4. यूपीएस के तहत विकल्प का चयन और नामांकन. - (1) विनियम 3 के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति, विकल्प चयन अवधि समाप्त होने से पहले यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए, निम्नलिखित रीति से विकल्प का चयन करेगा-

(क) कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में कार्यरत है और एनपीएस स में शामिल है, वह यूपीएस विकल्प के तहत नामांकन के लिए अनुसूची I के फॉर्म ए2 में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले किसी नए भर्ती कर्मचारी के लिए, एनपीएस के तहत मौजूदा नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि ऐसा नया भर्ती कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुनता है, तो वह अनुसूची I के फॉर्म ए1 में संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा;

(ग) कोई पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षित हो चुका है या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्त हुआ है (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता) और जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था, वह अनुसूची I के फॉर्म बी 2 में केवाईसी दस्तावेजों के साथ संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा, ताकि इन विनियमों में निर्दिष्ट रीति से यूपीएस विकल्प के तहत लाभ प्राप्त कर सके;

(घ) किसी मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में जिसने अधिवर्षिता प्राप्त की है या मौलिक नियम 56(ज) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), जैसा भी लागू हो, के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ है, और एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट रीति से जब ऐसे लाभ देय और भुगतान योग्य हो जाते हैं, तो यूपीएस विकल्प के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों के साथ अनुसूची I के फॉर्म बी6 में संबंधित डीडीओ को एक आवेदन जमा करना होगा।

(2) अनुसूची I में यथा लागू सूचीबद्ध फॉर्म ए1, ए2, बी2 और बी6, सीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं।

(3) सीआरए पोर्टल के माध्यम से सब फॉर्म के ऑनलाइन प्रस्तुत करने की स्थिति में, सीआरए उस व्यक्ति को एक पावती प्रदान करेगा और साथ ही साथ, इसे सत्यापन हेतु डीडीओ को भेजेगा। डीडीओ, कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद, सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट करेगा और इसे वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) को प्रमाणीकरण के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) यदि उप-नियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति सीआरए पोर्टल के माध्यम से यूपीएस विकल्प का चयन करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख के पास सीधे या डीडीओ के माध्यम से भौतिक रूप से फॉर्म प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। ऐसे मामलों में, कार्यालय प्रमुख विकल्प की जानकारी डीडीओ को अग्रेषित करेगा। डीडीओ, कार्यालय प्रमुख से प्राप्त आवश्यक जानकारी के आधार पर सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट करेगा और इसे प्रमाणीकरण के लिए पीएओ को अग्रेषित करेगा।

(5) जो कोई भी उप-नियम (1) के तहत विकल्प का चयन करने के लिए पात्र है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का चयन नहीं करता, उसे यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के तहत जारी रहने के लिए माना जाएगा।

5. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन). - (1) वे कर्मचारी, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म ए1 या ए2 (जो भी लागू हो) प्रस्तुत किया है तथा जिनका आवेदन संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत किया गया है, उन्हें यूपीएस से जुड़े स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) द्वारा चिह्नित किया जाएगा।

(2) वे व्यक्ति, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) और (घ) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म बी2 और बी6 (जो भी लागू हो) प्रस्तुत किया है तथा जिनका आवेदन संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा अधिकृत किया गया है, उन्हें उनके पूर्ववर्ती पीआरएएन द्वारा चिह्नित किया जाएगा, जो यूपीएस से टैग होगा।

(3) सीआरए उन यूपीएस अभिदाताओं के व्यक्तिगत कॉर्पस का अंतरण करेगा, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस विकल्प का चयन किया है। यह अंतरण संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात, यूपीएस से जुड़े पीआरएएन में किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) यूपीएस अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आल सिटिज़न मॉडल में स्वेच्छा से एनपीएस (टीयर I और टीयर II) के तहत अतिरिक्त खाता रख सकता है।

अध्याय IV

अंशदान

6. व्यक्तिगत कॉर्पस. -(1) यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान उसके मूल वेतन (जिसमें, जहाँ लागू हो, गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है) और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा, जिसे यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान (पीआरएएन) में जमा किया जाएगा।

(2) यूपीएस अभिदाता के मासिक अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा करके मिलाई जाएगी।

(3) डीडीओ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के संबंध में कटौती किए गए अंशदान का विवरण संलग्न करते हुए वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ), जो भी लागू हो, को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक बिल भेजेगा।

(4) पीएओ या सीडीडीओ, जो भी लागू हो, डीडीओ द्वारा भेजे गए प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के अंशदान के विवरण के आधार पर, एक अभिदाता अंशदान फ़ाइल (एस सी एफ) तैयार करेगा और सीआरए प्रणाली में लेनदेन आईडी (ट्रांसक्शन आई डी) उत्पन्न करेगा, जो प्रत्येक माह की 25 तारीख तक किया जाएगा।

(5) पी ए ओ या सीडीडीओ, जो भी लागू हो, कर्मचारी अंशदान तथा केंद्र सरकार के समतुल्य सह-अंशदान को मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से न्यासी बैंक (ट्रस्टी बैंक) में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्रेषित करेगा।

बशर्ते कि मार्च माह का अंशदान, वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या सीडीडीओ द्वारा, मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से, अप्रैल माह के पहले कार्य दिवस को न्यासी बैंक में प्रेषित किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को एनपीएस का अभिदाता था और जिसने यूपीएस का विकल्प चुना है, उसके लिए यूपीएस के तहत पहला अंशदान, विकल्प के प्रयोग के अगले माह में जमा किया जाएगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए कर्मचारी का पहला अंशदान आवेदन जमा करने की तारीख से बीस दिनों के भीतर या उस महीने की अंतिम तारीख तक, जिसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल हुआ, जो भी बाद में हो, व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा।

7. पूल कॉर्पस. - (1) पूल कॉर्पस में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) मूल वेतन (जिसमें, जहाँ लागू हो, गैर-प्रेक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है) और महंगाई भत्ते के अनुमानित साढ़े आठ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान, यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के समग्र आधार पर;

(ii) विनियम 19 (3) के अनुसार, एक अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस से शेष राशि का हस्तांतरण; और

(iii) केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित कोई अन्य अंशदान।

(2) पूल कॉर्पस का प्रबंधन पेंशन निधि(यों) द्वारा किया जाएगा, जो विनियम 10 के तहत निर्दिष्ट केंद्र सरकार के निर्देशों और उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के अनुसार होगा।

8. निधि आधारित प्रणाली. - (1) यूपीएस, एक 'निधि-आधारित' प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति, जैसा भी मामला हो, के बाद सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करती है।

(2) यूपीएस के तहत लाभों के समय पर और नियमित भुगतान का आश्वासन व्यक्तिगत और पूल कॉर्पस के तहत निधियों की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा।

अध्याय V

अंशदानों का निवेश

9. निवेश उद्देश्य. - अंशदानों को पेंशन निधि(यों) द्वारा निवेशित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेश पर प्रतिफल को अनुकूलित करना है, यूपीएस अभिदाता(ओं) के हित में अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेंशन निधि(यां) निधि प्रबंधन करते समय पर्याप्त कदम उठाएगी और विवेक, तत्परता और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग करेगी।

10. पूल कॉर्पस का निवेश. - (1) पूल कॉर्पस को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी पेंशन निधि(यों) को आवंटित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न और उससे संबंधित पहलुओं के अनुसार निधियों का निवेश करेगी। प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के अधीन, निवेश दिशानिर्देश जारी करेगा जिनका पेंशन निधियों को पालन करना होगा।

(2) पूल कॉर्पस का वार्षिक ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
स्पष्टीकरण : "ऑडिटर" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत उल्लिखित है।

11. व्यक्तिगत कॉर्पस का निवेश. - (1) यूपीएस अभिदाताओं को उनके व्यक्तिगत कॉर्पस में किए गए अंशदान के निवेश हेतु पेंशन निधि और निवेश पैटर्न (जिसमें एक डिफॉल्ट पैटर्न भी शामिल होगा) चुनने का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

(2) यूपीएस अभिदाता के पास पेंशन निधि(यों) के डिफॉल्ट पैटर्न और डिफॉल्ट निवेश का विकल्प होगा; या

(3) यूपीएस अभिदाता प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि को चुन सकता है।

बशर्ते कि, अगर कोई यूपीएस अभिदाता अपनी पेंशन निधि चुनने का विकल्प नहीं अपनाता है, तो उसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न के अंतर्गत माना जाएगा।

(4) यदि कोई यूपीएस अभिदाता डिफॉल्ट पैटर्न के अतिरिक्त अन्य पेंशन निधि चुनता है, तो उसके पास निम्नलिखित निवेश विकल्प होंगे:

(i) शत-प्रतिशत राशि को सरकारी प्रतिभूतियों (स्कीम जी) में निवेश करने का विकल्प।

(ii) निम्नलिखित में से कोई एक लाइफ साइकिल आधारित योजना:

(क) **एल सी - 25:** परंपरागत जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% होगी (एल सी - 25) ।

(ख) **एल सी - 50:** सामान्य जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% होगी (एल सी - 50) ।

(5) यूपीएस अभिदाता प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन निधि बदल सकता है और प्रति वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश विकल्प बदल सकता है।

(6) पेंशन निधि यूपीएस अभिदाताओं को अपनी योजनाओं के पिछले प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान करेगी, जिससे वे पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का चयन सोच-समझकर कर सकें।

(7) यदि कोई यूपीएस अभिदाता स्वयं से पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का चुनाव करता है, तो उसे अपने व्यक्तिगत कॉर्पस में अधिशेष राशि या अल्पता के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जिसकी तुलना डिफॉल्ट विकल्प के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल से की जाएगी (बेंचमार्क कॉर्पस)।

(8) अधिशेष राशि (अर्थात्, बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक व्यक्तिगत कॉर्पस), यदि कोई हो, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(ज) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, जैसा भी लागू हो, की तारीख को की गई गणना के अनुसार, यूपीएस भुगतान आदेश जारी होने के बाद यूपीएस अभिदाता को भुगतान की जाएगी।

(9) अल्प राशि (अर्थात्, बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस का कम होना), यदि कोई हो, यूपीएस अभिदाता द्वारा अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(ज) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, जैसा भी लागू हो, से पहले या उस पर, और फॉर्म बी1 जमा करने से पहले, किसी भी समय उसे पूर्ण किया जा सकता है। यदि ऐसी कमी यूपीएस अभिदाता द्वारा नहीं पूर्ण की जाती है, तो ऐसा अभिदाता अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के समय आनुपातिक रूप से कम भुगतान का हकदार होगा।

(10) यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में इकाइयों या उनके मूल्य की जानकारी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सी आर ऐ) द्वारा अभिदाता को प्रदान की जाएगी।

बशर्ते कि, यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की अंतिम गणना, बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस तिथि को निर्धारित की जाएगी जब अभिदाता अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56 (ज) के तहत सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता), जो भी लागू हो।

(11) यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस की जानकारी यूपीएस पीआरएएन खाता विवरण में मासिक आधार पर उपलब्ध होगी।

12. बेंचमार्क कॉर्पस. - (1) प्रत्येक कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत आता है और यूपीएस विकल्प को अपनाता है, के लिए सीआरए एक बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना करेगा। इसकी तुलना व्यक्तिगत कॉर्पस से की जाएगी। यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होगा :

- (i) प्रत्येक अर्हक सेवा माह के लिए, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लागू अंशदान की नियमित और समय पर प्राप्ति, जैसा कि विनियम 6 के उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (ii) अंशदानों का निवेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाना;
- (iii) संचय चरण के दौरान कोई आंशिक निकासी न किया जाना;
- (iv) कोई भी किया गया स्वैच्छिक अंशदान शामिल नहीं किया जाएगा; और
- (v) केंद्र सरकार के तहत अर्हक सेवा की शुरुआत से पहले की अवधि के लिए कोई भी अंशदान नहीं लिया जाएगा।

(2) बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य डिफॉल्ट पैटर्न के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य और बेंचमार्क कॉर्पस में संबंधित इकाइयों पर आधारित होगा। ऐसे में, किसी भी अवधि के लिए न जमा किया गया अंशदान के संबंध में, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) उस महीने के अंतिम कार्य दिवस पर आधारित होगा जिसमें 01 अप्रैल 2025 से अंशदान प्राप्त होना था और इसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह के लिए घोषित किया जाएगा।

(3) जहाँ यूपीएस डिफॉल्ट पैटर्न एक से अधिक पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित किया जाता है, वहाँ भारित औसत एनएवी को उस अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा, जो पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित यूपीएस योजना की मासिक औसत एयूएम (AAUM) को उन सभी पेंशन फंडों द्वारा प्रबंधित कुल यूपीएस डिफॉल्ट पैटर्न की कुल AAUM से दर्शाता है। भारित औसत एनएवी की गणना का सूत्र निम्नलिखित है :

$$NAV = \sum_{i=1}^n W_i * NAV_i$$

जहाँ

$$W_i = \frac{AAUM_i}{\sum_{i=1}^n AAUM_i}$$

जहाँ 'i' पेंशन निधि को और 'n' डिफॉल्ट पैटर्न के अंतर्गत कुल पेंशन निधि की संख्या को दर्शाता है;

(AAUM_i) संबंधित माह के लिए i वें पेंशन निधि की औसत स्कीम एयूएम (AUM) को दर्शाता है;

(W₁, W₂, W₃, ..., W_n) संबंधित माह के लिए भारित हैं जिनको पेंशन निधियों के अनुपातिक उस माह के स्कीम AAUM पर निर्धारित किया गया है ; और

(NAV₁, NAV₂, NAV₃, ..., NAV_n) प्रत्येक पेंशन निधि के लिए संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर घोषित एनएवी हैं।

पिछली अवधि के लिए उपर्युक्त पद्धति का उपयोग करके गणना की गई एनएवी अनुसूची-// के तहत प्रदान की गई है।

(4) बेंचमार्क कॉर्पसकी गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी :

(i) व्यक्तिगत कॉर्पस से किए गए आंशिक निकासी और व्यक्तिगत कॉर्पस में किए गए स्वैच्छिक अंशदान को गणना में नहीं माना जाएगा।

(ii) दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से पहले प्राप्त अंशदानों के लिए : मासिक अंशदानों को जब और जिस समय प्राप्त हुए हैं, माना जाएगा, और डिफॉल्ट पैटर्न पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii) दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद प्राप्त अंशदानों के लिए :

(क) मासिक अंशदान जो उस महीने में प्राप्त होने हैं, उन्हें महीने के दौरान जब और जिस समय प्राप्त हुए हैं, माना जाएगा और डिफॉल्ट पैटर्न पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(ख) किसी भी महीने में किसी भी न जमा किये गए अंशदान की स्थिति में, मूल्य पिछले पूर्ण महीने के मासिक अंशदान पर लागू महीने के अंतिम कार्य दिवस के अनुसार डिफॉल्ट पैटर्न के भारित औसत एनएवी पर आधारित होगा।

(iv) मंहगाई भत्ते जैसे बकाया राशि से संबंधित अंशदान को प्राप्त होने पर डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार ही माना जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

(5) विभिन्न परिदृश्यों के तहत बेंचमार्क कॉर्पस की गणना के बारे में दृष्टांत संबंधी उदाहरण अनुसूची III के तहत दिए गए हैं।

अध्याय VI

लाभ

13. लाभ प्राप्त करने की पात्रता. - (1) विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यूपीएस लाभ केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में उपलब्ध होंगे :

(क) यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम दस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है, तो अधिवर्षिता की तिथि से लाभ प्रदान किए जाएंगे।

(ख) यदि केंद्र सरकार, किसी कर्मचारी को मौलिक नियम 56 (ज) के तहत (जो केंद्रीय सिविल सेवा [वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील] नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति नहीं माना जाता है) सेवानिवृत्त करती है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि से लाभ प्रदान किए जाएंगे। (ग) यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम पच्चीस वर्षों की अर्हक सेवा अवधि पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसे वे लाभ उस तिथि से प्रदान किए जाएंगे जिस तिथि को वह सेवानिवृत्त होता, यदि उसकी सेवा जारी रहती।

(2) यदि कोई यूपीएस अभिदाता, भले ही वह एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प में नामांकित हो, को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, सेवा से निष्कासित किया जाता है या वह स्वयं इस्तीफा देता है, तो ऐसी स्थिति में यूपीएस विकल्प लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के तहत लाभों के प्रयोजन के लिए, अर्हक सेवा उन पूर्ण महीनों की होगी जिनके लिए यूपीएस अभिदाता ने केंद्र सरकार के तहत नियमित सेवाएं प्रदान की हैं, जिसका निर्धारण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा, जहां ऐसा अभिदाता अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति, जैसा भी मामला हो, के समय कार्यरत था:

(i)(क) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (i) और खंड (iii) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, अर्हक सेवा उस तारीख से शुरू होगी, जिस तारीख से ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार में एनपीएस के तहत नामांकित होने के लिए पात्र था;

(ख) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) के तहत आने वाले नए भर्ती हुए कर्मचारियों के संबंध में, अर्हक सेवा उस तारीख से शुरू होगी जिससे ऐसा व्यक्ति यूपीएस के तहत नामांकित होने के लिए पात्र है।

(ii) इस स्पष्टीकरण के खंड (i) के उप-खंड (क) और (ख) के तहत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में अर्हक सेवा की अंतिम तिथि, अधिवर्षिता या सेवा-निवृत्ति की तारीख होगी, जैसा भी मामला हो।

(iii) सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में, अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगा: सेवा की पूरी पिछली अवधि, जिसमें ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अधिकृत नहीं किया गया हो।

बशर्ते कि, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अनधिकृत अनुपस्थिति या छुट्टी को अधिकृत कर दिया गया हो, वहां सेवा की पूरी पिछली अवधि को अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा, सिवाय ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति या छुट्टी की अवधि के, जिसे नहीं गिना जाएगा।

बशर्ते कि यदि किसी अनधिकृत अनुपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस कर्मचारी के लिए देय और स्वीकार्य अवकाश के माध्यम से विनियमित किया जाता है, तो संपूर्ण पूर्व अवधि और वह विनियमित अवकाश अवधि गणना में शामिल की जाएगी।

(iv) अर्हक सेवा में किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या विदेश-सेवा पर बिताई गई कोई भी अवधि शामिल नहीं होगी, जिसके लिए व्यक्तिगत कॉर्पस और पूल कॉर्पस के तहत लागू अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। लागू अंशदान हिस्सेदारी की गणना उस रीति से की जाएगी जो केंद्र सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(v) अर्हक सेवा में सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके आचरण की जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन के तहत बिताया गया समय शामिल होगा, जहां ऐसी जांच के समापन पर, उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है या केवल एक मामूली जुर्माना लगाया गया है और निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना गया है। ऊपर वर्णित मामलों से अतिरिक्त मामलों में, निलंबन की अवधि तब तक नहीं गिनी जाएगी, जब तक कि ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं करता है कि यह उस सीमा तक गिना जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सकता है। निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी एक आदेश पारित करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि निलंबन की अवधि किस सीमा तक, यदि कोई हो, अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।

(vi) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा असाधारण छुट्टी के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसी छुट्टी देते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिनने की अनुमति दे सकता है, यदि ऐसी छुट्टी किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है - (i) नागरिक उपद्रव के कारण इयूटी में शामिल होने या फिर से शामिल होने में उसकी असमर्थता के कारण; या (ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए।

बशर्ते कि, चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा असाधारण छुट्टी के मामले में और ऊपर खंड (v) के तहत अर्हक सेवा के रूप में गिनने की अनुमति दी गई असाधारण छुट्टी के मामले में, ऐसी छुट्टी देते समय, सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी देते समय नहीं की जाती है, तो बाद में की जा सकती है, लेकिन यह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व छह महीने के

भीतर नहीं की जा सकती है और यदि सेवा-पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा।

अर्हक सेवा की गणना पर दृष्टांत संबंधी उदाहरण अनुसूची IV के तहत दिए गए हैं।

14. एकमुश्त (लंपसम) भुगतान. : (1) किसी यूपीएस अभिदाता को सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56 (अ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा [वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील] नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति नहीं माना जाता है) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि पर, अंतिम आहरित मूल वेतन (जिसमें गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता, यदि लागू हो, शामिल है) और उस पर महंगाई भत्ते के एक-दसवें भाग के समतुल्य एकमुश्त (लंपसम) भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रत्येक पूर्ण छह महीने की अर्हक सेवा अवधि के लिए देय होगा।

(2) एकमुश्त राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी :

$$\text{एकमुश्त (लंपसम) भुगतान} = (\text{ई}/10) \times \text{एल}$$

जहाँ;

वेतन (ई) = (मूल वेतन (जिसमें गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता, यदि लागू हो, शामिल है) + महंगाई भत्ता) सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56 (अ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा [वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील] नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति नहीं माना जाता है) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि पर, जैसा कि लागू हो।

सेवा अवधि (एल) = कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अर्हक सेवा की पूर्ण छह महीने की संख्या।

स्पष्टीकरण : अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से, प्रत्येक पूर्ण छह महीने की अवधि के लिए, छह महीने से कम की किसी भी अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) यह एकमुश्त (लंपसम) भुगतान यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान के अतिरिक्त होगा और सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। यह अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है) के मामले में, जो भी लागू हो, के समय देय होगा।

15. यूपीएस के तहत भुगतान. - भुगतान की गणना और भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) सुनिश्चित भुगतान : सुनिश्चित भुगतान, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(अ) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता है) के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम बारह महीनों के मूल वेतन (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) के औसत के पचास प्रतिशत पर देय होगा, जैसा भी लागू हो, बशर्ते विनियम 13 के अनुसार गणना किए गए यूपीएस अभिदाता द्वारा न्यूनतम पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवाएं पूरी की गयी हों। सुनिश्चित भुगतान की गणना का सूत्र इस प्रकार है:

$$\text{सुनिश्चित भुगतान (ए)} = (\text{पी का } \frac{1}{2}) \times (\text{क्यू}/300)$$

जहाँ :

पी = अंतिम बारह महीनों के औसत मूल वेतन, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो, और जो अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 (अ) के तहत सेवानिवृत्ति (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता है) की तिथि से लागू हो।

क्यू = अर्हक सेवा के पूरे हुए महीनों की संख्या, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(बशर्ते क्यू अगर -

120 से कम हो, वहां यूपीएस लागू नहीं होगा।

300 से अधिक हो, तो क्यू को 300 माना जाएगा।)

(ii) न्यूनतम गारंटीड भुगतान : यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीड भुगतान रुपये दस हजार प्रति माह होगा, बशर्ते कि यूपीएस अभिदाता ने न्यूनतम दस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो।

न्यूनतम गारंटीड भुगतान की गणना का सूत्र निम्नलिखित है:

यदि $(\frac{1}{2} \times पी) \times (क्यू/300) < 10,000$ और

क्यू, 120 के बराबर या अधिक हो,

तो न्यूनतम गारंटीड भुगतान रुपये 10,000/- होगा।

(iii) आनुपातिक भुगतान : यदि अर्हक सेवा अवधि दस वर्षों या अधिक लेकिन पच्चीस वर्षों से कम हो, तो अनुपातिक भुगतान देय होगा।

(iv) स्वीकृत भुगतान - सुनिश्चित भुगतान को निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों मामलों में आनुपातिक रूप से घटाया जाएगा -

(क) यदि अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) की तिथि पर व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है;

(ख) यदि अभिदाता द्वारा अधिकतम साठ प्रतिशत तक व्यक्तिगत कॉर्पस की अंतिम निकासी का विकल्प चुना गया हो।

इस प्रकार आनुपातिक रूप से घटाया गया सुनिश्चित भुगतान, स्वीकृत भुगतान के रूप में देय होगा। स्वीकृत भुगतान की गणना का सूत्र निम्नानुसार है:

स्वीकृत भुगतान = सुनिश्चित भुगतान $\times$ (व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी) / बेंचमार्क कॉर्पस (बीसी)) $\times$ (1 - अंतिम निकासी (एफडब्ल्यू) %)

जहाँ,

आईसी = व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य

बीसी = बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य

बशर्ते आईसी $\leq$ बीसी

एफडब्ल्यू = प्रतिशत में अंतिम निकासी (व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस, जो भी कम हो, का अधिकतम साठ प्रतिशत)

बशर्ते कि यदि व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो, तो यूपीएस अभिदाता को यह कमी अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) की तिथि तक किसी भी समय पूरी करने का विकल्प होगा।

विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत भुगतान की गणना से संबंधित उदाहरण अनुसूची V में दिए गए हैं।

(2) **अंतिम निकासी प्रतिशत (एफडब्ल्यू)** : (i) यूपीएस अभिदाता या उसके कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, के पास यह विकल्प होगा कि वह अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) की तिथि पर यूपीएस से जुड़े पीआरएएन में उपलब्ध व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस, जो भी कम हो, का अधिकतम साठ प्रतिशत तक की राशि निकाल सकता है, बशर्ते कि ऐसे यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान में आनुपातिक कटौती की जाएगी।

बशर्ते कि यदि अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) की तिथि पर व्यक्तिगत कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक हो, तो अंतिम निकासी की राशि बेंचमार्क कॉर्पस के आधार पर गणना की जाएगी और व्यक्तिगत कॉर्पस में अतिरिक्त राशि यूपीएस अभिदाता के नामित बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

(ii) ऐसी अंतिम निकासी अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) (जो भी लागू हो) की तिथि पर देय होगी।

16. पारिवारिक भुगतान. - (1) यदि किसी यूपीएस अभिदाता, जो स्वीकृत भुगतान प्राप्त कर रही थी/रहा था, का निधन हो जाता है, तो ऐसे दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को जीवन भर पारिवारिक भुगतान के रूप में स्वीकृत भुगतान की उस राशि का साठ प्रतिशत प्राप्त होगा, जिसे अभिदाता ने अपने निधन से ठीक पहले प्राप्त किया था।

(2) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अधिवर्षित या 31 मार्च 2025 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यूपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे, का निधन हो जाता है, तो कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, दावे की प्रस्तुति और स्वीकृति के उपरांत, पारिवारिक भुगतान के रूप में निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे :

- स्वीकृत भुगतान के साठ प्रतिशत और प्रतिनिधि वार्षिकी राशि के साठ प्रतिशत के अंतर की राशि, जो दिवंगत अभिदाता को देय थी;

- अधिवर्षिता या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता) की तिथि से निधन की तिथि तक, दिवंगत कर्मचारी को प्राप्त होने वाले लाभ :

(i) ऐसे दिवंगत कर्मचारी को देय एकमुश्त (लंपसम) भुगतान;

(ii) अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के बाद से निधन की तिथि तक देय मासिक टॉप-अप राशि;

(iii) देय महंगाई राहत; तथा

(iv) विगत अवधि के लिए उक्त लाभों के संबंध में बकाया पर लागू सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) दरों के अनुसार साधारण ब्याज, जो ब्याज अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के बाद के महीने से दावा फॉर्म जमा करने से पहले के महीने तक देय होगा।

बशर्ते कि, जहां यूपीएस विकल्प फॉर्म निर्धारित समय अवधि के उपरांत जमा किया जाता है, तो ऐसी देरी की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. महंगाई राहत. - केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित महंगाई राहत स्वीकार्य भुगतान और पारिवारिक भुगतान, मामले के अनुसार, पर देय होगी। महंगाई राहत केवल तभी देय होगी, जब स्वीकार्य भुगतान शुरू हो जाएगा।

अध्याय VII

आंशिक निकासी

18. आंशिक निकासी. - (1) यूपीएस अभिदाता, यूपीएस पीआरएनके तहत व्यक्तिगत कॉर्पस से आंशिक निकासी करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि यूपीएस या एनपीएस (जो भी पहले हो) के तहत नामांकन की तारीख से तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि पूरी हो गई हो। यूपीएस की संपूर्ण अवधि के दौरान, अधिकतम तीन बार आंशिक निकासी की जा सकती है, जिसमें एनपीएस के तहत पहले से की गई निकासी भी शामिल होगी, जैसा कि पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट है।

(2) ऐसी निकासी, यूपीएस अभिदाता द्वारा किए गए स्वयं के अंशदान (उस पर अर्जित लाभ को छोड़कर) के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो निकासी के लिए आवेदन की तारीख पर उपलब्ध हो, तथा यह इस विनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(3) इस प्रकार की निकासी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुमत होगी :

(क) उसके या उसकी संतान (जिसमें कानूनी दत्तक संतान भी शामिल है) की उच्च शिक्षा के लिए;

(ख) उसके या उसकी संतान (जिसमें कानूनी दत्तक संतान भी शामिल है) के विवाह के लिए;

(ग) स्वयं के नाम पर या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय मकान या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए। यदि अभिदाता पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से एक आवासीय मकान या फ्लैट (वंशानुगत संपत्ति को छोड़कर) का मालिक है, तो इस विनियम के तहत कोई निकासी अनुमत नहीं होगी;

(घ) बीमारियों के उपचार के लिए : यदि यूपीएस अभिदाता, उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, संतान (जिसमें कानूनी दत्तक संतान भी शामिल है) या आश्रित माता-पिता किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है;

(ङ) यूपीएस अभिदाता द्वारा विकलांगता या अशक्तता के कारण उत्पन्न चिकित्सा और अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए;

(च) यूपीएस अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल विकास या किसी अन्य आत्म-विकास गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए।

(4) यदि कोई यूपीएस अभिदाता किसी बीमारी से पीड़ित है, तो आंशिक निकासी के लिए अनुरोध, उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि यह नोडल कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड और प्रमाणित किया गया हो।

(5) आंशिक निकासी करने वाले अभिदाता के पास, जैसा भी मामला हो, अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले ऐसी निकासी के मूल्य को पुनः परिपूरित करने का विकल्प होगा।

अध्याय VIII

लाभों का भुगतान

19. यूपीएस के तहत भुगतान. - (1) यूपीएस अभिदाता को लाभों का भुगतान यूपीएस अधिसूचना, इन विनियमों तथा प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों या अन्य आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित अनुसूची I में उपलब्ध लागू प्रपत्रों में आवेदन किया जाएगा और इसे कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को प्रस्तुत किया जाएगा :

(i) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (i) और (ii) के तहत आने वाले यूपीएस अभिदाता को लाभों के संबंध में;

(क) यूपीएस अभिदाता को अनुसूची I में निहित फॉर्म बी1, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(ज) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), जैसा भी लागू हो, के समय जमा करना होगा; या

(ख) पारिवारिक भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, दिवंगत यूपीएस अभिदाता द्वारा यूपीएस लाभ प्राप्त किए जाने की स्थिति में फॉर्म बी3, या दिवंगत यूपीएस अभिदाता यूपीएस लाभ के लिए पात्र होने, लेकिन यूपीएस लाभ प्राप्त नहीं किए जाने की स्थिति में फॉर्म बी5, कर्मचारी की मृत्यु के बाद जमा करेगा।

(ii) विनियम 3 के उप-विनियमन (1) के खंड (iii) के तहत आने वाले यूपीएस अभिदाता को स्वीकार्य लाभों के संबंध में:

(क) पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्ति को अनुसूची I में दिए गए अनुसार फॉर्म बी2 जमा करना होगा।

(ख) दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में, स्थिति के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी द्वारा अनुसूची I में निहित फॉर्म बी4 जमा करना होगा, यदि दिवंगत अभिदाता ने यूपीएस के लाभ प्राप्त किए हैं अथवा फॉर्म बी6 जमा करना होगा, यदि दिवंगत अभिदाता ने यूपीएस के विकल्प का चयन नहीं किया है ।

(3) यूपीएस अभिदाता, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(ज) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, जैसा भी लागू हो, के समय, व्यक्तिगत कॉर्पस में इकाइयों के मूल्य को पूल कॉर्पस में हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करेगा, जो बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य से अधिक नहीं होगा। यदि हस्तांतरण के लिए अधिकृत व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य से कम है, तो सुनिश्चित भुगतान आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा, जब तक कि उस कमी को परिपूरित नहीं किया जाता है।

(4) दिनांक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के संबंध में, व्यक्तिगत कॉर्पस को पूल कॉर्पस में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों को स्वीकार्य यूपीएस के तहत लाभ पूल कॉर्पस से भुगतान किए जाएंगे।

20. यूपीएस भुगतान आदेश. - (1) किसी यूपीएस अभिदाता को देय लाभ संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी ए ओ) द्वारा यूपीएस भुगतान आदेश में दर्ज किए जाएंगे, जो अनुसूची-I के तहत फॉर्म बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5 या बी 6 में प्रदत्त किए अनुसार लागू होंगे, और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को भेजे जाएंगे। ऐसे यूपीएस भुगतान आदेश की एक प्रति यूपीएस अभिदाता या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी (जो भी लागू हो) को भी प्रदान की जाएगी।

(2) यूपीएस भुगतान आदेश में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :

- i. यूपीएस अभिदाता के आवश्यक विवरण, जिनमें उसके सेवा-अभिलेखों में दर्ज कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी की जानकारी भी सम्मिलित होगी, जो उसके अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(अ) (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति नहीं मानी जाती) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख पर मान्य होगी।
- ii. अर्हक सेवा अवधि (विनियम 13 के अनुसार), जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(अ) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), के तहत सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित किया गया होगा।
- iii. यूपीएस अभिदाता एवं उसके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के संयुक्त बैंक खाते का विवरण।
- iv. यूपीएस अभिदाता द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस के अधिकतम साठ प्रतिशत (60%) तक चुनी गई अंतिम निकासी का प्रतिशत।
- v. यूपीएस के अंतर्गत विनियमों के अनुसार देय लाभों का विवरण, जैसे :

क. एकमुश्त (लंपसम) भुगतान;

ख. व्यक्तिगत कॉर्पस एवं बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य, जिसे केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अपने सिस्टम में संगणित करेगा;

ग. सुनिश्चित भुगतान;

घ. स्वीकृत भुगतान;

ङ. पारिवारिक भुगतान;

च. देय महंगाई राहत ।

vi. अभिदाता को स्वीकृत भुगतान के शुरुआत की तारीख।

vii. अन्य विवरण, जो भुगतान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(3) यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो यूपीएस भुगतान आदेश में स्वीकृत भुगतान की प्रारंभ होने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा, जो उस तारीख के अगले दिन होगी जिस दिन कर्मचारी, यदि सेवा में बना रहता, तो सेवानिवृत्त होता।

21. यूपीएस भुगतान आदेश का प्रसंस्करण. - (1) यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास निम्नलिखित को अधिकृत करेगा—

- (i) स्वीकृत भुगतान जारी करना;
- (ii) एकमुश्त (लंपसम) भुगतान जारी करना;
- (iii) अंतिम निकासी जारी करना;

- (iv) व्यक्तिगत कॉर्पस में, यदि कोई अतिरिक्त राशि हो, जो बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक हो, उसे जारी करना;
- (v) स्वीकृत भुगतान पर महंगाई राहत जारी करना।
- (2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पूल कॉर्पस से अभिदाता के बैंक खाते में मासिक भुगतान तथा समय-समय पर लागू महंगाई राहत की अदायगी सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य के लिए सीआरए, पेंशन निधि को पूल कॉर्पस से आहरण करने और अभिदाता को इस भुगतान को जारी करने के लिए सूचित करेगा।

22. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त या अधिवर्षित कर्मचारियों को लाभों का भुगतान. - (1) उन कर्मचारियों के लिए, जो दिनांक 31 मार्च 2025 या उससे पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त या अधिवर्षित हुए हैं और जिन्होंने विनियम 4 और विनियम 19 के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे :

- (i) एकमुश्त (लंपसम) भुगतान
- (ii) सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरंत बाद देय मासिक टॉप-अप राशि
- (iii) लागू महंगाई राहत, और
- (iv) विगत अवधि के लिए उक्त लाभों के संबंध में बकाया पर सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) दरों के अनुसार साधारण ब्याज, अधिवर्षिता के बाद के महीने से दावा फॉर्म जमा करने से पहले के महीने तक।

बशर्ते कि विनियम 3(ii) के अनुसार विकल्प या दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट लाभ उन लाभों के अतिरिक्त होंगे, जो ऐसे कर्मचारी को एनपीएस के तहत प्राप्त हुए हैं या संचित हुए हैं, जिसमें वार्षिकी (यदि कोई हो) भी शामिल है।

(3) किसी व्यक्ति को देय मासिक टॉप-अप राशि उस व्यक्ति के लिए इस विनियम के तहत देय भुगतान और उस पर महंगाई राहत के योग गणना में से लागू प्रतिनिधि वार्षिकी राशि को घटाने के बाद के बराबर होगी। किसी व्यक्ति की प्रतिनिधि वार्षिकी राशि की गणना प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिकी दर के आधार पर की जाएगी, जिसमें एनपीएस टियर-I के तहत उस व्यक्ति के व्यक्तिगत कॉर्पस के उस प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा, जो एनपीएस से निकास के समय वार्षिकीकरण किया गया है। जनवरी 2014 से मार्च 2025 की अवधि हेतु प्रतिनिधि वार्षिकी दर अनुसूची VI में दी गई है।

(4) मासिक टॉप-अप राशि की गणना का सूत्र इस प्रकार है:

$$\text{मासिक टॉप-अप राशि} = (\text{स्वीकृत भुगतान} + \text{स्वीकृत भुगतान पर महंगाई राहत}) - \text{प्रतिनिधि वार्षिकी राशि}$$

जहाँ:

$$(\text{क}) \text{ स्वीकृत भुगतान} = \text{सुनिश्चित भुगतान} \times (\text{व्यक्तिगत कॉर्पस/ बेंचमार्क कॉर्पस}) \times (1 - \text{अंतिम निकासी प्रतिशत})$$

यदि आईसी, बीसी से अधिक हो तो आईसी को बीसी के बराबर माना जाएगा।

जहाँ, सुनिश्चित भुगतान, आईसी, बीसी और एफडब्ल्यू लागू विनियमों के अनुसार होंगे।

(ख) प्रतिनिधि वार्षिकी राशि = व्यक्तिगत कॉर्पस x (1- अंतिम निकासी प्रतिशत) x (प्रतिनिधि वार्षिकी दर) / (12 x 100)।

आईसी का मूल्य बीसी से ज्यादा होने पर, आईसी को बीसी के बराबर माना जाएगा।

आगामी वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद अधिवर्षिता या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में महंगाई राहत, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

महंगाई राहत केवल 7वें वेतन आयोग की दरों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।

टॉप-अप राशि गणना के दृष्टांत संबंधी उदाहरण अनुसूची VII के तहत दिए गए हैं।

(5) ऐसे अधिवर्षित या सेवानिवृत्त कर्मचारी जो दिनांक 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मासिक टॉप-अप के स्थान पर सुनिश्चित भुगतान का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे आंशिक निकासी के कारण हुई कमी की प्रतिपूर्ति करें, यदि कोई हो, और इसे बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर करें। यह प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की गणना विकल्प अपनाने की तिथि पर इकाइयों के एनएवी दर के अनुसार की जाएगी।

(6) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, यूपीएस भुगतान आदेश में निहित लाभों की पूल कॉर्पस से स्वीकृति और विमोचन को अधिकृत करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि पूल कॉर्पस से यूपीएस अभिदाता के बैंक खाते में मासिक टॉप-अप राशि का भुगतान किया जाए और समय-समय पर लागू महंगाई राहत जारी की जाए। इस उद्देश्य के लिए, सीआरए पेंशन निधि को पूल कॉर्पस से निधियों के विमोचन का निर्देश देगा, ताकि अभिदाता को उक्त भुगतान किया जा सके।

23. पात्र कर्मचारी द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से सेवानिवृत्ति या अधिवर्षित के लिए दावा प्रस्तुत करना. - (1) प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को प्रत्येक तीन महीने में अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी, जो संबंधित तारीख से अगले बारह महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जो यूपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट इस सूची की एक प्रति संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी को, क्रमशः 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(3) वेतन एवं लेखा अधिकारी को उप-विनियम (1) के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों को अद्यतन रखना होगा।

(4) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, अपने सिस्टम लॉगिन के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वेतन एवं लेखा अधिकारी को उन सेवानिवृत्त या अधिवर्षित कर्मचारियों द्वारा किए गए आंशिक निकासी (यदि कोई हो), व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो सेवानिवृत्ति/ अधिवर्षिता की तारीख पर लागू होगी।

(5) आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण सिस्टम में अभिलेखों को अद्यतन करेगा और इसे वेतन एवं लेखा अधिकारी को इस प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए अग्रेषित करेगा।

(6) कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिदाता के विवरण के सत्यापन के आधार पर, वेतन एवं लेखा अधिकारी यूपीएस भुगतान आदेश जारी करेगा, जैसा कि फॉर्म बी 1, बी 3 या बी 5 (जो भी लागू हो) के अनुसार होगा, जिसमें विनियम 20 के तहत निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

(7) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर, तथा यूपीएस अभिदाता द्वारा अंतिम निकासी (यदि कोई हो) का विकल्प प्रस्तुत किए जाने पर, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट यूपीएस लाभ जारी करने और व्यक्तिगत कॉर्पस की शेष राशि को पूल कॉर्पस में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

(8) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि पूल कॉर्पस से यूपीएस अभिदाता के बैंक खाते में मासिक भुगतान किया जाए और लागू महंगाई राहत का समय-समय पर संवितरण किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पेंशन निधि को पूल कॉर्पस से भुगतान हेतु मोचन प्रभावी करने के लिए सूचित करेगा।

अध्याय IX

मध्यवर्तियों और अन्य संस्थाओं की भूमिका

24. एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाले मध्यवर्ती और संस्थाएं. - (1) एकीकृत पेंशन योजना को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत ऐसे मध्यवर्तियों द्वारा, अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, पेंशन निधि, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, ट्रस्टी बैंक और प्रतिभूतियों का कस्टोडियन/अभिरक्षक और अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा किए गई पंजीकरण और विशिष्ट विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्थापत्य के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो ऐसे पंजीकरण की अवधि के दौरान ऐसे मध्यवर्तियों को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियां करने में सक्षम बनाएगा। केंद्र सरकार के नोडल कार्यालय जिनमें वेतन और लेखा अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी और चेक आहरण और संवितरण अधिकारी शामिल हैं, भी इसके कार्यान्वयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

(2) कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल संस्थाएं अपनी भूमिकाओं, कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिनियम, नियमों, विनियमों और केंद्र सरकार और प्राधिकरण के किसी भी निर्देश और विनिर्देशों की स्थिति के अनुसार करेंगी।

(3) विशिष्ट विनियमों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ऐसे मध्यवर्ती को प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया गया है, उसके अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन और उसके कार्यों के निर्वहन में अभिदाताओं के प्रति विभिन्न दायित्वों का पालन इन विनियमों के अंतर्गत यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा।

(4) अभिदाताओं को निकासी सहित लाभ का भुगतान करने वाले मध्यवर्तियों सहित निकासी और जो ऐसे भुगतान को प्रभावी करने के लिए जानकारी और निर्देश रखते हैं और प्रदान करते हैं, वे अपनी गतिविधियों को अत्यंत सतर्कता से संचालित करेंगे और अनधिकृत लेनदेन को रोकने के उपाय करेंगे। ऐसे मध्यवर्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे किसी भी प्रकार से अभिदाताओं को कोई भी हानि या पक्षपात करते हुए किसी भी धोखाधड़ी या कुप्रबंधन को रोकें। इस उद्देश्य के लिए, मध्यवर्ती उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैनात करेगा। प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की जिम्मेदारी संबंधित मध्यवर्ती द्वारा दायित्व का निर्वहन करने की समग्र जिम्मेदारी होगी।

स्पष्टीकरण : "प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

(5) एक मध्यवर्ती अपने सिस्टम और उपायों को उचित रूप से सुनिश्चित करेगा, अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप, ताकि किसी भी धोखाधड़ी या कुप्रबंधन को रोका जा सके और अभिदाताओं को किसी भी प्रकार की हानि, या तो मौद्रिक या गैर-मौद्रिक प्रकृति से बचा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, मध्यवर्ती समय-समय पर जांच करेगा और अपने प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा और उसके बाद अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। संबंधित मध्यवर्ती के अलावा, यूपीएस के कार्यान्वयन में शामिल अन्य संस्थाएं भी उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को तैयार करेंगी ताकि अभिदाताओं और केंद्र सरकार को किसी भी पूर्वाग्रह से बचाया जा सके।

(6) मध्यवर्तियों और संस्थाओं को एक-दूसरे के साथ निकट समन्वय करके और ऐसी सुविधाओं और सूचनाओं को साझा करके अभिदाताओं को आवश्यक सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट इस तरह के आवश्यक समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(7) जहां मध्यवर्ती या संस्था द्वारा कोई चूक या उल्लंघन देखा गया है, वह तुरंत सुधारात्मक उपाय करेगा और अभिदाता या अभिदाताओं के किसी भी समूह को हुए किसी भी पूर्वाग्रह को, जिसमें उपयुक्त प्रतिपूर्ति या मुआवजा का प्रावधान भी शामिल है, जैसे कि ऐसा अभिदाता किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ हो, प्राधिकरण द्वारा शुरू की जा सकने वाली किसी भी कार्यवाही के बावजूद दूर करेगा।

(8) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सेवाओं के प्रावधान के लिए मध्यवर्ती के कार्य, भूमिकाएं, कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारियां अधिनियम, नियमों और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों के अंतर्गत निर्धारित उसके कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अतिरिक्त होंगे और उनसे कम नहीं होंगे।

25. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास. - (1) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियां करने वाला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, ट्रस्ट विलेख और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम, 2015, सहित आचार संहिता का अनुपालन करेगा।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम, 2015 के अध्याय III के अंतर्गत प्रदान की गई अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन ऐसे करेगा, जैसे कि ऐसे विनियमों में "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" का संदर्भ "एकीकृत पेंशन योजना" को भी शामिल हो।

(3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां, कार्य और दायित्व, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम, 2015 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियां तक भी स्वतः ही विस्तारित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ट्रस्ट के बोर्ड की इन विनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के दायित्व का निर्वहन करने की समग्र जिम्मेदारी होगी।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास यूपीएस के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियां निम्नलिखित विनियमों के अनुसार करेगा, जिनमें शामिल हैं :

- (i) केंद्र सरकार के पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश के समुचित सत्यापन के पश्चात यूपीएस लाभों की स्वीकृति जारी करना;
- (ii) पूल कॉर्पस से यूपीएस अभिदाता या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, जो भी लागू हो, के बैंक खाते में मासिक भुगतान जारी करने तथा समय-समय पर लागू महंगाई राहत जारी करने की स्वीकृति देना;
- (iii) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को समय-समय पर लागू महंगाई राहत जारी करने हेतु निर्देश प्रदान करना;
- (iv) मासिक भुगतान जारी करने हेतु सीआरए प्रणाली में वैध जीवन प्रमाण-पत्र की उपलब्धता की जाँच करना;

- (v) यूपीएस अभिदाता के निधन पर सुनिश्चित भुगतान को कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देना;
- (vi) यूपीएस योजना लेखांकन का पृथक्करण सुनिश्चित करना;
- (vii) पूल कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान का समकालिक लेखा-परीक्षण करना तथा परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए इसकी निगरानी करना;
- (viii) यूपीएस कार्यान्वयन में संलग्न मध्यवर्तियों एवं अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करना तथा ऐसी गतिविधियों की निगरानी करना;
- (ix) प्राधिकरण एवं केंद्र सरकार को आवश्यकतानुसार पर्याप्त एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना; तथा
- (x) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अन्य कोई कार्य या गतिविधियों को पूरा करना।

26. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण. - (1) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियां करने वाली केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण की शर्तों और नियमों का पालन करेगी, जिसमें आचार संहिता और उपयुक्त और उचित मानदंड शामिल हैं।

(2) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के अध्याय III के अंतर्गत प्रदान की गई अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन वैसे ही करेगी, जैसे कि उन विनियमों में "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" के संदर्भ को एनपीएस के तहत "एकीकृत पेंशन योजना" विकल्प तक भी विस्तारित किया गया हो।

(3) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण संबंधित मध्यवर्तियों और अभिदाताओं द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त, पर्याप्त और गतिशील प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं विकसित करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) नामांकन और चिह्नित करने योग्य एकीकृत पेंशन योजना खाता यूपीएस अभिदाताओं के लिए;
- (ii) यूपीएस अभिदाताओं को अनुमेय विकल्प सक्षम करना;
- (iii) एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने के लिए मध्यवर्तियों और संस्थाओं को सिस्टम/फॉर्म प्रदान करना;
- (iv) एकीकृत पेंशन योजना कैलकुलेटर डिजाइन करना और प्रदान करना;
- (v) यूपीएस अभिदाता, मध्यवर्तियों और एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन में शामिल अन्य संस्थाओं को सूचना प्रसारित करना;
- (vi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को एकीकृत पेंशन योजना भुगतान आदेश संगणक और सत्यापित करने में सक्षम बनाना;
- (vii) सुनिश्चित भुगतान के लिए गतिविधियां करना;
- (viii) वार्षिक आधार पर उपयुक्त जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को रिपोर्ट देना;
- (ix) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण को आवधिक रिपोर्टिंग;
- (x) बेंचमार्क कॉर्पस के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस की तुलना;
- (xi) पूल कॉर्पस का समन्वयन;

- (xii) एकीकृत पेंशन योजना भुगतान आदेश का रिकॉर्ड रखना;
- (xiii) महंगाई राहत का रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित भुगतान पर इसका आवेदन;
- (xiv) संपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए पेंशन निधि को एकीकृत आधार पर यूपीएस अभिदाताओं का डेटा प्रदान करना;
- (xv) विनियम 18 के अनुसार आंशिक निकासी अधिकारों का प्रमाणीकरण; और
- (xvi) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य और गतिविधियां।

(4) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर एकीकृत पेंशन योजना को संचालन में लाने के लिए अपने सिस्टम में आवश्यक सिस्टम डिज़ाइन और कार्यक्षमता विकसित करेगी और पर्याप्त तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाए रखेगा।

(5) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी और प्रधान अधिकारी के दायित्व, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए दायित्व, एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियों तक भी स्वतः ही विस्तारित होंगे।

(6) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 की अनुसूची III, संशोधनों सहित, के प्रावधानों का पालन करेगी, जो बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं से संबंधित है, तथा जो एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक हैं।

27. पेंशन निधि. - (1) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन करने वाला पेंशन निधि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण की शर्तों और नियमों का पालन करेगा।

(2) पेंशन निधि, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के अध्याय III और अध्याय IV के अंतर्गत प्रदान की गई अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, जैसे कि ऐसे विनियमों में "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" का संदर्भ "एकीकृत पेंशन योजना" को भी शामिल करेगा।

(3) पेंशन निधि के प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिकों के दायित्व, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियों तक भी स्वतः ही विस्तारित होंगे।

(4) पेंशन निधि, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 की अनुसूची VI के प्रावधानों का पालन करेगा, ऐसे संशोधनों के साथ जो एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अपनी गतिविधियां करने के लिए आवश्यक हैं।

(5) पेंशन निधि एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए गतिविधियां करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) एकीकृत पेंशन योजना के लिए अलग निवेश स्कीम और लेखा-बहियों का रखरखाव;
- (ii) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के निर्देशों के आधार पर पूल कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान का निष्पादन;
- (iii) पूल कॉर्पस का तरलता प्रबंधन;
- (iv) पोर्टफोलियो उद्देश्य के साथ पूल कॉर्पस का प्रबंधन;
- (v) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य और गतिविधियां।

28. ट्रस्टी बैंक. - (1) यूपीएस के तहत गतिविधियाँ करने वाला ट्रस्टी बैंक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित पंजीकरण की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करेगा, जिसमें आचार संहिता तथा उपयुक्त तथा उचित होने के मापदंड शामिल हैं।

(2) ट्रस्टी बैंक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015 के अध्याय III के तहत उल्लिखित अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन उसी प्रकार करेगा, जैसे कि इन विनियमों में "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" का संदर्भ "एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन प्रणाली" विकल्प तक विस्तृत हो।

(3) ट्रस्टी बैंक द्वारा नियुक्त प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी एवं प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारियाँ, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित हैं, इन विनियमों के तहत यूपीएस से संबंधित गतिविधियों पर स्वतः ही लागू होंगी।

(4) ट्रस्टी बैंक यूपीएस के तहत अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए आवश्यक संशोधनों सहित अवसंरचना आवश्यकताओं से संबंधित अपने दायित्वों का पालन करेगा।

29. प्रतिभूतियों का कस्टोडियन (अभिरक्षक). - (1) यूपीएस के तहत गतिविधियाँ करने वाला प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित पंजीकरण की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करेगा, जिसमें आचार संहिता तथा उपयुक्त तथा उचित होने के मापदंड भी शामिल हैं।

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अध्याय III में उल्लिखित अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उसी प्रकार निर्वहन करेगा, जैसे कि इन विनियमों में "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" का संदर्भ "एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन प्रणाली" विकल्प तक विस्तृत हो।

(3) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा नियुक्त प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी एवं प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारियाँ, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित हैं, इन विनियमों के तहत यूपीएस से संबंधित गतिविधियों पर स्वतः ही लागू होंगी।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अनुसूची IV में उल्लिखित अवसंरचना आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसमें यूपीएस के तहत अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए आवश्यक संशोधन भी शामिल होंगे।

अध्याय X

शुल्क और प्रभार

30. शुल्क और प्रभार. : सभी मध्यवर्तियों को सेवाओं के प्रावधान के लिए ऐसी शुल्क और प्रभार एकत्र करने का अधिकार होगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पद्धति से और सीमाओं के अध्यधीन होंगे। केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पूल कॉर्पस से भुगतान चरण में यूपीएस अभिदाताओं को सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर प्रभार वसूल करने का हकदार होगा।

31. विनियामक शुल्क. : मध्यवर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित इन विनियमों के अंतर्गत गतिविधियों को करने के लिए, प्राधिकरण को ऐसे शुल्क और उस पर लागू करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। शुल्क के भुगतान में देरी के मामले में, मध्यवर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर साधारण ब्याज या उस पर लागू करों के साथ किसी विलंब शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय XI

मध्यवर्तियों द्वारा चूक या कृताकृत्य के मामले में कार्रवाई

32. चूक या कृताकृत्य के मामले में कार्रवाई. - (1) किसी भी मध्यवर्ती द्वारा किसी भी कार्य या चूक या कृताकृत्य के मामले में जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या नियम या यह विनियम या किसी अन्य नियम या विनिर्देश, निर्देश या अधिसूचनाएं या तो केंद्र सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा, एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान के संबंध में, या एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों के लिए हानिकारक माना जाता है, ऐसे मध्यवर्ती के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इन विनियमों और उक्त मध्यवर्ती पर लागू ऐसे अन्य विशिष्ट विनियमों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(2) उक्त मध्यवर्ती पर लागू विशिष्ट नियमों के प्रावधान, जो पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निलंबन या निरस्तीकरण और चूक या कृताकृत्य के मामले में कार्रवाई से संबंधित हैं, उपनियम (1) में उल्लिखित कार्यवाहियों के संबंध में यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत कार्यवाही किसी भी कार्रवाई को प्रभावित किए बिना होगी जो प्राधिकरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत शुरू कर सकता है।

(4) संबंधित मध्यवर्ती के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे मध्यवर्ती से जुड़ा हुआ है और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है, जिसमें प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी शामिल हैं, से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

(5) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के प्रावधानों के होते हुए भी, एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन में शामिल किसी भी इकाई का आचरण, जो प्रथम दृष्टया इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, की रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को दी जाएगी।

अध्याय XII

निरीक्षण और लेखा परीक्षा

33. निरीक्षण और लेखा परीक्षा. - (1) इन विनियमों के अंतर्गत की गई गतिविधियों के संबंध में किसी भी मध्यवर्ती का निरीक्षण और लेखापरीक्षा विशिष्ट नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो उक्त मध्यवर्ती पर लागू होती है, जिसके अंतर्गत इसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है। निरीक्षण और लेखा परीक्षा से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान इस तरह के मामले में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) उप-विनियम (1) के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, केंद्र सरकार या प्राधिकरण, इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी मध्यवर्ती की गतिविधियों या एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन में शामिल किसी अन्य इकाई के संबंध में कोई विशेष निरीक्षण या लेखा-परीक्षा करा सकता है, एकीकृत पेंशन योजना के व्यवस्थित संचालन और कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए या एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के हित में, प्राधिकरण ऐसे विशेष निरीक्षण या लेखा-परीक्षा के संचालन के लिए कोई भी उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकता है।

अध्याय XIII

विविध

34. अभिदाता की शिकायतों का निवारण. - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, और

मध्यवर्ती के पास उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र होगा।

35. गोपनीयता. — मध्यवर्ती अपने कामकाज के दौरान प्राप्त या अर्जित किए गए सभी रिकॉर्ड, डेटा और सूचनाओं के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। मध्यवर्ती अद्यतन साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा और हर समय डेटा के उल्लंघन को रोकेगा। वह प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ऐसे डेटा या सूचना को साक्ष्य के रूप में, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, कानून की नियमानुसार प्रक्रिया के अलावा, उत्पादित या साझा नहीं करेगा।

36. हितों का टकराव. — मध्यवर्ती, किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचेगा और अपने हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा और किसी भी हित-टकराव की स्थिति को हल करने के लिए एक तंत्र लागू करेगा जो उसके व्यवसाय के संचालन में उत्पन्न हो सकता है या जहां कोई हित-टकराव उत्पन्न होता है, इसे समान रूप से हल करने के लिए उचित कदम उठाएगा। मध्यवर्ती, प्राधिकरण को अपने संभावित स्रोत या हितों के संभावित क्षेत्रों के टकराव का उचित प्रकटीकरण करेगा, जो ऐसे मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हुए जो निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

37. अनुपालन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस. — (1) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि श्रेष्ठ कॉर्पोरेट नीतियां और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू हो। वह किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और छेड़छाड़ वाले लेनदेन में शामिल नहीं होगा और किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होगा, जिसमें प्राधिकरण के अन्य मध्यवर्ती को प्रेरित करने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेना शामिल है, जो अन्य मध्यवर्ती या अभिदाता के हितों को नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता है या किसी भी असाइनमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या उसे निष्पादित करते समय ऐसे अन्य मध्यवर्ती को एक प्रतिकूल स्थिति में रखने की संभावना रखता है।

(2) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठाएगा कि डेटा और रिकॉर्ड रखरखाव में निरंतरता बनी रहे और डेटा या रिकॉर्ड न तो खोएं या न नष्ट हों। यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा के लिए, उसके साथ हमेशा अद्यतित बैकअप उपलब्ध हो।

(3) मध्यवर्ती प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा, और प्राधिकरण द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या इकाई के साथ सहयोग करेगा, जैसा और जब आवश्यक हो और प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट, कागजात या सूचना में कोई भी असत्य कथन नहीं करेगा या किसी भी सूचना या तथ्य को नहीं छुपाएगा या प्राधिकरण या अन्य एजेंसियों, जिसके साथ इसे पंजीकृत किया गया है, की उपेक्षा नहीं करेगा या अस्वीकार नहीं करेगा या इनकार नहीं करेगा या, ऐसी पुस्तकें, दस्तावेज, पत्राचार और कागजात या उसके किसी भी भाग को मांग या अनुरोध के रूप में जो समय-समय पर मांगा जा सकता है, के लिए इनकार नहीं करेगा।

(4) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी पंजीकरण स्थिति में कोई भी परिवर्तन या प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या वित्तीय मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अन्य मध्यवर्तियों या अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया जाए और शेष कोई भी व्यवसाय प्राधिकरण के किसी भी निर्देश के अनुसार और संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाए।

38. स्पष्टीकरण जारी करने की प्राधिकरण की शक्ति. — इन विनियमों के कार्यान्वयन, अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा स्पष्टीकरण, विनिर्देश, दिशानिर्देश और परिपत्र जारी किये जा सकते हैं।

अनुसूची I

[विनियम 4, 19, 20 और 23 देखें]

अनुसूची I में निहित प्रपत्रों का सारांश

क्र.सं.	विवरण	फॉर्म
1	एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत शामिल होने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन (दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारी)	A1
2	केंद्र सरकार के ऐसे अर्ह कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के मौजूदा अभिदाता हों, द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत शामिल होने के लिए विकल्प का चयन	A2
	अभिदाता द्वारा किए जाने वाले दावे	
3	दावा और भुगतान फॉर्म : एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो	B1
4	दावा और भुगतान फॉर्म : एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो	B2
	जीवनसाथी द्वारा किए जाने वाले दावे (मृत्यु के मामले)	
5	दावा और भुगतान फॉर्म : दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता, जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिए हों, के जीवनसाथी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म	B3
6	दावा और भुगतान फॉर्म : दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिए हों, के जीवनसाथी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म	B4
7	दावा और भुगतान फॉर्म : दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता, जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हों, के जीवनसाथी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म	B5
8	दावा और भुगतान फॉर्म : दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हों, के जीवनसाथी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म	B6

फॉर्म A1

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) - अभिदाता पंजीकरण फॉर्म - सरकारी क्षेत्र											
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत शामिल किए जाने वाले विकल्प का प्रयोग और इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए											
सीआरए का नाम								3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार/पासपोर्ट आकार की वर्तमान तस्वीर चिपकाएं (न हस्ताक्षर/ न स्टेपल/ न क्लिप करें)			
मेरा पीआरएन हिंदी में प्रिंट करें	☐	हाँ	☐	नहीं	यदि हाँ, तो कृपया अनुबंध I के अनुसार विवरण प्रस्तुत करें						
अपनी श्रेणी चुनें [कृपया चिह्नित करें (✓)]					☐ केंद्र सरकार						
सेवा में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट महोदय / महोदया,											
मैं, श्री/श्रीमती.....का पुत्र/पुत्री, जिसने..... को केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश किया है और मैंने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025, समय-समय पर यथासंशोधित, द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के कारण, मैं एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत शामिल किए जाने का विकल्प चुनता/चुनती हूँ। इसके अलावा, मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे नाम पर एक यूपीएस खाता खोला जाए : * अनिवार्य क्षेत्रों को इंगित करता है। कृपया अंग्रेजी और ब्लॉक अक्षरों में फॉर्म भरें (निर्देश पृष्ठ पर सामान्य दिशानिर्देश देखें)।											
1. व्यक्तिगत विवरण : (निर्देशों का क्रम संख्या 1 देखें) अनुलग्नक II का उपयोग करें यदि नाम नीचे दिए गए स्थान से अधिक स्थान ले											
अभिवादन (शीर्षक)*		☐	श्री	☐	श्रीमती	☐	कुमारी				
आवेदक का नाम*											
पिता का नाम											
माता का नाम											
अनाथ होने की स्थिति*		☐	हाँ				☐	नहीं			
पिता या माता का नाम अनिवार्य है*						पीआरएन कार्ड पर प्रदर्शित होने वाला नाम चुनें*		पिता का नाम	माता का नाम		
जन्म तिथि*	d	d	M	M	y	y	y	y			
जन्म स्थान*											
देश, जहाँ जन्म हुआ हो*											
पीएन*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	राष्ट्रीयता*			
आवेदक लिंग*		☐	पुरुष	☐	महिला	☐	ट्रांसजेंडर	☐	अविवाहित	☐	विवाहित

						वैवाहिक स्थिति*					
कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का लिंग (यदि विवाहित है)*				पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी जन्मतिथि (यदि विवाहित है)*				
कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित है)*											
आय सीमा (प्रति वर्ष)*				1 लाख से कम	1 लाख से 5 लाख	5 लाख से 10 लाख	10 लाख से 25 लाख	25 लाख से 1 करोड़	1 करोड़ से ज्यादा		
कृपया चिह्नित करें, यदि लागू हो				राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति		राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति से संबंधित		(निर्देश संख्या 1 देखें)			
2. पहचान और पते का प्रमाण (पीओआई/पीओए)* (निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत किया जाना है)											
पासपोर्ट				पासपोर्ट की समाप्ति तिथि							
ड्राइविंग लाइसेंस				ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि							
सरकारी आईडी कार्ड				वोटर आईडी कार्ड							
सीकेवाईसी नंबर											
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर											
आधार का प्रमाण				अंतिम चार अंक प्रदान करें। प्रस्तुत प्रति पर आधार संख्या के पहले 8 अंकों को हटा दें या ब्लैक-आउट करें (निर्देश का क्रम संख्या 2 देखें)							
3. पता विवरण*											
लाइन 1											
लाइन 2											
जिला				राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र							
देश				पिन कोड							
4. संपर्क विवरण*											
मोबाइल*				एसटीडी कोड सहित टेलीफोन							
ईमेल आईडी*											
5. बैंक विवरण* (प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण - निर्देशों का क्रम संख्या 3 देखें)											
खाते का प्रकार				बचत खाता				वर्तमान खाता			
बैंक खाता संख्या											
बैंक का नाम				आईएफए स कोड							
मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि, प्रदान किए गए बैंक खाते का विवरण वेतन बैंक खाता है।											

6. पेंशन निधि (पीएफ) और निवेश विकल्प का चयन * (निर्देशों का क्रम संख्या 4 देखें)				
कृपया चिह्नित करें (√) एक	डिफॉल्ट पैटर्न (पेंशन फंड और डिफॉल्ट निवेश पैटर्न)			
	मैं अपना पेंशन फंड और निवेश विकल्प स्वयं चुनना चाहता/चाहती हूँ (कृपया नीचे चयन करें)			
पेंशन फंड (कृपया चिह्नित करें (√) एक)			निवेश विकल्प (कृपया चिह्नित करें (√) एक)	
आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड		एक्सिस पेन्शन फण्ड मैनेजमेंट लिमिटेड		
डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड		एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	सक्रिय विकल्प (यानी सरकारी प्रतिभूतियों में 100%)	
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड		कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	या	
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड		मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	ऑटो विकल्प	कंजर्वेटिव (LC25)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड		टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड		मॉडरेट (मध्यम) (LC50)
यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड				
यदि कोई पैटर्न (पेंशन फंड, निवेश विकल्प) नहीं चुना जाता है, तो अंशदान डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा				

7. एफएटीसीए* (FATCA) (विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम) और सीआरएस घोषणा (अनुदेश की क्रम संख्या 5 देखें):

मैं भारत का कर-निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ		मैं निम्नलिखित देश का कर निवासी हूँ	
अमेरिकी नागरिक		हाँ	नहीं
विवरण	देश (1)	देश (2)	देश (3)
टैक्स रेजिडेंसी का/के देश			
कर निवास के लिए अधिकार क्षेत्र का पता	पता पंक्ति 1		
	शहर/कस्बा/गांव		
	राज्य		
	ज़िप/पोस्ट कोड		
कर पहचान संख्या (टीआईएन) / कार्यात्मक समकक्ष संख्या			
टीआईएन / कार्यात्मक समकक्ष संख्या जारी करने वाला देश			
प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य की वैधता (जहां भी लागू हो)	ddmmyyyy	ddmmyyyy	ddmmyyyy

मैंने फॉर्म की सूचना आवश्यकता को समझ लिया है (एफएटीसीए/सीआरएस निर्देशों और नियमों और शर्तों के साथ पढ़ें) और एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस फॉर्म पर मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और इसके द्वारा इसे स्वीकार करता/करती हूँ।										आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान* (निर्देश देखें)									
8. आवेदक द्वारा घोषणा* (निर्देशों का क्रम संख्या 6 देखें)																			
मैंने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना सीआरए/एनपीएस ट्रस्ट को दी जाएगी। मैं समझता/समझती हूँ कि मैं किसी भी झूठी या गलत जानकारी या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।										आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान* (*पुरुषों के मामले में बाएं अंगूठे का निशान और महिलाओं के मामले में दाएं अंगूठे का निशान प्रदान किया जाएगा। हाथ न होने की स्थिति में पैर की अंगुली की छाप)									
मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।																			
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत घोषणा मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा/मेरी ओर से भुगतान किया गया अंशदान, आय के कानूनी रूप से घोषित और मूल्यांकन किए गए स्रोतों से लिया गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि एनपीएस ट्रस्ट को मेरी वित्तीय प्रोफाइल को पढ़ने या अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने का अधिकार है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यदि मैं मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) की रोकथाम से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता/जाती हूँ तो एनपीएस ट्रस्ट को मेरे पीआरएन को बंद करने का अधिकार है।																			
दिनांक										स्थान									
9. नोडल अधिकारी द्वारा घोषणा (सभी * चिह्नित स्थान अनिवार्य हैं)																			
रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के प्रयोग के समय)																			
सेवा प्रारम्भ होने की तिथि*										सेवानिवृत्ति की तिथि*									
अर्हक सेवा प्रारम्भ होने की तिथि #																			
कर्मचारी कोड/आईडी*																			
पदनाम (वैकल्पिक)																			

ग्रुप (वैकल्पिक)	A	B (राजपत्रित)	B (अराजपत्रित)	C	D	E	अन्य
सेवा (वैकल्पिक)	आईएस	आईपीएस	आईएफएस	ग्रुप A	ग्रुप B	अन्य	
मूल वेतन*							
वेतनमान (वैकल्पिक)							
कार्यालय का नाम*							
विभाग*							
मंत्रालय*							
डीडीओ पंजीकरण संख्या*				पीएओ/सीडीडीओ/पीआरएओ पंजीकरण संख्या*			
# पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के विनियम 13 के साथ पठित विनियम 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा।							
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी इस कार्यालय में कार्यरत हैं और इस अभिदाता पंजीकरण फॉर्म में दिए गए विवरण सेवा रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापित किए गए हैं। केवाईसी के दिए गए पते और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) को इस कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि उसने प्रविष्टियों को पढ़ा है / प्रविष्टियों को हमारे द्वारा पढ़कर उसे समझाया गया है और कर्मचारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।							

डीडीओ का नाम		पीएओ का नाम	
डीडीओ के हस्ताक्षर		पीएओ के हस्ताक्षर	
डीडीओ कोड नं. (सीआरए सिस्टम में रिकॉर्ड के अनुसार)		पीएओ कोड नं. (सीआरए सिस्टम में रिकॉर्ड के अनुसार)	
डीडीओ की मुहर		पीएओ की मुहर	
दिनांक		दिनांक	
स्थान		स्थान	
पावती			
अभिदाता का नाम			
आवेदन प्राप्त होने की तिथि :			

अभिदाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के निर्देश			
सामान्य दिशानिर्देश क. कृपया त्रुटियों से बचने के लिए साफ-सुथरी हस्तलिपि में फॉर्म भरें। ओवरराइटिंग न करें। किसी भी संशोधन पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। यदि आवेदन किसी भी प्रकार से अधूरा है (या) अनिवार्य फ़ील्ड खाली छोड़ी गई है (या) तस्वीर अस्पष्ट है (या) आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं (या) नोडल कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां स्वयं-सत्यापित होनी चाहिए। ग. आवेदक को उस नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/मुद्रांकित रसीद सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जहां वे अपना आवेदन जमा करते हैं।			
क्र.सं.	मद संख्या	आइटम विवरण	निर्देश
1	1	पिता का नाम, माता का नाम	(क) यदि नाम में 30 से अधिक अंक हैं, तो इसके लिए अनुलग्नक II भरें। (ख) यदि आवेदक अनाथ है, तो वह स्थान को खाली छोड़ सकता है। हालांकि, स्थिति का समर्थन करने के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा।
		राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्यों जैसे कि राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी सौंपे गए हैं।
2	2	पहचान का प्रमाण	यदि आवेदक पहचान के प्रमाण के रूप में आधार जमा कर रहा है, तो आधार संख्या के पहले 8 अंकों को प्रस्तुत प्रति पर संशोधित/मास्क किया जाना चाहिए।
3	5	बैंक विवरण	भौतिक फॉर्म (फॉर्म ए 1) के माध्यम से यूपीएस खाता खोलने के लिए, बैंक विवरण और दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य हैं। कृपया एक रद्द चेक/बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/बैंक प्रमाणपत्र/बैंक से पत्र की प्रति जिसमें आवेदक का नाम, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड हो, जमा करें।
4	6	पेंशन फंड (पीएफ) और निवेश विकल्प का चयन	सरकारी कर्मचारी/अभिदाता पेंशन निधियों के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और अपने निवेशों को या तो 'सक्रिय विकल्प' के अंतर्गत आस्ति वर्ग 'जी' में या 'ऑटो विकल्प' के अंतर्गत जीवन चक्र निधि-एलसी 50 या एलसी 25 में आवंटित कर सकते हैं। यदि कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है, तो अंशदान को सरकार द्वारा चुने गए डिफ़ॉल्ट पेंशन फंडों और निवेश पैटर्न के बीच वितरित किया जाएगा।
5	7&8	FATCA & CRS घोषणा/आवेदक द्वारा हस्ताक्षर	भारतीय क्षेत्र के बाहर कर उद्देश्यों के लिए आवेदक के निवास की स्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण / दिशा-निर्देश: - कर निवास क्षेत्र : चूंकि अमेरिका अपने नागरिकों की वैश्विक आय पर कर लगाता है, इसलिए हर अमेरिकी नागरिक, चाहे उसकी कोई भी राष्ट्रीयता हो, अमेरिका में कर उद्देश्यों के लिए निवासी माना जाता है। - कर पहचान संख्या (टी आईएन): यदि संबंधित क्षेत्र द्वारा टी आईएन

			जारी नहीं किया गया है, तो इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि उस क्षेत्र ने उच्च स्तरीय पहचान संख्या (कार्यात्मक समकक्ष) जारी की हो, तो उसकी जानकारी देना आवश्यक है। ऐसे नंबरों के उदाहरणों में सामाजिक सुरक्षा/बीमा नंबर, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोड/नंबर तथा निवासी पंजीकरण संख्या शामिल हैं। • यदि आवेदक अपनी अमेरिकी व्यक्ति स्थिति को 'नहीं' घोषित कर रहा है, लेकिन उसका जन्म स्थान अमेरिका है, तो उसे नागरिकता त्याग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा या नागरिकता त्याग प्रमाण-पत्र न होने के कारण बताने होंगे। • यदि आवेदक अपनी अमेरिकी व्यक्ति स्थिति को 'हाँ' घोषित कर रहा है, तो उसे पीएन और 'पिता का नाम' के साथ फॉर्म के अनुभाग 9 के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। • यदि आवेदक हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो पुरुष के मामले में बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और महिला के मामले में दाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए। यदि आवेदक के हाथ नहीं हैं, तो पैर की अंगुली का निशान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंगूठे/पैर की अंगुली के निशान की पुष्टि दो व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक को उक्त निशान को अपने आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करना होगा। •
<u>अभिदाताओं के लिए सामान्य जानकारी</u> क) अभिदाता सीआरए और संबंधित नोडल कार्यालय से अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकता है। ख) अभिदाताओं को उस नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/मुद्रांकित रसीद सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जहां वे अपना आवेदन जमा करते हैं। ग) अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, सीआरए से संपर्क करें: वेबसाइट: सम्पर्क: सीआरए का पता:			

अनुलग्नक - सरकारी क्षेत्र के आवेदकों के लिए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (नीचे लागू अनुलग्नकों को टिक करें और भरें)	
अनुलग्नक I - पीआरएन कार्ड हिंदी में प्रिंट करें (देवनागरी लिपि में विवरण भरें)	
आवेदक का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
पिता / माता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	

	अनुलग्नक II - यदि नाम के अक्षर आवेदन पत्र के पृष्ठ 1 पर दिए गए स्थान से अधिक हैं
आवेदक का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
पिता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
माता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	

अनुसूची-I

[विनियम 4, 19, 20 और 23 देखें]

फॉर्म A2

[विनियम 4 देखें]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पहले से ही पंजीकृत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन

मैं,.....श्री / श्रीमती का पुत्र / पुत्री, 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन)..... के साथ एनपीएस का एक अभिदाता होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पढ़कर और पूरी तरह से समझकर, और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के नाते, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं एतद्वारा स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए, मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा / विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

दिनांक : -----

अभिदाता के हस्ताक्षर

स्थान : -----

नाम -----

(सेवा अभिलेखों के आधार पर डीडीओ द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है)

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के चयन के समय)	
कर्मचारी कोड/आईडी	

अर्हक सेवा की शुरुआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
वर्तमान माह का मूल वेतन	
गैर-अभ्यास (गैर-प्रैक्टिसिंग) भत्ता (एनपीए), यदि लागू हो	
अगली वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित तिथि	

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम	पीएओ के हस्ताक्षर और नाम
डीडीओ पंजीकरण संख्या-	पीएओ पंजीकरण संख्या-
दिनांक: स्थान:	दिनांक: स्थान:

नोट/निर्देश:

- इस फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जाएगी।
- डीडीओ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित डेटा को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्रणाली (सीआरए सिस्टम) में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा फॉर्म के भौतिक रूप से जमा करने की स्थिति में, डीडीओ इस विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पीएओ अपने लॉगिन के माध्यम से सीआरए प्रणाली में अभिदाता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।

फॉर्म B1

[विनियम 19, 20 और 23 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता जो 01/04/2025 को या उसके बाद अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ है

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

अभिदाता और कानूनी रूप से
विवाहित पति/पत्नी का संयुक्त
फोटोग्राफ

भाग -ए (अभिदाता द्वारा भरा जाना है)

1. श्रेणी (कोई एक):

अधिवर्षिता (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद)	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद)	
मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्त हुए हों (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता हो)	

2. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड / आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि (यदि लागू हो)	
लिंग		अधिवर्षिता/एफआर 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, मानी गई अधिवर्षिता की तिथि	
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पीएएन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)	
पीएओ (कार्यालय का नाम)					

3. केवाईसी विवरण:

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से कोई एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

6. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन*	
जन्मतिथि		आधार संख्या*:	
लिंग			
मोबाइल नंबर		ईमेल आईडी	

7. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार	अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता एकल खाता (अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के ना होने की स्थिति में)	बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम		आईएफएससी	
ध्यान दें: कृपया सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक हैं।			

8. अंतिम निकासी प्रतिशत - (कॉर्पस का 60% तक प्राप्त किया जा सकता है)

मैं अंतिम निकासी का विकल्प चुनना चाहता / चाहती हूँ	व्यक्तिगत कॉर्पस का ...%
मैं पूरी तरह से अवगत होकर इस विकल्प का चयन कर रहा/रही हूँ कि अंतिम निकासी सुनिश्चित भुगतान को आनुपातिक रूप से कम कर देगी।	

घोषणा:

मैं _____ श्री/श्रीमती _____ का पुत्र/पुत्री, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिदाता जिसका पीआरएन ----- है और मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/01/2025 को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए अपनी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

स्थान : _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक : _____

नाम : _____

भाग - बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण के अनुसार)

1. अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

	व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी) : अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य	
	बेंचमार्क कॉर्पस (बीसी) (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर)	
	बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस की अधिकता/कमी (आईसी- (घटा) बीसी)	
	अंतिम निकासी (एफडब्ल्यू%)	

भाग - सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

i	फ़ाइल संख्या	
ii	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii	अर्हक सेवा की शुरुआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
iv	अधिवर्षिता / मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है)/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि	
v	महीनों में अर्हक सेवा की अवधि (Q)	
vi	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि (L) (अंश को अनदेखा किया जाना है)	
vii	मासिक भुगतान के शुरुआत की तिथि (अधिवर्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में : अधिवर्षिता के अगले दिन से, 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति के मामले में: सेवानिवृत्ति के अगले दिन से)	

	मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)		मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)
माह 1				माह 7			
माह 2				माह 8			
माह 3				माह 9			
माह 4				माह 10			
माह 5				माह 11			
माह 6				माह 12			
12 महीने का औसत (मूल वेतन + एनपीए) = P							

3. अधिवर्षिता / मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम महीने का वेतन विवरण:

माह/वर्ष	मूल वेतन (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिए जाने वाले गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते सहित, यदि कोई हो)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल $E = \text{मूल वेतन} + \text{महंगाई भत्ता}$
एकमुश्त भुगतान के लिए अंतिम महीने का पारिश्रमिक (E)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में अभिदाता द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार और वेतन का विवरण अर्थात् अर्हक सेवा, अंतिम मूल वेतन, औसत मूल वेतन, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तिथि, अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण, जिसको कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर

डीडीओ कार्यालय का नाम

डीडीओ पंजीकरण संख्या

दिनांक :

स्थान :

फॉर्म बी1
(भाग डी)
पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ)
(सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया)

अभिदाता और कानूनी रूप
से विवाहित पति/पत्नी का
संयुक्त फोटोग्राफ

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
(पता जोड़ा जाना है) -

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. अभिदाता की श्रेणी (निम्न में से कोई एक):

अधिवर्षिता (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद)	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद)	
मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्त हुए हों (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता),	

2. अभिदाता के विवरण

नाम		कर्मचारी कोड / आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि (यदि लागू हो)	
लिंग		अधिवर्षिता/एफआर 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, मानी गई अधिवर्षिता की तिथि	
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पीएएन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)	
पीएओ (कार्यालय का नाम)					

3. अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन	
जन्म तिथि		ईमेल आईडी	
लिंग		मोबाइल नंबर	

4. बैंक अकाउंट विवरण:

बैंक खाता संख्या		बैंक का नाम		आईएफएससी	
------------------	--	-------------	--	----------	--

5. रोजगार और वेतन का विवरण:

	महीनों की संख्या में अर्हक सेवा की अवधि	
	पिछले 12 महीनों के मूल वेतन का औसत	

	सुनिश्चित भुगतान	
	अंतिम महीने का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)	
	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि	
	मासिक स्वीकार्य भुगतान के आरम्भ की तिथि	

अभिदाता को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति

6. यूपीएस अभिदाता को देय यूपीएस लाभ:

	एकमुश्त भुगतान	
	बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस की अधिकता, यदि कोई हो	
	अंतिम निकासी राशि	
	मासिक स्वीकार्य भुगतान [सुनिश्चित भुगतान X आईसी / बीसी X (1- अंतिम निकासी %)]	
	स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत राशि	
	स्वीकार्य भुगतान और लागू महंगाई राहत का बकाया	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ कार्यालय का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक:	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

भाग-ए

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि का फ़ील्ड सीआरए प्रणाली से लिया जाएगा, हालांकि, किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, यह अभिदाता द्वारा संपादन योग्य होगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**दावेदार द्वारा:**

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दावेदार के पीएएन कार्ड की प्रति।
- iii. दावेदार के केवाईसी दस्तावेज।
- iv. एक संयुक्त तस्वीर।
- v. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति (यदि अभिदाता द्वारा भौतिक रूप में फॉर्म जमा किया गया है)।

फॉर्म बी2

[विनियम 4, 19 और 20 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता जो 31/03/2025 को या उससे पहले अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ है।

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

अभिदाता और कानूनी रूप से
विवाहित पति/पत्नी का संयुक्त
फोटोग्राफ

भाग - ए (अभिदाता द्वारा भरा जाना है)

1. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड / आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		अधिवर्षिता/एफआर 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि	
लिंग		पीएओ (कार्यालय का नाम)		डीडीओ (कार्यालय का नाम)	
पीएएन (PAN)		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)			

2. केवाईसी विवरण:

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से कोई एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
--------------------------------------	---------------------	--------------	--

आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			
---	--	--	--

3. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

4. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

5. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन (PAN)*	
जन्मतिथि		आधार संख्या*	
लिंग			
मोबाइल नंबर		ईमेल आईडी	

6. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार	अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता	बैंक खाता संख्या	
---------------------	--	------------------	--

	एकल खाता (अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के ना होने की स्थिति में)		
बैंक का नाम		आईएफएससी	
ध्यान दें: कृपया सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक है।			

घोषणा:

मैं _____ श्री/श्रीमती _____ का पुत्र/पुत्री, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिदाता जिसका पीआरएन ----- है और मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/01/2025 को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य निकाय को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण को एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

स्थान: _____ हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____ नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)
--

1. आंशिक निकासी का विवरण:

क्र.सं.	आंशिक निकासी की तिथि	निकाली गई राशि	डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार निकाली गई इकाइयों की संख्या	अधिवर्षिता की तिथि पर डिफॉल्ट पैटर्न की एनएवी	अधिवर्षिता की तिथि पर डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार आंशिक निकासी का मूल्य (निकाली गई इकाइयों की संख्या X एनएवी)
1					
2					

3					
कुल					

2. स्वैच्छिक अंशदान का विवरण:

क्रम. सं.	स्वैच्छिक अंशदान की तारीख	स्वैच्छिक अंशदान की राशि	आवंटित इकाइयों की संख्या	अधिवर्षिता की तारीख पर एनएवी	अधिवर्षिता की तारीख पर स्वैच्छिक अंशदान का मूल्य (इकाइयों की संख्या X एनएवी)
1					
2					
3					
...					
n					
कुल					

3. अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

I.	व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी): अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य	
II.	बेंचमार्क कार्पस (बीसी): निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार आईसी का मूल्य + (जमा) डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार अधिवर्षिता के समय आंशिक निकासी राशि का मूल्य - (घटा) अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वैच्छिक अंशदान का मूल्य	
III.	अंतिम निकासी (एफडब्ल्यू %)	
IV.	प्रतिनिधि वार्षिकी दर (अधिवर्षिता की तिथि के अनुसार, पीएफआरडीए द्वारा प्रकाशित)	
V.	प्रतिनिधि वार्षिकी राशि=आईसी X (1-एफडब्ल्यू%) X (प्रतिनिधि वार्षिकी दर) / (12 X 100) जहाँ {आईसी < = बीसी}	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

1. सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रोजगार विवरण:

i	फाइल संख्या	
ii	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii	अर्हक सेवा की शुरुआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
iv	मौलिक नियम 56(ज) के तहत अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता है)	
v	महीनों में अर्हक सेवा की अवधि (Q)	
vi	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि (L) (अंश को अनदेखा किया जाना है)	
vii	मासिक भुगतान की शुरुआत की तिथि (अधिवर्षिता के मामले में, अधिवर्षिता से अगला दिन या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति से अगला दिन)	

2. मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए मूल वेतन विवरण:

	मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)		मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)
माह 1				माह 7			
माह 2				माह 8			
माह 3				माह 9			
माह 4				माह 10			
माह 5				माह 11			
माह 6				माह 12			

12 महीने का औसत (मूल वेतन + एनपीए) = P

3. मौलिक नियम 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता से पहले अंतिम महीने का वेतन विवरण:

माह/वर्ष	मूल वेतन (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिए जाने वाले गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता सहित, यदि कोई हो)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल E= मूल वेतन + महंगाई भत्ता
एकमुश्त भुगतान के लिए अंतिम महीने का पारिश्रमिक (E)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में अभिदाता द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार और वेतन का विवरण अर्थात् अर्हक सेवा, अंतिम मूल वेतन, औसत मूल वेतन, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तिथि, अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण, जिसको कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर

डीडीओ कार्यालय का नाम

डीडीओ पंजीकरण संख्या

दिनांक :

स्थान :

फॉर्म बी2
(भाग डी)
पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ)
(सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया)

अभिदाता और कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
(पता जोड़ा जाना है)

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि :	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. अभिदाता के विवरण

नाम		कर्मचारी कोड / आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		अधिवर्षिता/एफआर 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि	
लिंग		पीएओ (कार्यालय का नाम)		डीडीओ (कार्यालय का नाम)	
पीएएन (PAN)		मंत्रालय / विभाग (जहां)			

		से सेवानिवृत्त हुए)			
--	--	---------------------	--	--	--

2. अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण :

नाम		पीएएन (PAN)	
जन्म तिथि		ईमेल आईडी	
लिंग		मोबाइल नंबर	

3. रोजगार और वेतन का विवरण :

I.	महीनों की संख्या में अर्हक सेवा की अवधि	
II.	पिछले 12 महीनों के मूल वेतन का औसत	
III.	अंतिम महीने का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)	
IV.	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि	
V.	मासिक भुगतान के आरम्भ होने की तिथि	
VI.	स्वीकार्य भुगतान : सुनिश्चित भुगतान X (आईसी/बीसी) X (1-एफडब्ल्यू%) जहां {आईसी <= बीसी} (सुनिश्चित भुगतान = (पी का ½) x (क्यू / 300)) इस शर्त के साथ कि यदि (पी/2) X क्यू/300, Rs.10,000 से कम है, तो इसे Rs.10,000 माना जाएगा, जहां पी मूल वेतन है और क्यू महीनों में अर्हक सेवा है)	

अभिदाता को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति

4. अभिदाता को देय यूपीएस लाभ

	टॉप-अप भुगतान की शुरुआत की तिथि	
	एकमुश्त भुगतान	

	एकमुश्त भुगतान पर ब्याज	
	मासिक टॉप-अप राशि	
	स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत राशि	
	मासिक टॉप-अप की शुरुआत की तिथि तक मासिक टॉप-अप और लागू महंगाई राहत पर बकाया राशि	
	बकाया राशि पर ब्याज (यदि लागू हो)	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक:	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश**भाग-ए**

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि का फ़ील्ड सीआरए प्रणाली से लिया जाएगा, हालांकि, किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, यह अभिदाता द्वारा संपादन योग्य होगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**दावेदार द्वारा:**

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दावेदार के पीएन कार्ड की प्रति।
- iii. दावेदार के केवाईसी दस्तावेज।
- iv. एक संयुक्त तस्वीर।
- v. दावेदार का नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति (यदि अभिदाता द्वारा भौतिक रूप में फॉर्म जमा किया गया है)।

फॉर्म बी3

[विनियम 19, 20 और 23 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी का/की कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी, जो अभिदाता 01/04/2025 को या उसके बाद अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ और जो यूपीएस लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र था और उसने यूपीएस के तहत पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया था,

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी का
फोटोग्राफ

भाग-ए (कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी
द्वारा भरा जाना है)

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	----------------	--	---	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन संख्या	
-----	--	--------------	--

जन्म तिथि		लिंग	
-----------	--	------	--

3. केवाईसी विवरण

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से कोई एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

6. यूपीएस लाभों के क्रेडिट के लिए कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

घोषणा:

मैं _____ स्वर्गीय _____ का पति /की पत्नी हूँ और

मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक **24/01/2025** को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, **2025** के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य निकाय को पीएफआरडीए अधिनियम, **2013** और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण को एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता /करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)
--

दिवंगत अभिदाता के लिए दिए जा रहे यूपीएस लाभों का विवरण :

अभिदाता को उसकी मृत्यु की तिथि पर मासिक स्वीकार्य भुगतान	
मृत्यु की तिथि पर महंगाई राहत राशि	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)
--

सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रोजगार विवरण:

	फाइल संख्या	
	कर्मचारी कोड / आई डी	

iii	कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को (अभिदाता की मृत्यु पर) पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तिथि	
-----	--	--

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार का विवरण, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, अभिदाता की मृत्यु की तिथि जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।	
सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि विवरण सत्य और सही हैं।	
डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
डीडीओ कार्यालय का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

फॉर्म बी3 (भाग डी) पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) (सिस्टम द्वारा जनरेटेड)

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी की तस्वीर

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
(पता जोड़ा जाना है)

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि :	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार)	
-----	--	---------	--	--	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन	
जन्म तिथि		लिंग	

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति

3. कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय यूपीएस लाभ:

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तारीख (अभिदाता के निधन पर)	
मासिक पारिवारिक भुगतान (अभिदाता को दिए गए मासिक भुगतान का 60%)	
पारिवारिक भुगतान पर महंगाई राहत राशि	
पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तिथि तक दिवंगत अभिदाता को दिए गए अतिरिक्त मासिक भुगतान का समायोजन, यदि कोई हो	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक :	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची**दावेदार द्वारा:**

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दिवंगत सरकारी अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- iii. दावेदार के पीएएन कार्ड की प्रति।
- iv. दावेदार का केवाईसी दस्तावेज।
- v. एक तस्वीर।
- vi. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति।

फॉर्म बी4

[विनियम, 19 और 20 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता का कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी, जो अभिदाता 31/03/2025 को या उससे पहले अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ था और यूपीएस लाभों के लिए पात्र था और अभिदाता ने यूपीएस के तहत पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया था।

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कानूनी रूप से विवाहित
पति/पत्नी की तस्वीर

भाग-ए (दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी द्वारा
भरा जाना है)

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	----------------	--	---	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन	
जन्म तिथि		लिंग	

3. केवाईसी विवरण

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

6. यूपीएस लाभों के क्रेडिट के लिए कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

घोषणा:

मैं _____ स्वर्गीय _____ का पति /की पत्नी हूँ और

मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/01/2025 को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम,

2025 के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य निकाय को पीएफआरडीए अधिनियम, **2013** और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण को एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता /करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण के अनुसार)

दिवंगत अभिदाता के लिए दिए जा रहे यूपीएस लाभों का विवरण:

अभिदाता को मृत्यु की तिथि पर मासिक टॉप-अप भुगतान	
अभिदाता की मृत्यु की तिथि पर स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत राशि	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रोजगार विवरण:

i.	फाइल संख्या	
ii.	कर्मचारी कोड / आई डी	
iii.	कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान के शुरुआत की तिथि (अभिदाता की मृत्यु पर)	

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार का विवरण, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, अभिदाता की मृत्यु की तिथि जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर

डीडीओ कार्यालय का नाम

डीडीओ पंजीकरण संख्या

दिनांक :

स्थान :

फॉर्म बी4 (भाग डी)

पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ)

(सिस्टम द्वारा निर्मित)

कानूनी रूप से
विवाहित पति/पत्नी
की तस्वीर

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

(पता जोड़ा जाना है)

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	---------------	--	---	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएन	
जन्म तिथि		लिंग	

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति

3. कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय यूपीएस लाभ:

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तारीख (अभिदाता के निधन पर)	
मासिक पारिवारिक भुगतान (अभिदाता को दिए गए मासिक भुगतान का 60%)	
महंगाई राहत राशि (अभिदाता को दिए गए स्वीकार्य भुगतान के 60% पर)	
पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तिथि तक दिवंगत अभिदाता के लिए दिए गए अतिरिक्त मासिक भुगतान का समायोजन, यदि कोई हो	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक :	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को (पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दिवंगत सरकारी अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- iii. दावेदार के पीएएन कार्ड की प्रति।
- iv. दावेदार का केवाईसी दस्तावेज।
- v. एक तस्वीर।
- vi. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति।

फॉर्म बी5

[विनियम 19, 20 और 23 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता का कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी, जो अभिदाता 01/04/2025 को या उसके बाद अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ था और यूपीएस लाभों के लिए पात्र था और अभिदाता ने यूपीएस के तहत लाभ नहीं प्राप्त किया था

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कानूनी रूप से विवाहित
पति/पत्नी की तस्वीर

भाग-ए (कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी
द्वारा भरा जाना है)

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीएन संख्या	
लिंग		अधिवर्षिता/एफआर 56(अ) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि	
पीआरएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
सेवा में शामिल होने की तिथि			

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएन संख्या	
जन्म तिथि		लिंग	

3. केवाईसी विवरण

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से कोई एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

6. यूपीएस लाभों के क्रेडिट के लिए कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

7. अंतिम निकासी प्रतिशत - (कॉर्पस के 60% तक प्राप्त किया जा सकता है)

मैं अंतिम निकासी का विकल्प चुनना चाहता/चाहती हूँ (अभिदाता द्वारा यूपीएस लाभ नहीं प्राप्त करने की स्थिति में लागू)	व्यक्तिगत कॉर्पस का ...%
मैं यह विकल्प पूरी तरह से जानते हुए प्रयोग कर रहा/रही हूँ कि अंतिम निकासी आनुपातिक रूप से सुनिश्चित भुगतान को कम कर देगी।	

घोषणा:

मैं _____ स्वर्गीय _____ का पति /की पत्नी हूँ और

मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक **24/01/2025** को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, **2025** के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य निकाय को पीएफआरडीए अधिनियम, **2013** और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण को एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता /करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण के अनुसार)
--

दिवंगत अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

	व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी): अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार कॉर्पस का मूल्य	
	बेंचमार्क कॉर्पस (बीसी) (अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति की तिथि पर)	
	बेंचमार्क कॉर्पस (आईसी-बीसी) के सापेक्ष व्यक्तिगत निधि की अधिकता/कमी	
	अंतिम निकासी का प्रतिशत (%) (एफडब्ल्यू%)	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)
1. सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रोजगार विवरण:

	फ़ाइल संख्या	
	कर्मचारी कोड/आईडी	
	अर्हक सेवा की शुरुआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
	अधिवर्षिता / मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता है)	
	अर्हक सेवा की अवधि महीनों में (क्यू)	
	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि (एल) (अंश को अनदेखा किया जाना है)	
	स्वीकार्य भुगतान की तिथि (अधिवर्षिता के मामले में, अधिवर्षिता का अगला दिन या मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति का अगला दिन)	
	कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान की पात्रता की शुरुआत की तिथि (अभिदाता की मृत्यु पर)	

2. अधिवर्षिता / एफआर 56 (ज) के तहत सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए मूल वेतन विवरण:

	मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)		मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया जाने वाला गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)
माह 1				माह 7			
माह 2				माह 8			
माह 3				माह 9			
माह 4				माह 10			
माह 5				माह 11			
माह 6				माह 12			
12 महीने का औसत (मूल वेतन + एनपीए) = पी							

3. मौलिक नियम 56(ज)/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम महीने का वेतन विवरण:

माह/वर्ष	मूल वेतन (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिए जाने वाले गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते सहित, यदि कोई हो)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल E= मूल वेतन + महंगाई भत्ता
एकमुश्त भुगतान के लिए अंतिम महीने का पारिश्रमिक (E)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार का विवरण, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, अभिदाता की मृत्यु की तिथि जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।	
सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि विवरण सत्य और सही हैं।	
डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
डीडीओ कार्यालय का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

फॉर्म बी5 (भाग डी) यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) पीएओ द्वारा जारी किया गया (सिस्टम द्वारा निर्मित)

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी की तस्वीर
--

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
(पता जोड़ा जाना है)

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	----------------	--	---	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन	
जन्म की तिथि		लिंग	

3. रोजगार और वेतन का विवरण:

	महीनों की संख्या में अर्हक सेवा की अवधि	
	अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का औसत	
	सुनिश्चित भुगतान	
	अंतिम माह का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)	
	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि	
	मासिक स्वीकार्य भुगतान की शुरुआत की तिथि	
	कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान की पात्रता की तिथि (अभिदाता की मृत्यु पर)	

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति**4. कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय यूपीएस लाभ:**

एकमुश्त भुगतान	
बैंचमार्क निधि के सापेक्ष व्यक्तिगत निधि की अधिकता, यदि कोई हो	
अंतिम निकासी (यदि चुना गया है)	

मासिक पारिवारिक भुगतान (स्वीकार्य भुगतान का 60%) जहां स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान X आइसी / बीसी X (1 - अंतिम निकासी %)	
पारिवारिक भुगतान पर महंगाई राहत राशि	
पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तिथि तक का बकाया राशि (इसमें मासिक भुगतान की बकाया राशि औरस्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत शामिल है)	
i) अभिदाता की मृत्यु की तिथि तक अभिदाता को देय	
ii) अभिदाता की मृत्यु की तिथि के बाद कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक :	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि का फ़िल्ड सीआरए प्रणाली से लिया जाएगा, हालांकि, किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, यह अभिदाता द्वारा संपादन योग्य होगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दिवंगत सरकारी अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- iii. दावेदार के पीएएन कार्ड की प्रति।
- iv. दावेदार का केवाईसी दस्तावेज।
- v. एक तस्वीर।
- vi. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति।

फॉर्म बी6

[विनियम 4, 19 और 20 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता का कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी, जो अभिदाता 31/03/2025 को या उससे पहले अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुआ था और यूपीएस लाभों के लिए पात्र था और अभिदाता ने यूपीएस के तहत लाभ नहीं प्राप्त किया था

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कानूनी रूप से विवाहित
पति/पत्नी की तस्वीर

भाग-ए (दिवंगत अभिदाता की पति/पत्नी द्वारा भरा जाना है)

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीएन संख्या	
लिंग		अधिवर्षिता / मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तिथि	
पीआरएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
सेवा में शामिल होने की तिथि			

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएन संख्या	
जन्म तिथि		लिंग	

3. केवाईसी विवरण

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से कोई एक)	दस्तावेज़ का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी/ सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. संपर्क विवरण:

टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी			

6. यूपीएस लाभों के क्रेडिट के लिए कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता संख्या	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

घोषणा:

मैं _____ स्वर्गीय _____ का पति /की पत्नी हूँ और

मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक **24/01/2025** को जारी अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर और समय-समय पर यथासंशोधित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, **2025** के तहत अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है। मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं उक्त अधिसूचना और विनियमों के अनुसार यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़े किसी अन्य निकाय को पीएफआरडीए अधिनियम, **2013** और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण को एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता /करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण के अनुसार)

1. आंशिक निकासी का विवरण:

क्रमांक	आंशिक निकासी की तिथि	निकाली गई राशि	डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार निकाली गई इकाइयों की संख्या	अधिवर्षिता की तिथि पर डिफॉल्ट पैटर्न एनएवी	अधिवर्षिता की तिथि के अनुसार, डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार आंशिक निकासी का मूल्य (निकाली गई इकाइयों की संख्या X एनएवी)
1					
2					
3					
कुल					

2. स्वैच्छिक अंशदान का विवरण:

क्रम. सं.	स्वैच्छिक अंशदान की तारीख	स्वैच्छिक अंशदान की राशि	आवंटित इकाइयों की संख्या	अधिवर्षिता की तारीख पर एनएवी	अधिवर्षिता की तारीख पर स्वैच्छिक अंशदान का मूल्य (इकाइयों की संख्या * एनएवी)
1					
2					
3					
...					
n					
कुल					

3. दिवंगत अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

	व्यक्तिगत निधि (आईसी): अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार निधि का मूल्य - अधिवर्षिता की तिथि के अनुसार स्वैच्छिक अंशदान का मूल्य	
	बैंचमार्क कार्पस (बीसी): निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार आईसी का मूल्य + डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार अधिवर्षिता के समय आंशिक निकासी राशि का मूल्य - अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वैच्छिक अंशदान का मूल्य	
	अंतिम निकासी (एफडब्ल्यू%)	
	प्रतिनिधि वार्षिकी दर (अधिवर्षिता की तिथि के अनुसार, पीएफआरडीए द्वारा प्रकाशित)	
	प्रतिनिधि वार्षिकी राशि = $\text{आईसी}(1-\text{एफडब्ल्यू}\%) \times (\text{प्रतिनिधि वार्षिकी दर}) / (12 \times 100)$ (रुपये में)	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

1. सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रोजगार विवरण:

	फाइल क्रमांक	
	कर्मचारी कोड/आईडी	

3. अधिवर्षिता / मौलिक नियम 56(ज) के तहत सेवानिवृत्ति / से पहले अंतिम महीने का वेतन विवरण:

माह/वर्ष	मूल वेतन (निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिए जाने वाले गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते सहित, यदि कोई हो)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल E= मूल वेतन + महंगाई भत्ता
एकमुश्त भुगतान के लिए अंतिम महीने का पारिश्रमिक (E)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार का विवरण, अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, अभिदाता की मृत्यु की तिथि जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि ऐसे प्रमाणन के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ का नाम एवं हस्ताक्षर

डीडीओ कार्यालय का नाम

डीडीओ पंजीकरण संख्या

दिनांक :

स्थान :

फॉर्म बी6 (भाग डी) पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) (सिस्टम द्वारा निर्मित)

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी की तस्वीर

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
(पता जोड़ा जाना है)

फाइल संख्या :		जारी करने की तिथि	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या:			

1. दिवंगत अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन संख्या		मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	----------------	--	---	--

2. अधिवर्षिता की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पीएएन	
जन की तिथि		लिंग	

3. रोजगार और वेतन का विवरण:

	महीनों की संख्या में अर्हक सेवा की अवधि	
	अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का औसत	
	अंतिम माह का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता)	
	पूर्ण छमाहियों में अर्हक सेवा की अवधि (अंश को अनदेखा किया गया है)	
	दिवंगत अभिदाता के लिए भुगतान शुरू होने की तिथि	
	कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान शुरू होने की तिथि (दिवंगत अभिदाता की मृत्यु पर)	
	स्वीकार्य भुगतान: सुनिश्चित भुगतान*(IC/BC) * (1-FW%) जहां {IC <= BC} (सुनिश्चित भुगतान = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$) इस शर्त के साथ कि यदि $(P/2) \times Q/300$ 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 माना जाएगा, जहां P मूल वेतन है और Q महीनों में अर्हक सेवा है)	

कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय स्वीकृत यूपीएस लाभों की स्वीकृति

4. कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय यूपीएस लाभ:

टॉप-अप भुगतान शुरू होने की तिथि	
एकमुश्त भुगतान	
एकमुश्त भुगतान पर ब्याज	
मासिक पारिवारिक भुगतान (अभिदाता को देय टॉप-अप राशि का 60%)	
स्वीकार्य भुगतान के 60% पर महंगाई राहत राशि	
पारिवारिक भुगतान की शुरुआत की तिथि तक का बकाया (मासिक टॉप-अप भुगतान और स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत का बकाया सहित)	
अभिदाता की मृत्यु की तिथि के बाद कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी को देय	

टॉप-अप और लागू महंगाई राहत के लिए बकाया राशि पर ब्याज (यदि लागू हो)	
टॉप-अप और लागू महंगाई राहत के बकाया राशि पर ब्याज (यदि लागू हो)	

पीएओ का नाम एवं हस्ताक्षर	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक :	स्थान :

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने के लिए अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक :	स्थान:

प्रतिलिपि,

अभिदाता को

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

1. तारांकित चिह्नों को छोड़कर सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं।
2. कृपया सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्थिति में आधार संख्या या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।

5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को ओटीपी या लागू होने वाले लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि का फ़ील्ड सीआरए प्रणाली से लिया जाएगा, हालांकि, किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, यह अभिदाता द्वारा संपादन योग्य होगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार संख्या दी जा रही है, तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पास बुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाता धारक के नाम और खाते का विवरण दिखाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दिवंगत सरकारी अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- iii. दावेदार के पीएएन कार्ड की प्रति।
- iv. दावेदार का केवाईसी दस्तावेज।
- v. एक तस्वीर।
- vi. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर।

डीडीओ द्वारा:

- i. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति।
- ii. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति।

अनुसूची II

[विनियम 12 देखें]

भारित औसत एनएवी (डिफॉल्ट पैटर्न)

महीना - साल	एनएवी
अप्रैल-08	10.0169
मई-08	10.0866
जून-08	9.9783
जुलाई-08	9.9720
अगस्त-08	10.0807
सितम्बर-08	10.2633
अक्टूबर-08	10.4036
नवम्बर-08	10.6600
दिसम्बर-08	11.7884
जनवरी-09	11.4626
फरवरी-09	11.5112
मार्च-09	11.5189
अप्रैल-09	12.0014
मई-09	11.9312
जून-09	11.9892
जुलाई-09	12.0483
अगस्त-09	11.9888
सितम्बर-09	12.1057
अक्टूबर-09	12.1193
नवम्बर-09	12.3082
दिसम्बर-09	12.3612
जनवरी-10	12.4054
फरवरी-10	12.3513
मार्च-10	12.5562
अप्रैल-10	12.6431
मई-10	12.8170
जून-10	12.9687
जुलाई-10	12.9630
अगस्त-10	13.0217
सितम्बर-10	13.3050
अक्टूबर-10	13.3025
नवम्बर-10	13.3356
दिसम्बर-10	13.4714

महीना - साल	एनएवी
जनवरी-11	13.2767
फरवरी-11	13.3305
मार्च-11	13.5694
अप्रैल-11	13.5311
मई-11	13.3990
जून-11	13.5915
जुलाई-11	13.6515
अगस्त-11	13.7151
सितम्बर-11	13.7352
अक्टूबर-11	13.6674
नवम्बर-11	13.6760
दिसम्बर-11	13.8600
जनवरी-12	14.2520
फरवरी-12	14.4285
मार्च-12	14.3269
अप्रैल-12	14.3985
मई-12	14.5384
जून-12	14.7626
जुलाई-12	14.8845
अगस्त-12	14.9999
सितम्बर-12	15.3255
अक्टूबर-12	15.4229
नवम्बर-12	15.5895
दिसम्बर-12	15.8031
जनवरी-13	16.0547
फरवरी-13	16.0440
मार्च-13	16.1008
अप्रैल-13	16.5458
मई-13	17.0449
जून-13	16.7816
जुलाई-13	15.9781
अगस्त-13	15.6236
सितम्बर-13	15.8324

अक्टूबर-13	16.2803
नवम्बर-13	16.2586
दिसम्बर-13	16.3700
जनवरी-14	16.4305
फरवरी-14	16.5176
मार्च-14	16.8651
अप्रैल-14	17.0500
मई-14	17.5693
जून-14	17.8120
जुलाई-14	17.9483
अगस्त-14	18.0605
सितम्बर-14	18.2917
अक्टूबर-14	18.8614
नवम्बर-14	19.2479
दिसम्बर-14	19.4854
जनवरी-15	20.0057
फरवरी-15	20.0860
मार्च-15	20.0660
अप्रैल-15	20.0252
मई-15	20.1517
जून-15	20.0376
जुलाई-15	20.3518
अगस्त-15	20.3791
सितम्बर-15	20.7275
अक्टूबर-15	20.8447
नवम्बर-15	20.7871
दिसम्बर-15	20.8167
जनवरी-16	20.7299
फरवरी-16	20.5749
मार्च-16	21.3101
अप्रैल-16	21.5913
मई-16	21.8058
जून-16	22.1155
जुलाई-16	22.8321
अगस्त-16	23.2344
सितम्बर-16	23.4793
अक्टूबर-16	23.6178
नवम्बर-16	24.3138

दिसम्बर-16	23.7789
जनवरी-17	24.1363
फरवरी-17	23.7790
मार्च-17	24.1551
अप्रैल-17	24.1904
मई-17	24.5885
जून-17	25.0057
जुलाई-17	25.3881
अगस्त-17	25.4314
सितम्बर-17	25.3854
अक्टूबर-17	25.5963
नवम्बर-17	25.5021
दिसम्बर-17	25.4862
जनवरी-18	25.5615
फरवरी-18	25.1638
मार्च-18	25.6182
अप्रैल-18	25.4962
मई-18	25.4489
जून-18	25.4858
जुलाई-18	25.9063
अगस्त-18	26.0361
सितम्बर-18	25.7509
अक्टूबर-18	25.9449
नवम्बर-18	26.6298
दिसम्बर-18	27.1161
जनवरी-19	27.1381
फरवरी-19	27.0954
मार्च-19	27.8787
अप्रैल-19	27.8151
मई-19	28.6110
जून-19	28.9874
जुलाई-19	29.3996
अगस्त-19	29.3282
सितम्बर-19	29.3810
अक्टूबर-19	29.8446
नवम्बर-19	30.0717
दिसम्बर-19	30.2054
जनवरी-20	30.1999

फरवरी-20	30.5728
मार्च-20	29.9191
अप्रैल-20	30.5958
मई-20	31.2102
जून-20	31.7616
जुलाई-20	32.4631
अगस्त-20	32.2234
सितम्बर-20	32.3033
अक्टूबर-20	33.0050
नवम्बर-20	33.6894
दिसम्बर-20	34.2231
जनवरी-21	34.1974
फरवरी-21	33.8183
मार्च-21	34.3118
अप्रैल-21	34.5690
मई-21	35.0699
जून-21	35.0854
जुलाई-21	35.2202
अगस्त-21	35.8914
सितम्बर-21	36.3718
अक्टूबर-21	36.3397
नवम्बर-21	36.4770
दिसम्बर-21	36.5480
जनवरी-22	36.3760
फरवरी-22	36.4891
मार्च-22	36.6811
अप्रैल-22	36.3259
मई-22	35.7391
जून-22	35.6202
जुलाई-22	36.4361
अगस्त-22	37.1241
सितम्बर-22	36.8472
अक्टूबर-22	37.1941
नवम्बर-22	37.8499
दिसम्बर-22	37.8120
जनवरी-23	37.8312
फरवरी-23	37.8462
मार्च-23	38.2325

अप्रैल-23	38.9491
मई-23	39.5675
जून-23	39.7059
जुलाई-23	40.0364
अगस्त-23	40.1459
सितम्बर-23	40.2593
अक्टूबर-23	40.1013
नवम्बर-23	40.7170
दिसम्बर-23	41.5727
जनवरी-24	41.9909
फरवरी-24	42.6008
मार्च-24	43.0157
अप्रैल-24	43.0274
मई-24	43.6209
जून-24	44.3142
जुलाई-24	44.9167
अगस्त-24	45.3459
सितम्बर-24	45.9843
अक्टूबर-24	45.6338
नवम्बर-24	45.8298
दिसम्बर-24	45.9490
जनवरी-25	46.0805
फरवरी-25	45.6371

फरवरी 2025 के बाद की अवधि(यों) के लिए,
प्रत्येक महीने के लिए भारत औसत एनएवी
अलग से घोषित की जाएगी।

अनुसूची III

[विनियम 12 देखें]

बेंचमार्क कॉर्पस की गणना के निदर्शी उदाहरण

1. 31.03.2025 को या उससे पहले अधिवर्षित/सेवानिवृत्त हुए अभिदाताओं के लिए

परिदृश्य 1: अभिदाता ने (i) निवेश की डिफॉल्ट योजना में जारी रखा है (ii) आंशिक निकासी की है और (iii) स्वैच्छिक अंशदान किया है

धारणार्थे :

- I. अभिदाता 05/01/2012 को भर्ती हुआ और अधिवर्षिता तक डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा
- II. अभिदाता ने 31.03.2021 को 1,00,000 रुपये की आंशिक निकासी की है |
- III. अभिदाता ने 31.03.2022 को 50,000 रुपये का स्वैच्छिक अंशदान दिया है |
- IV. अभिदाता 30.11.2024 को अधिवर्षित हो गया है |

आंशिक निकासी	
आंशिक निकासी की तिथि	31.03.2021
आंशिक निकासी की राशि	रु. 1,00,000
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी	रु. 34.3118
निकासी इकाइयों की संख्या	2914.4500
स्वैच्छिक अंशदान	
स्वैच्छिक अंशदान की तिथि	31.03.2022
अंशदान की राशि	रु. 50,000
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी	रु. 36.6811
डिफॉल्ट योजना के अनुसार जोड़ी गई इकाइयों की संख्या	1363.1000
अधिवर्षिती	
सेवानिवृत्ति की तिथि	30.11.2024

डिफॉल्ट योजना के अनुसार कॉर्पस (व्यक्तिगत कॉर्पस)	रु 15,88,888.91
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी	रु 45.8298
सेवानिवृत्ति की तिथि पर इकाइयां	34669.3400

अधिवांर्षिती की तिथि पर बेंचमार्क कॉर्पस इकाइयां

= व्यक्तिगत कॉर्पस यूनिट

(+) आंशिक निकासी की इकाइयों की संख्या

(-) स्वैच्छिक अंशदान की इकाइयों की संख्या

= 34669.3400 + 2914.4500 - 1363.1000

= 36,220.69

अधिवांर्षिती की तिथि पर बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य

= संचयी इकाइयाँ $\times$ एनएवी (अधिवांर्षिती की तिथि पर)

= 36,220.6900 $\times$ रु 45.8298

= रु.16,59,986.98

31 मार्च 2025 तक पिछले अधिवर्षित लोगों के मामले में, जिन्होंने सक्रिय निवेश विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और अधिवर्षित / सेवानिवृत्ति तक डिफॉल्ट पैटर्न में जारी रहे, बेंचमार्क कॉर्पस उपर्युक्त पद्धति के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

परिदृश्य 2 - अभिदाता ने - i) निवेश का सक्रिय विकल्प ii) आंशिक निकासी और iii) स्वैच्छिक अंशदान किया है

धारणायें:

- १) अभिदाता 05/01/2012 को भर्ती हुआ और डिफॉल्ट योजना के अंतर्गत शामिल किया गया ।
- २) अभिदाता ने 15.01.2020 को निवेश विकल्प का प्रयोग किया है ।
- ३) अभिदाता ने 31.03.2021 को रु. 1,00,000 की आंशिक निकासी की है ।
- ४) अभिदाता ने 31.03.2022 को रु. 50,000 का स्वैच्छिक अंशदान किया है ।
- ५) अभिदाता 30.11.2024 को अधिवर्षित हो गया है ।

निवेश विकल्प - परिवर्तन	
सक्रिय विकल्प में स्थानांतरण की तिथि	15.01.2020
स्थानांतरण की तिथि पर कॉर्पस (स्थानांतरण की तारीख से पहले कोई स्वैच्छिक या आंशिक निकासी नहीं की गई थी)**	₹. 8,00,000
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी (15.01.2020)	₹.30.1999
डिफॉल्ट योजना में इकाइयां (15.01.2020)	26,490.1539
अधिवार्षिता	
अधिवार्षिता की तिथि	30.11.2024
सक्रिय विकल्प का भारित औसत एनएवी	₹.29.6510
सक्रिय विकल्प के अनुसार इकाइयाँ (व्यक्तिगत कॉर्पस)	58,273.2639
सभी अनिवार्य (कर्मचारी + नियोक्ता) अंशदान की डिफॉल्ट योजना के अनुसार इकाइयां	36,220.6900
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी	₹.45.8298
डिफॉल्ट योजना के अनुसार बेंचमार्क कॉर्पस*	₹.16,59,986.98
सक्रिय विकल्प के अनुसार कॉर्पस	₹ 17,27,860.55

*बेंचमार्क 15.01.2020 से प्राप्त किया गया (निम्नलिखित गणना के लिए आंशिक निकासी और स्वैच्छिक को अनदेखा किया गया है)

** यदि सक्रिय विकल्प में स्थानांतरण से पहले कोई स्वैच्छिक या आंशिक निकासी की गई थी, तो उसका प्रभाव की परिदृश्य 1 के अनुसार गणना की जाएगी।

अंशदान	अंशदान की तिथि	अंशदान राशि	अंशदान की तिथि पर डिफॉल्ट योजना का एनएवी	इकाइयाँ
यूनिटों का ओपनिंग बैलेंस 15.01.2020 तक				26,490.15
मार्च-20	07.04.2020	9,540	29.9191	318.8599
अप्रैल-20	09.06.2020	10,017	31.2102	320.9528
मई-20	09.06.2020	10,017	31.2102	320.9528
जून-20	10.07.2020	10,017	31.7616	315.3808
---	---	---	---	---
अक्टूबर-24	04.11.2024	21,000	45.6338	460.1852
नवम्बर-24	30.11.2024	21,000	45.8298	458.2171
अधिवर्षिता पर	30.11.2024		45.8298	36,220.69

अधिवर्षिता की तिथि पर बेंचमार्क कॉर्पस = डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर अधिवर्षिता की तारीख पर कॉर्पस का मूल्य

$$= \text{कुल इकाइयाँ} \times \text{एनएवी डिफॉल्ट}$$

$$= 36,220.69 \times \text{रु } 45.8298$$

$$= \text{रु } 16,59,986.98$$

31 मार्च 2025 तक पिछले अधिवर्षित लोगों के मामले में, जिन्होंने 01 अप्रैल 2019 को या उसके बाद सक्रिय निवेश विकल्प का प्रयोग किया है, बेंचमार्क कॉर्पस उपर्युक्त विधि के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

2. 01.04.2025 को या उसके बाद अधिवर्षित/सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं के लिए

परिदृश्य 1: अभिदाता ने (i) निवेश की डिफॉल्ट योजना में जारी रखा है (ii) आंशिक निकासी की है और (iii) स्वैच्छिक अंशदान किया है

धारणार्ये:

- १) अभिदाता 05/01/2012 को भर्ती हुआ और अधिवर्षिता तक डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा ।
- २) अभिदाता ने 31.03.2021 को रु 1,00,000 की आंशिक निकासी की है ।
- ३) अभिदाता ने 31.03.2022 को रु 50,000 का स्वैच्छिक अंशदान किया है ।
- ४) अभिदाता 30.11.2027 में सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

आंशिक निकासी	
आंशिक निकासी की तिथि	31.03.2021
आंशिक निकासी की राशि	₹ 1,00,000
स्वैच्छिक अंशदान	
स्वैच्छिक अंशदान की तिथि	31.03.2022
अंशदान की राशि	₹.50,000
31.03.2025 को	
डिफॉल्ट योजना में इकाइयों की कुल संख्या	36,220.6900
अधिवार्षिता	
अधिवार्षिता की तिथि	30.11.2027
सभी अनिवार्य (कर्मचारी + नियोक्ता) अंशदान की डिफॉल्ट योजना के अनुसार इकाइयाँ	43,987.7522
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी*	₹.57.7864
डिफॉल्ट योजना के अनुसार बेंचमार्क कॉर्पस*	₹ 25,41,893.84

*अनुमानित एनएवी

31.03.2025 तक बेंचमार्क गणना = भाग 1 के परिदृश्य 1 के अनुसार प्राप्त अनिवार्य

**बेंचमार्क गणना 01.04.2025 से

महीने के लिए अंशदान	अंशदान तिथि	अंशदान राशि (₹.)	एनएवी तिथि	डिफॉल्ट पैटर्न का एनएवी (₹)*	इकाइयाँ
इकाइयों का प्रारंभिक शेष (31.03.2025 को)					36,220.6900
मार्च-25	10.04.2025	10,000	10.04.2025	47.4578	210.7135

अप्रैल-25	05.05.2025	10,000	05.05.2025	47.8877	208.8219
मई-25	27.06.2025	10,000	27.06.2025	48.0861	207.9603
जून-25	20.08.2025	10,000	31.07.2025	48.4457	206.4167
जुलाई-25	24.09.2025	10,500	31.08.2025	48.5155	216.4257
अगस्त-25	24.09.2025	10,500	24.09.2025	48.5290	216.3655
---	---	---	---	---	
सितम्बर-27	04.10.2027	22,000	04.10.2027	57.1873	384.7008
अक्टूबर-27	07.11.2027	22,000	07.11.2027	57.6829	381.3955
नवम्बर-27	30.11.2027	22,000	30.11.2027	57.7864	380.7124
30.11.2027 को अधिवर्षिता				57.7864	43,987.7522

*अनुमानित एनएवी

बेंचमार्क कॉर्पस = डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर अधिवर्षिता की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य

= कुल यूनिट x एनएवी डिफॉल्ट (अधिवर्षिता की तिथि पर)

= 43,987.7522 x 57.7864

= ₹. 25,41,893.84

परिदृश्य 2 - अभिदाता ने - i) निवेश का सक्रिय विकल्प ii) आंशिक निकासी और iii) स्वैच्छिक अंशदान किया है

धारणार्थः

- १) अभिदाता 05/01/2012 को भर्ती हुआ और डिफॉल्ट योजना के अंतर्गत शामिल किया गया
- २) अभिदाता ने 15.01.2020 को निवेश विकल्प का प्रयोग किया है
- ३) अभिदाता ने 31.03.2021 को ₹ 1,00,000 की आंशिक निकासी की है
- ४) अभिदाता ने 31.03.2022 को ₹ 50,000 का स्वैच्छिक अंशदान किया है
- ५) अभिदाता 30.11.2027 को अधिवर्षित हो गया है

निवेश विकल्प - परिवर्तन	
सक्रिय विकल्प में स्थानांतरण की तिथि	15.01.2020
स्थानांतरण की तिथि पर कॉर्पस (स्थानांतरण तक कोई स्वैच्छिक अंशदान या आंशिक निकासी नहीं)	₹ 8,00,000
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी (15.01.2020)	₹.30.1999
डिफॉल्ट योजना में इकाइयां (15.01.2020)	26,490.1539
अधिवार्षिता	
अधिवार्षिता की तिथि	30.11.2027
सक्रिय विकल्प का भारित औसत एनएवी	₹.47.1677
सक्रिय विकल्प के अनुसार इकाइयाँ	58,273.2639
सभी अनिवार्य (कर्मचारी + नियोक्ता) अंशदान की डिफॉल्ट योजना के अनुसार इकाइयाँ	50,200.6457
डिफॉल्ट योजना का भारित औसत एनएवी	₹.57.7864
डिफॉल्ट योजना के अनुसार बेंचमार्क कॉर्पस*	₹ 29,00,914.59
सक्रिय विकल्प के अनुसार कॉर्पस	₹ 34,27,860.55

*अनुमानित एनएवी

15.01.2020 से 31.03.2025 तक व्युत्पन्न बेंचमार्क = डिफॉल्ट योजना में 'जब और जिस समय' पर प्राप्त के आधार पर अनिवार्य अंशदान।

महीने के लिए अंशदान	अंशदान की तिथि	अंशदान राशि	एनएवी तिथि	डिफॉल्ट योजना का एनएवी*	इकाइयाँ
31.03.2025 तक बेंचमार्क गणना भाग II के परिदृश्य 1 के अनुसार है					36,220.6900
बेंचमार्क गणना 01.04.2025 से					
मार्च-25	10.04.2025	23,500	10.04.2025	47.4578	495.1768

महीने के लिए अंशदान	अंशदान की तिथि	अंशदान राशि	एनएवी तिथि	डिफॉल्ट योजना का एनएवी*	इकाइयाँ
अप्रैल-25	05.05.2025	23,500	05.05.2025	47.8877	490.7314
मई-25	27.06.2025	23,500	27.06.2025	48.0861	488.7067
जून-25	20.08.2025	23,500	31.07.2025	48.4457	485.0792
जुलाई-25	24.09.2025	24,700	31.08.2025	48.5155	509.1156
अगस्त-25	24.09.2025	24,700	24.09.2025	48.529	508.9740
जारी---	---	---	---	---	
सितम्बर-27	04.10.2027	29,900	04.10.2027	57.1873	522.8434
अक्टूबर-27	07.11.2027	29,900	07.11.2027	57.6829	518.3512
नवम्बर-27	30.11.2027	29,900	30.11.2027	57.7864	517.4228
30.11.2027 को अधिवार्षिता पर				57.7864	50,200.6457

*अनुमानित एनएवी

बेंचमार्क कॉर्पस = डिफॉल्ट पैटर्न के आधार पर अधिवार्षिता की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य

= कुल यूनिट X एनएवी_{डिफॉल्ट} (अधिवार्षिता की तिथि पर)

= 50,200.6457 X 57.7864

= ₹ 29,00,914.59

अनुसूची IV

[विनियम 13 देखें]

यूपीएस लाभों के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा की गणना के लिए चित्रण

विवरण	तिथि	अवधि
केंद्रीय सरकारी सेवा में भर्ती होने की तिथि	15.01.2010	-
सेवानिवृत्ति की तिथि	31.03.2026	
सेवा अवधि	16 वर्ष, 2 महीने और 16 दिन या 194 महीने और 16 दिन (एक महीने को 30 दिन माना गया है)	
विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्ति की अवधि**	15.01.2015-14.01.2017	24 महीने
अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि**	07.01.2018-06.12.2018	11 महीने
असाधारण अवकाश की अवधि**	01.02.2019 – 01.04.2019	2 महीने
जांच लंबित निलंबन की अवधि**	05.09.2023 – 04.03.2024	6 महीने

**विदेशी सेवा, अनधिकृत अनुपस्थिति, असाधारण अवकाश और निलंबन की अवधि की गणना के उद्देश्य से, अर्हक सेवा की गणना के लिए वास्तविक अवधि (महीने और दिन) की गणना की जाएगी।

परिदृश्य 1: निलंबन रद्द कर दिया गया और कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया गया, चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया, अनधिकृत अनुपस्थिति को पिछली सेवा की जब्ती के साथ माफ नहीं किया गया, प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए लागू प्राप्त नहीं हुआ।

- सेवा में शामिल होने से लेकर अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तक की अवधि = 194 महीने और 16 दिन।
- निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना गया = 6 महीने (05.09.2023 से 04.03.2024 तक)
- प्रतिनियुक्ति की अवधि को अर्हक सेवा से बाहर रखा गया = 24 महीने (15.01.2015- 14.01.2017)
- असाधारण अवकाश की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना गया = 2 महीने (01.02.2019 - 01.04.2019)
- अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण पिछली सेवा और अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि अयोग्य घोषित = 8 वर्ष, 10 महीने और 21 दिन या 106 महीने और 21 दिन (15.01.2010 से 06.12.2018 तक)

अर्हक सेवा = 194 महीने और 16 दिन - (24 महीने + 106 महीने + 21 दिन)

= 63 महीने और 25 दिन

*अर्हक सेवा अवधि को पूरे महीनों में 63 महीने के रूप में लिया जाएगा और शेष 25 दिनों की आंशिक अवधि को गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

Q < 120 होने के कारण, UPS लाभ लागू नहीं हैं।

परिदृश्य 2: जांच के बाद प्रमुख दंड लगाया गया (बर्खास्तगी और निष्कासन को छोड़कर), सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश को अर्हक सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी गई, अनधिकृत अनुपस्थिति को पिछली सेवा की जब्ती के बिना माफ कर दिया गया, प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए लागू प्राप्त हुआ।

- i. सेवा में शामिल होने से लेकर अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तक की अवधि = 194 महीने और 16 दिन।
- ii. निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा से बाहर रखा गया = 6 महीने।
- iii. प्रतिनियुक्ति की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना गया = 24 महीने।
- iv. असाधारण अवकाश की अवधि को अर्हक सेवा से बाहर रखा गया = 2 महीने।
- v. अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा की अयोग्य घोषित अवधि = 11 महीने (07.01.2018- 06.12.2018)।

अर्हक सेवा = 194 महीने और 16 दिन - (6 महीने + 2 महीने + 11 महीने)

= 175 महीने और 16 दिन

*अर्हक सेवा अवधि को 175 महीने के रूप में लिया जाएगा और 16 दिनों की आंशिक अवधि को गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

परिदृश्य 3: जांच के बाद प्रमुख दंड लगाया गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश को अर्हक सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी गई, अनधिकृत अनुपस्थिति को पिछली सेवा की जब्ती के बिना माफ कर दिया गया, प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए लागू प्राप्त नहीं हुआ।

- i. सेवा में शामिल होने से लेकर अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तक की अवधि = 194 महीने और 16 दिन।
- ii. निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा से बाहर रखा गया = 6 महीने।
- iii. प्रतिनियुक्ति की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना गया = 24 महीने।
- iv. असाधारण अवकाश की अवधि को अर्हक सेवा से बाहर रखा गया = 2 महीने।
- v. अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा की अयोग्य घोषित अवधि = 11 महीने (07.01.2018- 06.12.2018)

अर्हक सेवा = 194 महीने और 16 दिन - (6 महीने + 24 महीने + 2 महीने + 11 महीने)

= 151 महीने और 16 दिन

*अर्हक सेवा अवधि को 151 महीने के रूप में लिया जाएगा और 16 दिनों की आंशिक अवधि को गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

अनुसूची V

[विनियम 15(1)(iv) देखें]

विभिन्न परिदृश्यों में स्वीकार्य भुगतान के कार्य करने के दृष्टांतीय उदाहरण।

परिदृश्य 1: नीचे दिए गए परिदृश्यों पर मासिक सुनिश्चित भुगतान $\{(P/2) \times (Q/300)\}$ रु. 22,500 (व्यक्तिगत कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर या उससे अधिक) के आधार पर विचार किया गया है।

स्थिति 1: कर्मचारी किसी भी अंतिम निकासी का विकल्प नहीं चुनता है

मासिक सुनिश्चित भुगतान = रु. 22,500

स्वीकार्य भुगतान = रु. 22,500 प्लस लागू महंगाई राहत

स्थिति 2: कर्मचारी 60% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है

मासिक सुनिश्चित भुगतान = रु. 22,500

स्वीकार्य भुगतान = रु. 22,500 x (1-60/100)

रु. 9,000 और लागू महंगाई राहत

स्थिति 3: कर्मचारी 40% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है

मासिक सुनिश्चित भुगतान: रु. 22,500

स्वीकार्य भुगतान = रु. 22,500 x (1-40/100)

रु. 13,500 और लागू महंगाई राहत

स्थिति 4: कर्मचारी 20% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है

मासिक सुनिश्चित भुगतान: रु. 22,500

स्वीकार्य भुगतान: रु. 22,500 x (1-20/100)

रु. 18,000 और लागू महंगाई राहत

परिदृश्य 2: कर्मचारी 15 वर्ष, 11 महीने और 12 दिन पूरे करने के बाद 30/05/2025 को अधिवर्षित होता है और उसने यूपीएस का विकल्प चुना है

(i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 191 महीने है;

(ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अधिवाषिता से पहले 12 महीने का औसत मूल वेतन रु 52,894 है;

(iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले मूल वेतन रु 53,600 है;

- (iv) आंशिक निकासी के लिए अभ्यर्पित/निरस्त किये गए यूनिटों की संख्या के आधार पर अधिवार्षिता की तिथि पर रु. 1,15,000 का मूल्य, रु. 1,95,130 है;
- (v) अधिवार्षिता की तारीख को यूपीएस कॉर्पस रु 27,43,000 जिसमें सेवानिवृत्ति तक कोई स्वैच्छिक अंशदान नहीं है।
- (vi) अभिदाता पूरी सेवा में डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा है, सभी अंशदान नियमित और समय पर थे,
- (vii) अधिवार्षिता के समय 60% अंतिम निकासी का विकल्प चुना गया।
- (viii) अधिवार्षिता की तिथि पर कर्मचारी का बेंचमार्क कॉर्पस रु 29,38,130 है
- (ix) जनवरी 2025 में महंगाई राहत को 56% तक बढ़ा हुआ मानते हुए

पिछले महीने मूल वेतन: रु. 53,600

महंगाई भत्ता (@56% 30/05/2025 को): रु. 30,016

१. एकमुश्त भुगतान = $(E/10) \times L$

E = पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 53,600 + 30,016 = \text{रु } 83,616$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने}/6 = 191/6 = 31.83$$

= 31 (6 महीने की पूर्ण सेवा को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{83,616}{10} \right) \times 31 = 2,59,209.60$$

अगले पूर्णांक रु० तक पूर्णांक बनाया गया = रु 2,59,210

२. सुनिश्चित भुगतान = $(P \text{ का } 1/2) \times (Q/300)$ इस शर्त के साथ कि यदि $(P/2) \times Q/300$, रु. 10,000 से कम है, तो इसे रु. 10,000 के रूप में लिया जाएगा

$$= (1/2 \text{ of } 52,894) \times (191/300) = 16,837.92$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 16,838

३. स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान $\times (IC/BC) \times (1-FW\%)$

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = 16,838 \times \frac{27,43,000}{29,38,130} \times 0.40$$

$$= 6,287.90$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 6,288

४. महंगाई राहत (01/06/2025) = स्वीकार्य भुगतान $\times$ महंगाई राहत दर (%)

$$= 6,288 \times 56\%$$

$$= 3,521.28$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 3,522

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

५. मासिक भुगतान

$$= \text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत}$$

$$= 6,288 + 3,521.28$$

दोनों आंकड़े अगले पूर्णांक तक बदला गया है

$$= \text{रु } 9,810$$

परिदृश्य 3: कर्मचारी 15 वर्ष, 11 महीने और 12 दिन पूरे करने के बाद 30/04/2025 को अधिवर्षित होता है और उसने यूपीएस का विकल्प चुना है।

- (i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 191 महीने है;
- (ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने का औसत मूल वेतन रु 52,894 है;
- (iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अधिवार्षिता से पहले मूल वेतन रु 53,600 है;
- (iv) आंशिक निकासी के लिए अभ्यर्पित/निरस्त किये गए यूनिटों की संख्या के आधार पर अधिवार्षिता की तिथि पर रु. 1,15,000 का मूल्य, रु. 1,95,130 है;
- (v) अधिवार्षिता की तारीख को यूपीएस कॉर्पस रु 27,43,000 जिसमें अधिवार्षिता तक कोई स्वैच्छिक अंशदान नहीं किया गया है।
- (vi) अभिदाता पूरी सेवा में डिफॉल्ट पैटर्न में जारी रहा है, सभी अंशदान नियमित और समय पर थे,
- (vii) अधिवार्षिता के समय कोई अंतिम निकासी का विकल्प नहीं चुना गया।
- (viii) अधिवार्षिता की तारीख को कर्मचारी की बेंचमार्क कॉर्पस रु 29,38,130 है
- (ix) जनवरी 2025 में महंगाई राहत को 56% तक बढ़ा हुआ मानते हुए

1. एकमुश्त भुगतान = $(E/10) \times L$

E = पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 53,600 + 30,016 = 83,616 \text{ रुपये}$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने} / 6 = 191/6 = 31.83$$

= 31 (6 महीने की पूर्ण सेवा को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{83,616}{10} \right) \times 31 = 2,59,209.60$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक - रु 2,59,210

II. सुनिश्चित भुगतान = (P का 1/2) x (Q/300) इस शर्त के साथ कि यदि (P/2) X Q/300 रु10,000 से कम है, तो इसे रु10,000 के रूप में लिया जाएगा

$$= (52,894 \text{ का } 1/2) \times (191/300) = 16,837.92$$

अगले उच्च पूर्णांक तक बदला गया है- रु. 16,838

III. स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान x (IC/BC) x (1-FW%)

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = 16,838 \times \frac{27,43,000}{29,38,130} \times 1$$

$$= 15,719.73$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु 15,720

IV. महंगाई राहत (01/06/2025) = स्वीकार्य भुगतान x महंगाई राहत दर (%)

$$= 15,720 \times 56\%$$

$$= 8,803.20$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 8,804

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

V. मासिक भुगतान

$$= \text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत}$$

$$= 15,720 + 15,720 \times 56\%$$

$$= 15,720 + 8,803.2$$

दोनों आंकड़ों को अगले पूर्णांक तक बदला गया है

$$= 15,720 + 8,804$$

$$= \text{रु } 24,524$$

उपर्युक्त उदाहरणों में, एक परिदृश्य हो सकता है, जहां उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु 28.06.2025 को सेवानिवृत्ति के कुछ दिनों के बाद हो जाती है। उन्होंने पहले ही एकमुश्त भुगतान के यूपीएस लाभों का लाभ उठाया है। ऐसे मामले में, कर्मचारी 28.06.2025 तक उपर्युक्त गणना के अनुसार मासिक स्वीकार्य भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और उसके बाद परिवार का भुगतान अधिवार्षिता की तारीख को कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को स्वीकार्य होगा।

VI. पारिवारिक भुगतान (कर्मचारी के निधन के बाद कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को) 29.06.2025 से प्रभावी:

$$\begin{aligned}\text{मासिक भुगतान} &= \text{स्वीकार्य भुगतान का } 60\% + \text{महंगाई राहत} \\ &= 60\% \times 15,720 + (60\% \times 15,720) \times 56\% \\ &= 9,432 + 5,281.92\end{aligned}$$

दोनों आकड़ों को अगले पूर्णांक तक बदला गया है

$$\begin{aligned}&= 9,432 + 5,282 \\ &= ₹ 14,714\end{aligned}$$

परिदृश्य 4: कर्मचारी 30/05/2025 को 10 वर्ष, 3 महीने और 12 दिन पूरे करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है और उसने यूपीएस का विकल्प चुना है

- (i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 123 महीने है;
- (ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले बारह महीने का औसत मूल वेतन ₹ 25,250 है,
- (iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अधिवार्षिता से पहले मूल वेतन ₹ 25,400 है,
- (iv) अधिवार्षिता की तिथि पर यूपीएस कॉर्पस ₹ 8,00,000 है, जिसमें अधिवार्षिता तक कोई स्वैच्छिक अंशदान नहीं है और कोई आंशिक निकासी भी नहीं हुई है।
- (v) अभिदाता पूरी सेवा के दौरान डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा है।
- (vi) अधिवार्षिता के समय कोई अंतिम निकासी का विकल्प नहीं चुना गया।
- (vii) अधिवार्षिता की तिथि पर कर्मचारी का बेंचमार्क कॉर्पस ₹ 8,00,000 है।

पिछले महीने मूल वेतन: 25,400

महंगाई भत्ता (@56% 30/05/2025 को): 14,224

I. एकमुश्त भुगतान = $(E/10) \times L$

E = पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 25,400 + 14,224 = ₹ 39,624$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने} / 6 = 123/6 = 20.5$$

= 20 (पूर्ण सेवा के 6 महीने को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{39,624}{10} \right) \times 20 = \text{रु } 79,248$$

II. सुनिश्चित भुगतान:

= (P का 1/2) x (Q/300) इस शर्त के साथ कि यदि (P/2) X Q/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

$$= (25,250 \text{ का } \frac{1}{2}) \times (123/300) = 5,176.25$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित रु . 5,177

चूंकि (P/2) X Q/300 10,000 से कम है, इसलिए राशि 10,000 रुपये के रूप में ली जाती है।

III. स्वीकार्य भुगतान:

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = \text{सुनिश्चित भुगतान} \times (\text{IC/BC}) \times (1-\text{FW}\%)$$

$$\begin{aligned} \text{स्वीकार्य भुगतान} &= 10,000 \times \frac{8,00,000}{8,00,000} \times 1 \\ &= 10,000 \end{aligned}$$

IV. महंगाई राहत (01/06/2025) = स्वीकार्य भुगतान x महंगाई राहत दर (%)

$$= 10,000 \times 56\%$$

$$= \text{रु } 5,600$$

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

V. मासिक भुगतान:

$$= \text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य पर महंगाई राहत}$$

$$= 10,000 + 10,000 \times 56\%$$

$$= 10,000 + 5,600$$

$$= \text{रु } 15,600$$

अनुसूची VI

[विनियम 22 देखें]

जनवरी 2014 से मार्च 2025 की अवधि के लिए प्रतिनिधि वार्षिकी दरें (आरएआर)

$$\text{प्रतिनिधि वार्षिकी दरें} = JLWR\ 50 + \frac{(0.6-0.5)}{(1.0-0.5)} \times (JLWR100 - JLWR50)$$

जहाँ ;

JLWR50 वार्षिकी उत्पाद के अनुरूप औसत वार्षिकी दर है - उक्त महीने के लिए खरीद मूल्य की वापसी के बिना पति या पत्नी को 50 प्रतिशत के साथ संयुक्त जीवन की वार्षिकी; तथा

JLWR100 वार्षिकी उत्पाद के अनुरूप औसत वार्षिकी दर है- उक्त महीने के लिए खरीद मूल्य की वापसी के बिना पति या पत्नी को 100 प्रतिशत के साथ संयुक्त जीवन की वार्षिकी

जनवरी 2014 से मार्च 2025 की अवधि के लिए उपर्युक्त सूत्र के अनुसार गणना की गई प्रतिनिधि वार्षिकी दर इस प्रकार है:

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
जनवरी-14	8.12%
फरवरी-14	8.12%
मार्च-14	8.12%
अप्रैल-14	8.12%
मई-14	8.12%
जून-14	8.12%
जुलाई-14	8.12%
अगस्त-14	8.12%
सितम्बर-14	8.12%
अक्टूबर-14	8.12%
नवम्बर-14	8.12%
दिसम्बर-14	8.12%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
जनवरी-15	8.12%
फरवरी-15	8.12%
मार्च-15	8.12%
अप्रैल-15	8.12%
मई-15	8.12%
जून-15	8.12%
जुलाई-15	8.12%
अगस्त-15	8.12%
सितम्बर-15	8.30%
अक्टूबर-15	8.30%
नवंबर-15	8.30%
दिसम्बर-15	8.30%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
जनवरी-16	8.30%
फरवरी-16	8.30%
मार्च-16	8.30%
अप्रैल-16	8.30%
मई-16	8.30%
जून-16	8.30%
जुलाई-16	8.30%
अगस्त-16	8.30%
सितम्बर-16	8.30%
अक्टूबर-16	8.25%
नवम्बर-16	8.25%
दिसम्बर-16	8.25%
जनवरी-17	8.25%
फरवरी-17	8.23%
मार्च-17	8.23%
अप्रैल-17	8.23%
मई-17	8.05%
जून-17	8.05%
जुलाई-17	8.23%
अगस्त-17	8.23%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
सितम्बर-17	8.23%
अक्टूबर-17	8.23%
नवम्बर-17	8.26%
दिसम्बर-17	8.26%
जनवरी-18	8.18%
फरवरी-18	8.18%
मार्च-18	8.19%
अप्रैल-18	8.19%
मई-18	8.19%
जून-18	8.22%
जुलाई-18	8.22%
अगस्त-18	8.22%
सितम्बर-18	7.91%
अक्टूबर-18	7.92%
नवम्बर-18	8.03%
दिसम्बर-18	8.03%
जनवरी-19	7.99%
फरवरी-19	8.03%
मार्च-19	8.03%
अप्रैल-19	7.96%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
मई-19	8.02%
जून-19	8.02%
जुलाई-19	8.02%
अगस्त-19	7.96%
सितम्बर-19	7.67%
अक्टूबर-19	7.67%
नवम्बर-19	7.82%
दिसम्बर-19	7.82%
जनवरी-20	7.73%
फरवरी-20	7.73%
मार्च-20	7.65%
अप्रैल-20	7.59%
मई-20	7.64%
जून-20	7.64%
जुलाई-20	7.63%
अगस्त-20	7.63%
सितम्बर-20	7.22%
अक्टूबर-20	7.22%
नवंबर-20	7.21%
दिसम्बर-20	7.20%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
जनवरी-21	7.20%
फरवरी-21	7.20%
मार्च-21	7.20%
अप्रैल-21	7.20%
मई-21	7.20%
जून-21	7.20%
जुलाई-21	7.19%
अगस्त-21	7.20%
सितम्बर-21	7.20%
अक्टूबर-21	7.20%
नवम्बर-21	7.21%
दिसम्बर-21	7.21%
जनवरी-22	7.21%
फरवरी-22	7.31%
मार्च-२२	7.31%
अप्रैल-22	7.32%
मई-22	7.32%
जून-22	7.35%
जुलाई-22	7.42%
अगस्त-22	7.43%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
सितम्बर-22	7.46%
अक्टूबर-22	7.46%
नवम्बर-22	7.54%
दिसम्बर-22	7.57%
जनवरी-23	7.52%
फरवरी-23	7.57%
मार्च-23	7.57%
अप्रैल-23	7.52%
मई-23	7.50%
जून-23	7.42%
जुलाई-23	7.44%
अगस्त-23	7.43%
सितम्बर-23	7.43%
अक्टूबर-23	7.43%
नवम्बर-23	7.50%
दिसम्बर-23	7.50%
जनवरी-24	7.50%
फरवरी-24	7.43%
मार्च-24	7.43%
अप्रैल-24	7.38%

माह-वर्ष	प्रतिनिधि वार्षिकी दर
मई-24	7.38%
जून-24	7.37%
जुलाई-24	7.37%
अगस्त-24	7.30%
सितम्बर-24	7.30%
अक्टूबर-24	7.31%
नवम्बर-24	7.31%
दिसम्बर-24	7.31%
जनवरी-25	7.31%
फरवरी-25	7.31%*
मार्च-25	7.31%*

*प्रोविजनल (अलग से घोषित किया जाएगा)

अनुसूची VII

[विनियम 22 देखें]

31.03.2025 को या उससे पहले अधिवर्षित लोगों के लिए निदर्शी उदाहरण

परिदृश्य 1: कर्मचारी 10 वर्ष, 3 महीने और 12 दिन की सेवा पूरी करने के बाद 31/08/2016 को सेवानिवृत्त हो चुका है, 01/10/2016 से वार्षिकी प्राप्त करना शुरू कर दिया है और यूपीएस का विकल्प चुना है

- (i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 123 महीने है;
- (ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने का औसत मूल वेतन रु 25,250 है;
- (iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले मूल वेतन रु 25,400 है;
- (iv) उन इकाइयों की आंशिक निकासी जिनकी कीमत रु 91,000 थी और उन इकाइयों का मूल्य सेवानिवृत्ति की तारीख को रु 1,03,750 है, आंशिक निकासी के लिए अभ्यर्पित/निरस्त की गई इकाइयों की संख्या के आधार पर;
- (v) अधिवषता की तारीख को रु 8,00,000 का एनपीएस टियर-I कॉर्पस जिसमें अधिवर्षिता तक कोई स्वैच्छिक अंशदान नहीं है।
- (vi) सेवानिवृत्ति की तिथि (31/08/2016) पर लागू प्रतिनिधि वार्षिकी दर अनुसूची V में तालिका के अनुसार 8.30% प्रति वर्ष है
- (vii) कर्मचारी ने एनपीएस से बाहर निकलने के समय 60% एकमुश्त निकासी वापस ले ली है
- (viii) अधिवर्षिता की तिथि पर कर्मचारी का बेंचमार्क कॉर्पस 9,03,750 रुपये है।

पिछले महीने मूल वेतन: 25,400**महंगाई भत्ता (31/08/2016 को @2%): रु 508****I. एकमुश्त भुगतान = $(E/10) \times L$**

E= पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 25,400 + 508 = 25,908 \text{ रुपये}$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने} / 6 = 123/6 = 20.5$$

= 20 (पूर्ण सेवा के 6 महीने को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{25,908}{10} \right) \times 20 = \text{रु } 51,816$$

II. सुनिश्चित भुगतान = $(P \text{ का } 1/2) \times (Q/300)$ इस शर्त के साथ कि यदि $(P/2) \times Q/300$ रु 10,000 से कम है, तो इसे रु 10,000 के रूप में लिया जाएगा

$$= (\frac{1}{2} \text{ of } 25,250) \times (123/300) = 5,176.25$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित रु. 5,177

चूंकि (P/2) XQ/300 10,000 से कम है, इसलिए सुनिश्चित भुगतान 10,000 रुपये लिया गया है

III. स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान * (IC/BC) x (1-FW%)

$$\begin{aligned} \text{स्वीकार्य भुगतान} &= 10,000 \times \left(\frac{8,00,000}{9,03,750} \right) \times (1 - 60\%) \\ &= 3,540.80 \end{aligned}$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 3,541

IV. महंगाई राहत (01/09/2016 को) = स्वीकार्य भुगतान * महंगाई राहत दर (%)

$$\begin{aligned} &= 3,541 \times 2\% \\ &= 70.82 \end{aligned}$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 71

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

V. प्रतिनिधि वार्षिकी राशि = व्यक्तिगत कॉर्पस (1-एकमुश्त निकासी%) * (प्रतिनिधि वार्षिकी दर)/(12)

$$= (8,00,000 \times (1 - 0.6)) \times \frac{8.3\%}{12} = 2,213.33$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 2,214

VI. मासिक टॉप-अप राशि:

$$\begin{aligned} &= (\text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत} - \text{प्रतिनिधि वार्षिकी राशि}) \\ &= (3,541 + 3,541 \times 2\% - 2,214) \\ &= 1,397.82 \end{aligned}$$

अगले पूर्णांक तक पूर्णांक किए गए आंकड़े

$$= 1,398$$

उपर्युक्त दृष्टांतों में, एक परिदृश्य हो सकता है जहां, उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु 15/02/2021 को हुई हो। ऐसे मामले में, कर्मचारी 15/02/2021 तक उपर्युक्त गणना के अनुसार टॉप-अप राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और उसके बाद अधिवार्षिता की तारीख पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को पारिवारिक भुगतान स्वीकृत होगा।

VII. पारिवारिक भुगतान (कर्मचारी के निधन के बाद कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को) 16/02/2021 से प्रभावी:

16/02/2021 को महंगाई राहत दर: 17%

पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान = 60% X (स्वीकार्य भुगतान + स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत) – प्रतिनिधि वार्षिकी राशि)

$$= 60\% * (3,541 + 17\% \text{ of } 2,214) \\ = 1,157.38$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 1,158.

नोट: साधारण ब्याज पीपीएफ दर के अनुसार मासिक टॉप-अप राशि की बकाया राशि और दावा फॉर्म जमा करने के पिछले महीने तक एकमुश्त भुगतान पर देय होगी।

परिदृश्य 2: 30/11/2024 को 17 वर्ष, 09 महीने की अर्हक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ने 01/02/2025 से वार्षिकी प्राप्त करना शुरू कर दिया है और यूपीएस का विकल्प चुना है

- (i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 213 महीने है;
- (ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने का औसत मूल वेतन रु 52,894 है;
- (iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले मूल वेतन रु 53,600 है;
- (iv) आंशिक निकासी के लिए अभ्यर्पित/निरस्त की गई इकाइयों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर रु. 1,15,000 का मूल्य रु. 1,95,130 है;
- (v) अधिवार्षिता की तारीख को यूपीएस कॉर्पस रु 27,43,000 जिसमें अधिवार्षिता तक कोई स्वैच्छिक अंशदान नहीं किया गया है।
- (vi) अभिदाता पूरी सेवा में डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा है, सभी अंशदान नियमित और समय पर थे,
- (vii) अधिवार्षिता की तिथि (30/11/2024) को लागू प्रतिनिधि वार्षिकी दर अनुसूची VI में तालिका के अनुसार 7.31% प्रति वर्ष है
- (viii) अधिवार्षिता के समय 60% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुना गया.
- (ix) अधिवार्षिता की तारीख को कर्मचारी की बेंचमार्क कॉर्पस रु 29,38,130 है

पिछले महीने मूल वेतन: रु 53,600

महंगाई भत्ता (@53% 30/11/2024 को): रु 28,408

I. एकमुश्त भुगतान = $(E/10) \times L$

E = पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 53,600 + 28,408 = \text{रु } 82,008$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने} / 6 = 213/6 = 35.5$$

= 35 (6 महीने की पूर्ण सेवा को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{82,008}{10}\right) \times 35 = \text{रु } 2,87,028$$

II. सुनिश्चित भुगतान = (P का 1/2) x (Q/300) इस शर्त के साथ कि यदि (P/2) X (Q/300) 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा

$$= (1/2 \text{ of } 52,894) \times (213/300) = 18777.37$$

अगले उच्चतर पूर्णांक तक पूर्णांकित किया गया - रु 18,778

III. स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान x (IC/BC) x (1-FW%)

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = 18,778 \times \left(\frac{27,43,000}{29,38,130}\right) \times (1-0.60)$$

$$= 7,012.38$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 7,013

IV. महंगाई राहत (01/01/2025 को) = स्वीकार्य भुगतान X महंगाई राहत दर (%)

$$= 7,013 \times 53\%$$

$$= 3,716.89$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 3,717

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

V. प्रतिनिधि एन्युटी राशि = व्यक्तिगत कॉर्पस x (1-एकमुश्त निकासी%) x (प्रतिनिधि वार्षिकी दर)/(12 x 100)

$$= (27,43,000 \times (1 - 0.6)) \times \frac{7.31}{12 \times 100} = 6,683.78$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 6,684

VI. मासिक टॉप-अप राशि:

$$= (\text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत}) - \text{प्रतिनिधि वार्षिकी राशि}$$

$$= (7,013 + 7,013 \times 53\% - 6,684)$$

$$= 4,045.89$$

अगले पूर्णांक तक पूर्णांक किए गए आंकड़े

$$= 4,046$$

नोट: साधारण ब्याज पीपीएफ दर के अनुसार मासिक टॉपअप राशि के बकाया राशि और दावा फॉर्म जमा करने के पिछले महीने तक एकमुश्त भुगतान पर देय होगी।

परिदृश्य 3: कर्मचारी 10 वर्ष, 3 महीने और 12 दिन की सेवा पूरी करने के बाद 31/08/2016 को सेवानिवृत्त हो गया है, 01/10/2016 से वार्षिकी प्राप्त करना शुरू कर दिया है और यूपीएस का विकल्प चुना है

- (i) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित योग्यता सेवा 123 महीने है;
- (ii) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने का औसत मूल वेतन रु 25,250 है;
- (iii) पिछले महीने कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित सेवानिवृत्ति से पहले मूल वेतन रु 25,400 है;
- (iv) उन इकाइयों की आंशिक निकासी जिनकी कीमत 91,000 रुपये थी और उन इकाइयों का मूल्य अधिवाषिता की तारीख को रु 1,03,750 है, आंशिक निकासी के लिए अभ्यर्पित/निरस्त की गई इकाइयों की संख्या के आधार पर;
- (v) इकाइयों का स्वैच्छिक अंशदान जिनका मूल्य रु 1,80,000 था और उन इकाइयों का मूल्य इकाइयों की संख्या के आधार पर अधिवाषिता की तारीख को रु 2,00,958 है;
- (vi) एनपीएस टियर-I कॉर्पस अधिवाषिता की तारीख को रु 10,00,000।
- (vii) अधिवाषिता की तिथि (31/08/2016) पर लागू प्रतिनिधि वार्षिकी दर अनुसूची V में तालिका के अनुसार 8.30% प्रति वर्ष है
- (viii) कर्मचारी ने एनपीएस से बाहर निकलने के समय 60% एकमुश्त निकासी वापस ले ली है
- (ix) अधिवाषिता की तिथि को कर्मचारी का बेंचमार्क कॉर्पस रु 9,02,792 है

पिछले महीने मूल वेतन : 25,400

महंगाई भत्ता (31/08/2016 को @2%): 508

I. एकमुश्त भुगतान = (E/10) x L

E = पिछले महीने मूल वेतन (गैर-अभ्यास भत्ता सहित, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता

$$= 25,400 + 508 = 25,908 \text{ रुपये}$$

$$L = \text{अर्हक सेवा के महीने} / 6 = 123/6 = 20.5$$

$$= 20 \text{ (पूर्ण सेवा के 6 महीने को देखते हुए अंशों को अनदेखा किया जाना चाहिए)}$$

$$\text{एकमुश्त भुगतान} = \left(\frac{25,908}{10} \right) \times 20 = \text{रु } 51,816$$

II. सुनिश्चित भुगतान:

= (P का 1/2) x (Q/300)) इस शर्त के साथ कि यदि (P/2) x Q/300 रु10,000 से कम है, तो इसे रु10,000 लिया जाएगा

$$= (\frac{1}{2}25,250 \text{ का } \frac{1}{2}) * (123/300) = 5,176.25$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित रु. 5,177

चूंकि (P/2) X Q/300 10,000 से कम है, इसलिए सुनिश्चित भुगतान 10,000 रुपये लिया गया है

III. स्वीकार्य भुगतान:

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = \text{सुनिश्चित भुगतान} \times (\text{IC/BC}) \times (1-\text{FW}\%)$$

$$\text{स्वीकार्य भुगतान} = \text{सुनिश्चित भुगतान} \times (10,00,000/9,02,792) \times (1-60\%)$$

चूंकि IC > BC, IC की अधिकता को नजरअंदाज किया जाना है; IC को BC के बराबर माना जाएगा और इसलिए इस मामले में (IC/BC) 1 है।

$$= 10,000 \times 1 \times 0.40$$

$$= 4,000$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 4,000

IV. महंगाई राहत (01/09/2016 को) = स्वीकार्य भुगतान x महंगाई राहत दर (%)

$$= 4,000 \times 2\%$$

$$= 80$$

नोट: महंगाई राहत राशि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई दर (%) पर आधारित होगी।

V. प्रतिनिधि वार्षिकी राशि

$$= \text{व्यक्तिगत कॉर्पस} \times (1 - \text{एकमुश्त निकासी}\%) \times (\text{प्रतिनिधि वार्षिकी दर}) / (12 \times 100)$$

$$= (9,02,792 * (1 - 0.6)) * \frac{8.30}{12 \times 100} = 2,497.72$$

अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक रु. 2,498

VI. मासिक टॉप-अप राशि:

$$= (\text{स्वीकार्य भुगतान} + \text{स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत}) - \text{प्रतिनिधि वार्षिकी राशि}$$

$$= (4,000 + 4,000 \times 2\% - 2,498)$$

$$= \text{रु } 1,582$$

उपर्युक्त दृष्टांतों में, एक परिदृश्य हो सकता है जहां, उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु 15/02/2021 को हुई हो। ऐसे मामले में, कर्मचारी 15/02/2021 तक उपर्युक्त गणना के अनुसार टॉप-अप राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और उसके बाद अधिवाषिता की तारीख को कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को पारिवारिक भुगतान स्वीकार्य होगा।

VII. पारिवारिक भुगतान (कर्मचारी के निधन के बाद कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को) 16/02/2021 से प्रभावी:

16/02/2021 को महंगाई राहत दर: 17%

$$\begin{aligned} \text{पति/पत्नी को पारिवारिक भुगतान} &= 60\% \text{ of (स्वीकार्य भुगतान + स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत) - प्रतिनिधि वार्षिकी राशि} \\ &= 60\% \times \{(4,000 + 17\% \text{ of } 4000) - 2,498\} \\ &= 1,309 \end{aligned}$$

नोट: साधारण ब्याज पीपीएफ दर के अनुसार मासिक टॉप-अप राशि की बकाया राशि और दावा फॉर्म जमा करने के पिछले महीने तक एकमुश्त भुगतान पर देय होगी।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./1044/2024-25]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March ,2025

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (OPERATIONALISATION OF UNIFIED PENSION SCHEME UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM) REGULATIONS, 2025

F. No. PFRDA-12/01/0001/2023-LEGAL.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (f) and (w) of sub-section (2) thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to operationalise the Unified Pension Scheme (UPS) introduced by the Central Government as an option under the National Pension System (NPS) for the employees of the Central Government who are covered under NPS, namely:

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short Title and Commencement. -(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025.

(2) The objective of these regulations is to lay down the framework to operationalise the UPS notified by the Central Government in the Ministry of Finance *vide* notification number F. No. FX-1/3/2024-PR, dated the 24th January 2025, and to define the obligations, roles and responsibilities of intermediaries and such Central Government offices as are involved with implementation thereof, and for matters connected therewith or incidental thereto.

(3) These regulations shall come into effect from 1st April 2025.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
- (b) “Authority” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013;
- (c) “Admissible Payout” means the amount payable to a UPS subscriber for life, in such proportion and in such manner as specified under these regulations;
- (d) “Benchmark Corpus” means a corpus as specified under regulation 12;
- (e) “Default pattern” means such choice of pension fund(s) and of investment pattern(s), as may be determined by the Authority in respect of individual corpus under UPS, from time to time;
- (f) “Family Payout” means the monthly amount payable to the legally wedded spouse of a deceased subscriber;
- (g) “Head of Office” means a Gazetted Officer as defined under the Delegation of Financial Powers Rules, 2024, issued by the Central Government, and includes such other authority or person whom the Central Government may, by order, specify as Head of Office;
- (h) “Individual Corpus” means the net asset value of units outstanding in the individual Permanent Retirement Account Number (PRAN) of a subscriber;
- (i) “Legally wedded spouse” means the spouse of a subscriber whose name appears as such in the service records as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, and who is surviving the deceased subscriber;
- (j) “Pool Corpus” means the fund specified under regulation 7;
- (k) “Qualifying Service” means the period of service in respect of a UPS subscriber, as determined in the manner specified under regulation 13;
- (l) “Schedule” means the schedules appended to these regulations;

- (m) “Unified Pension Scheme (UPS)” means an option available to employees of Central Government, who are covered under the NPS, in terms of the UPS Notification;
- (n) “UPS Notification” means the notification bearing number F. No. FX-1/3/2024-PR, dated the 24th January 2025, issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance;
- (o) “UPS Payout Order” means authorisation issued by the Pay and Accounts Officer (PAO) to National Pension System Trust containing such details as provided under regulation 20;
- (p) “UPS Subscriber” for the purpose of these regulations shall mean a Central Government employee who opts for and is enrolled under UPS in accordance with these regulations.

(2) Words and expressions used herein and not defined under these regulations, shall have the same meaning as defined under the Act and the existing regulations made thereunder.

CHAPTER II

APPLICABILITY

3. Applicability of Unified Pension Scheme. - (1) The option to avail benefits under UPS shall be available to the following category of persons—

- (i) An existing Central Government employee in service as on 1st April 2025, who is covered under NPS, in terms of sub-section (1) of section 20 of the Act;
- (ii) A new recruit in the Central Government services, who joins service on or after the 1st day of April 2025;
- (iii) (a) A Central Government employee who was covered under NPS and who has superannuated or voluntarily retired or has retired under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), on or before 31st March 2025; or
- (b) the legally wedded spouse in case of a subscriber who has superannuated or retired and has demised prior to exercising the option for UPS.

(2) The exercise of option in respect of an eligible employee to be covered under UPS shall be undertaken: -

- (i) within three months from 1st April 2025, or within such extended timelines if any, allowed by the Central Government, in respect of a person mentioned under clause (i) and clause(iii) of sub-regulation (1); and
 - (ii) within thirty days, from the date of joining Central Government services or within such extended timelines, if any, allowed by the Central Government, in respect of a person mentioned under sub-clause (ii) of sub-regulation (1)
- (3) The option once exercised shall be final and irrevocable.

CHAPTER III

ENROLMENT

4. Exercise of Option and Enrolment under UPS. - (1) A person falling under regulation 3, shall exercise the option for being covered under UPS, before end of the option exercise period in the following manner –

- (a) A Central Government employee in service as on 1st April 2025, who is subscribed to NPS shall submit an application to the concerned Drawing and Disbursing Officer (DDO) in Form A2 of *Schedule I* to enrol in UPS option under NPS in accordance with these regulations;
- (b) In case of a new recruit to the Central Government services joining on or after 1st April 2025, the existing process of enrolment under NPS shall continue. In case such new recruit chooses the UPS option under NPS, such person shall submit an application to the concerned DDO in Form A1 of *Schedule I*, to enrol in UPS option under NPS in accordance with these regulations;

(c) An eligible Central Government employee who has superannuated or retired under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, on or before 31st March 2025, and was covered under NPS, shall submit an application in Form B2 of *Schedule I* along with KYC documents, to the concerned DDO, to avail the benefits under the UPS option, in the manner specified under these regulations;

(d) In case of a deceased Central Government employee who has superannuated or retired under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, on or before 31st March 2025, and was covered under NPS and was eligible to avail benefits under UPS, the legally wedded spouse shall submit an application to the concerned DDO in Form B6 of *Schedule I*, along with KYC documents, to avail the benefits under the UPS option, when such benefits become due and payable in the manner specified under these regulations.

(2) The Forms listed as A1, A2, B2 and B6 in *Schedule I*, as may be applicable, may be submitted online through the CRA portal or physically to the Head of Office or DDO.

(3) In case of online submission of Forms through the CRA portal, the CRA shall provide an acknowledgement to such person and simultaneously forward the same to DDO for verification. The DDO shall update the records in CRA system after obtaining necessary details, from the Head of Office and forward the same to the PAO for its authorisation in such system.

(4) In case a person mentioned in sub-regulation (1) is not able to exercise the UPS option through the CRA portal, such person shall have the facility to submit Form physically to the Head of Office directly or through DDO. In such cases, the Head of Office shall forward the option information to the DDO. The DDO shall update the records in the CRA system after obtaining necessary information received from the Head of Office and forward the same to PAO for its authorisation in such system.

(5) A person eligible to exercise option as provided under sub-regulation (1) and who does not exercise the UPS option under NPS within the timelines laid down shall be deemed to have opted to continue under NPS without UPS option.

5. Permanent Retirement Account Number (PRAN). – (1) An employee specified under clause (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 4 who has opted for UPS option under NPS by submitting Forms A1 or A2, as may be applicable and whose application has been duly authorised by the concerned PAO, in the manner specified under the said regulation, shall be identified by a Permanent Retirement Account Number tagged to UPS.

(2) In respect of a person specified under clause (c) and (d) of sub-regulation (1) of regulation 4 and who has opted for UPS option under NPS by submitting Form B2 or B6, as applicable and upon due authorisation by the concerned PAO, shall be identified by his erstwhile PRAN, tagged to UPS.

(3) The CRA shall transfer the individual corpus of UPS Subscriber falling under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4, upon opting for UPS and after due authorisation by the concerned PAO, to the PRAN tagged to UPS in such manner and within such timelines as may be determined by the Authority.

(4) UPS Subscriber may, in addition to his UPS account, have additional account under NPS (Tier I and Tier II) on a voluntary basis under All Citizen model.

CHAPTER IV

CONTRIBUTIONS

6. Individual Corpus. – (1) The monthly contribution of the UPS Subscriber shall be ten percent. of the basic pay (including non-practising allowance, where applicable) and dearness allowance thereon, which shall be credited to the individual PRAN of UPS Subscriber.

(2) The monthly contribution of the UPS Subscriber shall be matched by the Central Government by crediting an equal amount, to the individual PRAN of the UPS subscriber.

(3) The DDO shall deduct the contribution from the salary of the Central Government employee and send the bill to the PAO or Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO) as the case maybe along with the details of contribution deducted in respect of each UPS Subscriber on or before the twentieth day of each month.

(4) The PAO or the CDDO as the case may be shall, based on the details of contributions in respect of each UPS Subscriber sent by DDO to PAO or CDDO, prepare and upload a Subscriber Contribution File (SCF) and generate transaction ID in the system of the CRA, on or before the twenty fifth day of each month.

(5) The PAO or the CDDO as the case may be, shall remit the employee contribution and matching co-contribution by the Central Government to the trustee bank through the accredited bank by the last working day of each month.

Provided that the contribution for the month of March shall be remitted by the PAO or CDDO to the trustee bank through the accredited bank on the first working day of the month of April.

Provided further that in respect of an employee who has subscribed to NPS as on 31st March 2025, and has opted for UPS, the first contribution under UPS of such subscriber shall be credited in the month following exercise of choice by such subscriber.

Provided further that the first contribution of a newly recruited Central Government employee shall be credited to the individual PRAN within twenty days from the date of submission of application or by the last date of the month, in which the Central Government employee joined, whichever is later.

7. Pool Corpus. – (1) The Pool Corpus shall comprise of: -

(i) additional Central Government contribution at an estimated eight and half percent. of Basic Pay (including non-practising allowance, wherever applicable) plus Dearness Allowance, on aggregate basis of all employees who have chosen the UPS option;

(ii) transfer of balance from the individual corpus of a subscriber as per regulation 19 (3); and

(iii) any other contribution defined by the Central Government.

(2) The Pool Corpus shall be managed by the pension fund(s), in accordance with the instructions of the Central Government as specified under regulation 10 and such other directions as may be issued by the Authority in that behalf.

8. Fund Based System. -(1) The UPS, being a 'fund-based' system, relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions (from both the employee and the employer) for assured payout to the employees post superannuation or retirement, as the case may be.

(2) The assurance of timely and regular payout of benefits under UPS shall depend upon adequacy of funds under individual and pool corpus.

CHAPTER V

INVESTMENT OF CONTRIBUTIONS

9. Investment Objective. -The contributions shall be invested and managed by the pension fund(s) with an objective to optimize returns on the investments, ensuring safety of contribution in the interest of UPS subscriber(s). The pension fund(s) shall take adequate steps and exercise prudence, diligence, and its technical expertise while undertaking fund management.

10. Investment of Pool Corpus. – (1) The Pool Corpus shall be allocated to such pension fund(s) as determined by the Central Government, who shall invest the funds in accordance with the investment pattern and related aspects thereto, as approved by the Central Government. The Authority shall, subject to such instructions, issue investment guidelines which the pension funds shall adhere to.

(2) The Pool Corpus shall be audited annually by an auditor to be appointed by the Authority.

Explanation: Auditor shall have the same meaning as mentioned under section 141 of the Companies Act, 2013.

11. Investment of Individual Corpus. – (1) UPS Subscriber shall have an option to choose the pension fund and the investment pattern including a default pattern in accordance with the guidelines issued by the Authority, for the investment of contributions made in the individual corpus under UPS.

(2) UPS Subscriber shall have the choice of default pattern of pension fund(s) and default investment; or

(3) A UPS Subscriber may choose any one of the pension funds registered with the Authority.

Provided that a UPS subscriber not exercising such choice of pension fund shall be deemed to have opted for default pattern as determined by the Authority.

(4) A UPS Subscriber exercising choice of pension fund other than default pattern, shall choose any one of the following investment choices:

(i) option to invest hundred percent. of the funds in Government securities (Scheme G); or

(ii) option of any one of the following Life Cycle based schemes:

(A) Conservative Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at twenty- five percent. LC-25; or

(B) Moderate Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at fifty percent. LC-50.

(5) UPS Subscriber shall have an option to change the choice of pension fund once in a financial year and investment choice twice in a financial year.

(6) Pension fund shall give out easily understandable information about past performance of its schemes to the UPS Subscriber to enable such subscriber to make informed choices while opting for pension fund and investment patterns.

(7) UPS Subscriber exercising choice of pension fund and investment pattern, as permissible, shall be entitled to surplus amount, if any, or be liable for shortfall, if any, in the individual corpus under UPS, as compared to the benchmark corpus.

(8) Surplus amount (*i.e.*, the excess of individual corpus over benchmark corpus), if any, computed on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, shall be paid to the UPS subscriber after issuance of the UPS Payout order.

(9) Shortfall amount (*i.e.*, the deficit of individual corpus as compared to benchmark corpus), if any, may be replenished by the UPS subscriber at any point of time before or on superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, and not later than submission of Form B1. If such shortfall is not replenished by the

UPS Subscriber, then such subscriber shall be entitled to proportionately reduced payout at the time of superannuation or retirement.

(10) The value and units in the individual corpus and benchmark corpus of the UPS Subscriber shall be informed to such subscriber by the CRA.

Provided that a final computation of the value of the individual corpus as compared to the benchmark corpus of a UPS Subscriber shall, for the purpose of availing benefits, be determined as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable.

(11) The information of individual corpus and the benchmark corpus of a UPS Subscriber shall be available in the UPS PRAN account statement on a monthly basis.

12. Benchmark Corpus. - (1) For each employee covered under NPS, who has exercised the UPS option, a benchmark corpus value shall be computed by CRA for comparison with individual corpus based on the following assumptions:

- (i) regular and timely receipt of applicable contributions of both, employer and employee, for each month of qualifying service, as specified under sub-regulation (1) and (2) of regulation 6;
- (ii) contributions being invested as per default pattern determined by the Authority;
- (iii) no partial withdrawals made during accumulation phase;
- (iv) any voluntary contributions made shall not be considered; and
- (v) any contributions for the period before the commencement of the qualifying service under the Central Government shall not be considered.

(2) The Benchmark Corpus value shall be based on the net asset value (NAV) of the default pattern, and corresponding units in the benchmark corpus. In respect of missing contribution(s), for any period, the net asset value shall be based on last working day of the month in which contribution(s) is to be received, for the period from 01st April 2025 and the same shall be declared for each month by the Authority.

(3) Where UPS Default Pattern is managed by more than one pension fund, the weighted average NAV shall be considered based on the ratio of the monthly average asset under management (AAUM) of UPS scheme managed by the pension fund to the total AAUM of UPS Default pattern managed by such multiple pension funds. The formula for calculating the weighted average NAV is as under:

$$NAV = \sum_{i=1}^n W_i * NAV_i$$

Where,

$$W_i = \frac{AAUM_i}{\sum_{i=1}^n AAUM_i}$$

where 'i' is the pension fund and 'n' is the total number of Pension Funds under Default Pattern;

$AAUM_i$ is the average scheme AUM for the said month for the *ith* pension fund

$W_1, W_2, W_3, \dots, W_n$ are the weights based on the average scheme AUM of the month for each pension fund for the considered month; and

$NAV_1, NAV_2, NAV_3, \dots, NAV_n$ are the NAVs corresponding to each pension fund respectively on last working day of the month

The NAV computed using the above-mentioned methodology for the past period is provided under *Schedule II*.

(4) Benchmark corpus shall be computed in the following manner:

- (i) Partial withdrawals made out of individual corpus and voluntary contributions made into the individual corpus shall not be considered in the computation.
 - (ii) For contributions received prior to 1st April, 2025: monthly contributions shall be considered as and when they have been received and be valued on default pattern.
 - (iii) For contributions received on or after 1st April, 2025: (a) monthly contributions which are to be received in that month, shall be considered as and when received during the month and valued on default pattern.
 - (b) In the event of any missing contribution in any month, value shall be based on the weighted average NAV of default pattern as on the last working day of the month applied to monthly contributions of previous full month.
 - (iv) Contributions arising from arrears, such as arrears of Dearness Allowance shall be considered and valued on the default pattern as and when they are received.
- (5) Illustrative examples as to working of benchmark corpus under different scenarios are provided under *Schedule III*.

CHAPTER VI

BENEFITS

13. Eligibility to receive Benefits. – (1) Subject to the conditions specified, UPS benefits shall be available only in the following cases:

- (a) In case of an employee superannuating after qualifying service of ten years, from the date of superannuation.
 - (b) In case of Central Government retiring an employee under the provisions of Fundamental Rule 56 (j) (which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) from the date of such retirement.
 - (c) In case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of twenty-five years, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.
- (2) Notwithstanding enrolment of an employee in the UPS option under NPS, such option shall cease to apply in case of a UPS Subscriber who has been removed or dismissed from service or who has resigned his services.

Explanation: For the purpose of benefits under these regulations, qualifying service shall be the completed months for which UPS subscriber has rendered regular services under the Central Government, to be determined by the Head of Office, where such subscriber was employed at the time of superannuation or retirement, as the case may be, taking into account the following:

- (i) (a) In respect of a Central Government employee covered under clause (i) and clause (iii) of sub-regulation (1) of regulation 3, qualifying service shall commence on such date from which such person was eligible to be enrolled under NPS in Central Government;
- (b) In respect of new recruits covered under clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 3, qualifying service shall commence on such date from which such person is eligible to be enrolled under UPS.
- (ii) The end date of qualifying service in respect of persons covered under sub-clause(a) and (b) of clause(i) of this explanation shall be the date of superannuation or retirement, as the case may be.
- (iii) In case of unauthorised absence from service, the qualifying service shall not include the entire past period of service including the period of such unauthorised absence, if the same is not condoned by the competent authority.

Provided that where any unauthorised absence is condoned by the competent authority, entire past period of service shall be counted towards qualifying service except the period of such unauthorised absence which shall not be counted.

Provided further that where any unauthorised absence is regularised by the competent authority through leave due and admissible to such employee, the entire past period and such regularised leave period shall be counted.

(iv) The qualifying service shall not include any period spent by an employee on deputation or foreign service for which applicable contribution has not been received under the individual corpus and the pool corpus. The applicable contribution share shall be calculated in such manner as may be determined by the Authority in consultation with Central Government.

(v) The qualifying service shall include the time passed by a Government employee under suspension pending inquiry into his conduct where, on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified. In cases not covered above, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the service rules governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the competent authority may declare. In all cases of suspension, the competent authority shall pass an order specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry shall be made in the service book of the Government employee in this regard.

(vi) In case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a Government employee - (i) due to his inability to join or re-join duty on account of civil commotion; or (ii) for prosecuting higher scientific and technical studies.

Provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate and extraordinary leave allowed to be counted as qualifying service under clause (v) above, at the time of grant of such leave, a definite entry shall be made in the service book of the Government employee to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than six months before the date of retirement of the Government employee on superannuation and if no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service.

The illustrative examples on computation of qualifying service are provided under *Schedule IV*.

14. Lumpsum Payment. -(1) A UPS Subscriber shall be entitled to lumpsum payment equivalent to one-tenth of last drawn basic pay (including non-practising allowance, if applicable) and dearness allowance thereon, as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, for each completed six months of qualifying service as certified by Head of Office.

(2) The lumpsum amount shall be calculated based on the following formula:

$$\text{Lumpsum Payment} = (E/10) \times L$$

Where;

Emoluments (E) = {Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance} on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable

Length of service (L) = number of completed six months of qualifying service as certified by Head of Office

Explanation: For the purpose of calculation of every completed six months of qualifying service, any period less than six months shall not be taken into account.

(3) This Lumpsum Payment shall be in addition to the assured payout payable to the UPS subscriber and shall not affect the quantum of assured payout and shall be payable upon superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable.

15. Payout under UPS. -(1) Payout shall be computed and payable as applicable, in the following manner:

(i) **Assured payout:** Assured payout shall be payable at fifty-percent. of the average of the last twelve months Basic Pay (as certified by Head of Office) immediately prior to the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, subject to completion of minimum twenty-five years of qualifying services by a UPS subscriber, computed as per regulation 13. The formula for calculating assured payout is as under:

$$\text{Assured Payout (A)} = (\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$$

Where:

P = average of Basic Pay for last twelve months, as certified by the Head of Office, from the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable

Q = months of qualifying service as certified by the Head of Office

(Provided where Q is -

Less than 120, UPS shall not be applicable

More than 300, then Q shall be taken as 300)

(ii) **Minimum Guaranteed Payout:** The minimum guaranteed payout under UPS shall be Rupees Ten Thousand per month subject to completion of minimum ten years of qualifying services by a UPS subscriber. The formula for calculation of Minimum guaranteed payout:

If $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300) < 10,000$, and:

Q is more than or equal to 120

Then Minimum guaranteed payout shall be Rs. 10,000/-

(iii) **Proportionate Payout:** In case of Qualifying service period of ten years or more, but less than twenty-five years, proportionate payout shall be payable.

(iv) **Admissible Payout:** Assured payout shall be proportionately reduced in any or both of the following cases –

(a) Individual corpus is less than the benchmark corpus as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable;

(b) Final withdrawal not exceeding sixty percent. of the individual corpus, as opted by a subscriber.

The assured payout so proportionately reduced shall be payable as admissible payout. The formula for calculating admissible payout is as under:

$$\text{Admissible Payout} = \text{Assured Payout} \times \text{IC/BC} \times (1 - \text{FW}\%)$$

Where,

IC = value of Individual Corpus

BC = value of Benchmark Corpus

with condition of $IC \leq BC$

FW = Final withdrawal in percentage points (maximum upto sixty percent of Individual Corpus or Benchmark Corpus, whichever is lower).

Provided that if the individual corpus is less than benchmark corpus, UPS Subscriber shall have a choice to replenish the shortfall at any point of time before or on superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable.

Illustrative examples as to working of admissible payout under different scenarios are provided under *Schedule V*.

(2) Final Withdrawal Percentage:(i) UPS Subscriber or the legally wedded spouse, as the case may be, shall also have an option to withdraw an amount not exceeding sixty percent. of the individual corpus or benchmark corpus, whichever is lower, available in the PRAN tagged to UPS as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, subject to proportionate reduction in the assured payout payable to such UPS Subscriber.

Provided that in case the individual corpus is more than the benchmark corpus as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, the final withdrawal amount shall be calculated on the benchmark Corpus and the excess amount in the individual corpus shall be credited to the designated bank account of the UPS Subscriber.

(ii) Such final withdrawal shall be admissible on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable.

16. Family Payout. – (1) Upon demise of a UPS Subscriber who was receiving admissible payout, as the case may be, the legally wedded spouse of such deceased subscriber shall receive for life, family pay out of sixty percent. of the amount of the admissible payout drawn by the subscriber immediately prior to the demise.

(2) In case of a deceased Central Government employee under NPS who has superannuated or retired on or before 31st March 2025, and was eligible to receive benefits under UPS, the legally wedded spouse, upon submission of claim and authorisation thereof, shall receive the difference of sixty percent. of the admissible payout payable to such UPS Subscriber and sixty percent. of representative annuity amount, as family payout after the date of demise, besides following benefits that shall become vested in the deceased employee, on the date of superannuation or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, until the date of demise and be payable to the legally wedded spouse:

(i) lumpsum payment payable to such deceased employee;

(ii) monthly top-up amount payable to such deceased employee after the date of superannuation or retirement, until the date of demise;

(iii) applicable dearness relief; and

(iv) simple interest as per applicable Public Provident Fund rates on arrears with respect to above benefits for the past period, which interest shall become due from the following month after superannuation or retirement up to the month preceding the submission of claim Forms.

Provided that no interest shall be payable where the UPS option form is submitted beyond the stipulated time period, for the period of such delay.

17. Dearness Relief. – Dearness Relief as declared by the Central Government from time to time, shall be payable on the admissible payout and family payout, as the case may be. Dearness Relief shall be payable only when admissible payout commences.

CHAPTER VII

PARTIAL WITHDRAWAL

18. Partial Withdrawal. -(1) UPSSubscriber shall be eligible to make partial withdrawals from the individual corpus under the UPS PRAN, after completion of lock-in period of three years from the date of enrolment under UPS or NPS whichever is earlier, up to a maximum of three times in total including the number of withdrawals, if any already made under NPS in terms of PFRDA (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, during the entire tenure under UPS.

(2) Such withdrawals shall not be made for more than twenty-five percent. of the own contributions (excluding accretion thereon) made by the UPS Subscriber, as on the date of application for withdrawal and subject to such conditions as specified under this regulation.

(3) Such withdrawal request shall be permitted for any of the following purposes only:

(a) for higher education of his or her children including a legally adopted child;

(b) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;

(c) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permitted;

(d) for treatment of illnesses: if the UPS Subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any illness, which requires hospitalization;

(e) to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the UPS Subscriber;

(f) towards meeting the expenses by UPS Subscriber for skill development or reskilling or for any other self-development activities.

(4) Where a UPS Subscriber is suffering from any illness, the request for partial withdrawal may be submitted, by any family member of such subscriber, as recorded and certified by the nodal office.

(5) A subscriber who has made a partial withdrawal shall have an option to replenish the value of such withdrawal before the date of superannuation or retirement, as the case may be.

CHAPTER VIII

PAYMENT OF BENEFITS

19. Payments under UPS. – (1) The payment of benefits to UPS Subscriber shall be in accordance with the UPS Notification, these regulations and guidelines, circulars, instructions or any directions issued by the Authority or the Central Government, as the case may be.

(2) The application for payment of benefits under UPS shall be made in the applicable Forms in *Schedule I* and submitted to the Head of Office or DDO:

(i) In respect of benefits to a UPS subscriber covered under clause (i) and (ii) of sub-regulation (1) of regulation 3;

(a) The UPS Subscriber shall submit Form B1 contained in *Schedule I*, at the time of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable; or

(b) The legally wedded spouse shall submit Form B3, in case the deceased UPS subscriber has availed benefits under UPS or Form B5 in case the deceased UPS subscriber was eligible for UPS benefits but had not yet availed UPS benefits, to avail family payout after death of an employee.

(ii) In respect of benefits admissible to a UPS subscriber covered under clause (iii) of sub-regulation (1) of regulation 3:

(a) The past retiree shall submit Form B2 as provided in *Schedule I*.

(b) The legally wedded spouse shall submit Form B4, in case the deceased subscriber has availed benefits of UPS or Form B6 in case the deceased subscriber has not exercised the option of UPS as applicable, contained in *Schedule I* in case of past retirees, within the time specified for the purpose.

(3) The UPS Subscriber, at superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable, shall authorise the transfer of the value of units in the individual corpus to the pool corpus, which shall not exceed the value of the benchmark corpus. In case the value of the individual corpus authorised for transfer is less than the value of benchmark corpus, assured payout shall be proportionately reduced, unless the shortfall is replenished.

(4) In respect of employee who has superannuated or retired on or before 31st March 2025, there shall be no requirement of transfer of individual corpus to the pool corpus. However, benefits under UPS as are admissible to such employees shall be paid out of the Pool Corpus.

20. UPS Payout Order. – (1) The benefits payable to a UPS Subscriber shall be recorded by the respective PAO in a UPS Payout Order as provided in Form B1, B2, B3, B4, B5 or B6 in *Schedule I*, as may be applicable, and sent to the National Pension System Trust through CRA. A copy of such UPS Payout Order shall simultaneously be made available to the UPS Subscriber or the legally wedded spouse, as the case may be.

(2) The UPS Payout Order shall include the following details:

i. requisite details of UPS Subscriber including particulars of legally wedded spouse of such subscriber as appearing in the service records, as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable;

ii. the period of qualifying service (in accordance with regulation 13) determined by the Head of Office, at the time of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965), as may be applicable;

iii. Details of joint bank account of the UPS Subscriber and legally wedded spouse;

iv. Percentage of final withdrawal upto sixty percent. of individual corpus as opted by UPS Subscriber;

v. Details of benefits applicable under UPS as specified under these regulations, such as:

a. lumpsum payment;

b. value of individual corpus and benchmark corpus as computed by the CRA in its system;

c. assured payout;

d. admissible payout;

e. family payout;

f. applicable dearness relief.

vi. the date of commencement of admissible payout to subscriber; and

vii. such other details as may be determined for facilitating payments.

(3) In the case of an employee seeking voluntary retirement after completion of twenty-five years of qualifying service, the UPS payout order shall mention the date of commencement of admissible payout, being the next day after the date, employee would have superannuated if continued in service.

21. Processing of UPS Payout Order. - (1) Upon receipt of UPS Payout Order, NPS Trust shall authorise -

- (i) release of admissible payout;
- (ii) release of lumpsum payment;
- (iii) release of final withdrawal;
- (iv) release of the surplus amount in the individual corpus, if any over the benchmark corpus; and
- (v) dearness relief on the Admissible Payout.

(2) The NPS Trust shall ensure payment of monthly payout from the Pool Corpus to the bank account of the UPS Subscriber and periodic release of applicable dearness relief. For this purpose, CRA shall intimate to the pension fund to effect redemption from the Pool Corpus for payment of such payout to the subscriber.

22. Payment of benefits to Superannuated or Retired Employees under National Pension System. - (1) In respect of superannuated or retired employee under NPS on or before 31st March 2025, and who has complied with the requirements under regulation 4 and regulation 19 shall be eligible to receive the following benefits -

- (i) lumpsum payment;
- (ii) monthly top-up amounts due immediately after the date of superannuation or retirement;
- (iii) applicable dearness relief; and
- (iv) simple interest as per applicable Public Provident Fund rates on arrears with respect to above benefits for the past period from the month after superannuation up to the month preceding the submission of claim forms.

Provided that no interest shall be payable for the period beyond the last date of submission of option or claim as per clause (ii) of regulation 3.

(2) The benefits specified under sub-regulation (1) shall be in addition to the benefits availed or accrued to such employee under NPS including annuity, if any under NPS.

(3) The monthly top-up amount admissible to a person shall be the sum of admissible payout and Dearness Relief thereon less the applicable representative annuity amount for such person computed under this regulation. The computation of representative annuity amount for such person shall be based on the annuity rate declared by the Authority, utilising such percentage of the individual corpus under NPS Tier I annuitized at the time of exit from NPS. The representative annuity rates for the period from January 2014 to March 2025 are provided in *Schedule VI*.

(4) The formula for computing monthly top-up amount is as under:

Monthly top-up = (Admissible Payout + Dearness Relief on Admissible Payout) - Representative Annuity amount

Where;

(a) Admissible Payout = Assured Payout x ((IC / BC) x (1-FW%))

In case IC is greater than BC, IC shall be taken as equal to BC.

Where, Assured Payout, IC, BC and FW shall be as per applicable regulations

(b) Representative Annuity Amount = Individual Corpus x (1-FW%) x (Representative Annuity Rate) / (12 x 100).

In case IC is greater than BC, IC shall be taken as equal to BC.

The Dearness Relief in respect of employees superannuating or retiring as the case may be, after implementation of subsequent pay commission, shall be as determined by the Central Government.

Dearness relief shall only be applicable with effect from 01st January 2016 as per 7th Pay Commission rates.

Illustrative examples of top-up amount computation are given under *Schedule VII*.

(5) In respect of such superannuated or retired employee as on 31st March 2025, who wants to avail the benefit of assured payout, instead of availing monthly top-up shall have the option to replenish the shortfall on account of partial withdrawal, if any, and equivalent to the benchmark corpus, as on the date of superannuation or retirement, as the case may be. The amount to be replenished shall be calculated at the NAV rate of units as on date of exercising the option.

(6) The National Pension System Trust shall authorise the release of benefits as contained in the UPS Payout order, from the pool corpus. The National Pension System Trust shall ensure payment of monthly top-up amount from the pool corpus to the bank account of the UPS Subscriber and periodic release of applicable Dearness Relief. For this purpose, CRA shall intimate the pension fund to effect redemption from the pool corpus for payment of such payout to the subscriber.

23. Filing of claim by eligible employee superannuating or retiring, as the case may be, from 1st April 2025. – (1) Every Head of Office shall have a list prepared every three months *i.e.*, on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October of every year of all the Central Government employees who are due to retire within the next twelve months from the respective date, and who are eligible for benefits under UPS.

(2) A copy of such list as specified in sub-regulation (1) shall be provided to the PAO concerned, not later than 31st January, 30th April, 31st July or 31st October as the case may be.

(3) The PAO shall keep updated the service records of such employees covered under sub-regulation (1).

(4) The CRA shall make available to DDO and PAO in their CRA system login the details of partial withdrawals made if any, by superannuated or retired employee, and value of individual corpus and benchmark corpus as on the date of superannuation or retirement.

(5) The DDO shall update the records in CRA system after obtaining necessary details, if required from Head of Office and forward the same to PAO for its authorisation in such system.

(6) Based on the verification of subscriber details by Head of Office, the PAO shall issue a UPS Payout order, as per Form B1, B3 or B5, as applicable, containing details as specified under regulation 20.

(7) Upon receipt of UPS Payout Order by National Pension System Trust together with option of final withdrawal if any by the UPS subscriber, the National Pension System Trust shall authorise the release of UPS benefits as specified under these regulations and authorise the transfer of the balance in the individual corpus to pool corpus.

(8) The National Pension System Trust shall ensure payment of monthly payout from the Pool Corpus to the bank account of the UPS subscriber and periodic release of applicable dearness relief. For this purpose, CRA shall intimate to the pension fund to effect redemption from the Pool Corpus for payment of such payout to the subscriber.

CHAPTER IX

ROLE OF INTERMEDIARIES AND OTHER ENTITIES

24. Intermediaries and Entities implementing UPS. – (1) UPS shall be implemented through NPS architecture, by such of the intermediaries registered with the Authority, namely National Pension System Trust, Pension Fund, Central Recordkeeping Agency, Trustee Bank and Custodian of Securities and the registration granted by the Authority under the Act and in terms of specific regulations shall enable such intermediaries to undertake activities under UPS, during the tenure of such registration. The nodal offices of the Central Government including Head of Office, PAO, DDO and CDDO shall also be part of the implementation process.

(2) The entities involved in implementation process shall perform their roles, duties, obligations and responsibilities in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations and any directives and instructions of the Central Government and the Authority, as the case may be.

(3) The performance of various obligations towards subscribers in discharge of its functions and the observance of code of conduct laid down under the specific regulations, under which such intermediary has been registered by the Authority shall *mutatis mutandis* apply to them under these regulations.

(4) The intermediaries entrusted with payout of benefits to subscribers including withdrawals and who hold and provide information and instructions for effecting such pay out, shall conduct its activities with utmost vigil and take measures to prevent unauthorised transactions. It shall be the duty of such intermediaries to prevent any fraud or mismanagement, causing any loss or prejudice to subscribers, in any manner. Towards this purpose, the intermediary shall deploy appropriate technology and trained human resources. The Key Managerial Personnel shall have the overall responsibility of discharging the obligation by the intermediary concerned.

Explanation: “Key Managerial Personnel” shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013.

(5) An intermediary shall ensure appropriate measures and secure its systems, commensurate to its roles and responsibilities, so as to prevent any fraud or mismanagement and avoid any loss to subscribers, either of monetary or non-monetary nature. Towards this purpose, the intermediary shall conduct periodic checks and report to its management and shall thereafter report to the Authority, through its compliance officer. Besides the intermediary concerned, other entities involved with implementation of UPS shall also devise suitable systems and procedures to avoid any prejudice to subscribers, and the Central Government. The intermediary shall submit a compliance certificate(s) to the Authority in respect of its activities under UPS while submitting the compliances under NPS, as stipulated under the respective intermediary regulations.

(6) The intermediaries and entities shall ensure seamless provision of services to subscriber by working in close coordination with each other and sharing of such facilities and information as is required. The National Pension System Trust shall be responsible to ensure such coordination as is required.

(7) Where any deviation or breach has been noticed by the Intermediary or the entity, it shall forthwith take corrective measures and remove any prejudice caused to subscribers or any group of subscribers, including provision of suitable restitution or compensation, as if such subscriber was not adversely affected, in any manner, notwithstanding any proceedings that may be initiated by the Authority.

(8) The functions, roles, duties, obligations and responsibilities of the intermediary towards provision of services under UPS, shall be in addition to and not in derogation of its functions, duties and responsibilities as laid down under the Act, rules and other regulations notified by the Authority.

25. National Pension System Trust. - (1) The National Pension System Trust undertaking the activities under UPS shall act in accordance with the trust deed and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, including the code of conduct.

(2) The National Pension System Trust shall perform its roles and responsibilities as provided under Chapter III of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 as if the reference to “National Pension System” in such regulations shall extend to “Unified Pension Scheme” option under NPS, as well.

(3) The power, functions and obligations of the Board of Trustees and Chief Executive Officer of the National Pension System Trust, arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 shall extend to activities under UPS, as provided under these regulations. The Chief Executive Officer and the Board of Trustees shall have the overall responsibility of discharging obligation of the National Pension System Trust under these regulations.

(4) The National Pension System Trust shall undertake activities for implementation of UPS in accordance with these regulations, including:

- (i) authorise release of UPS benefits, after due verification of UPS Payout Order issued by the PAO of the Central Government;
- (ii) authorise release of monthly payout from the Pool Corpus to the bank account of the UPS Subscriber or the legally wedded spouse, as the case may be, and periodic release of applicable dearness relief;
- (iii) periodic instructions to CRA to release applicable Dearness Relief;
- (iv) checking availability of valid life certificate in CRA system for release of monthly payouts;
- (v) authorizing transition of assured payout to legally wedded spouse, upon demise of the UPS subscriber;
- (vi) segregation of UPS scheme accounting;
- (vii) concurrent audits of assured pay out from pool corpus and its monitoring for Asset-Liability Management;
- (viii) ensure coordination among intermediaries and other entities implementing UPS and monitoring such activities;
- (ix) ensure adequate and timely reporting to the Authority and the Central Government as may be required; and
- (x) any other functions and activities instructed by the Authority.

26. Central Recordkeeping Agency. – (1) The CRA undertaking the activities under UPS shall comply with the terms and conditions of registration as provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, including the code of conduct and fit and proper criteria.

(2) The CRA shall perform its roles and responsibilities as provided under Chapter III of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 as if the reference to “National Pension System” in such regulations shall extend to “Unified Pension Scheme” option under NPS, as well.

(3) The CRA shall develop appropriate, adequate and dynamic technology, infrastructure, systems, procedures and processes for facilitating the activities under UPS by the concerned intermediaries and subscribers, including:

- (i) enrolment and identifiable UPS account to UPS Subscribers;
- (ii) enabling permissible choices to UPS Subscribers;
- (iii) providing systems and forms to intermediaries and entities to implement UPS;
- (iv) designing and providing UPS calculator;
- (v) disseminating information to UPS Subscriber, intermediaries and other entities involved in implementation of UPS;
- (vi) enabling National Pension System Trust to compute and authorise release of UPS benefits in terms of UPS Payout Order;
- (vii) undertaking activities for assured payout;
- (viii) obtaining valid life certificate of the payee on an annual basis and report the same to NPS Trust;
- (ix) periodic reporting to National Pension System Trust and Authority;
- (x) comparison of individual corpus with benchmark corpus;
- (xi) reconciliation of Pool Corpus;
- (xii) recordkeeping of UPS Payout Order;
- (xiii) recordkeeping of dearness relief and its application on assured payout;
- (xiv) providing UPS Subscribers’ data on an aggregate basis to pension fund for managing Asset-Liability Management;

(xv) authenticating partial withdrawals in accordance with regulation 18; and

(xvi) any other functions and activities instructed by the Authority.

(4) The CRA shall develop necessary system design and functionalities in its system and maintain adequate technological platform for operationalising the UPS, end to end, within the timelines laid down by the Authority.

(5) The obligations of the management of CRA, Compliance Officer and Principal Officer, appointed by CRA, arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 shall *ipso facto* extend to activities under UPS, as provided under these regulations.

(6) The CRA shall abide by the provisions of *Schedule III* of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, pertaining to infrastructure requirements with such modifications as are required to undertake its activities under UPS.

27. Pension Fund. - (1) The pension fund undertaking the activities under UPS shall comply with the terms and conditions of registration as provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015.

(2) The pension fund shall perform its roles and responsibilities as provided under Chapter III and Chapter IV of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, as if the reference to “National Pension System” in such regulations shall extend to “Unified Pension Scheme” option under NPS, as well.

(3) The obligations of the management of pension fund, compliance officer and key personnel arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 shall *ipso facto* extend to activities under UPS, as provided under these regulations.

(4) The pension fund shall abide by the provisions of *Schedule VI* of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 with such modifications as are required to undertake its activities under UPS.

(5) The pension fund shall undertake activities for implementation of UPS, including:

(i) maintenance of separate scheme and books of account for UPS;

(ii) executing assured pay out from pool corpus based on instructions from CRA;

(iii) liquidity management of Pool Corpus;

(iv) managing the Pool Corpus with the portfolio objective; and

(v) any other functions and activities instructed by the Authority.

28. Trustee Bank. - (1) The trustee bank undertaking the activities under UPS shall comply with the terms and conditions of registration as provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015, including the code of conduct and fit and proper criteria.

(2) The trustee bank shall perform its roles and responsibilities as provided under Chapter III of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015, as if the reference to “National Pension System” in such regulations shall extend to “Unified Pension Scheme” option under NPS as well.

(3) The obligations of the management of the trustee bank, compliance officer and principal officer, appointed by Trustee Bank, arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015 shall *ipso facto* extend to activities under UPS, as provided under these regulations.

(4) The trustee bank shall abide by its obligation pertaining to infrastructure requirements with such modifications as are required to undertake its activities under UPS.

29. Custodian of Securities. - (1) The custodian of securities undertaking the activities under UPS shall comply with the terms and conditions of registration as provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, including the code of conduct and fit and proper criteria.

(2) The custodian of securities shall perform its roles and responsibilities as provided under Chapter III of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, as if the reference to “National Pension System” in such regulations shall extend to “Unified Pension Scheme” option under NPS as well.

(3) The obligations of the management of the custodian of securities, compliance officer and principal officer, appointed by custodian of securities, arising under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, shall *ipso facto* extend to activities under UPS, as provided under these regulations.

(4) The custodian of securities shall abide by the provision of *Schedule IV* of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, pertaining to infrastructure requirements with such modifications as are required to undertake its activities under UPS.

CHAPTER X

FEES AND CHARGES

30. Fees and Charges. -The fees and charges for the services rendered by the intermediaries shall be in the mode and manner, and subject to such limits, as approved by the Authority. CRA shall be entitled to recover the charges in respect of services to UPS subscribers in the payout phase from Pool Corpus, within the limits approved by the Authority.

31. Regulatory Fees. -The intermediary shall be liable to pay to the Authority such fees and applicable taxes thereon for undertaking activities under these regulations, as determined by the Authority. In case of delay in payment of fee, the intermediary shall be liable for payment of simple interest at rates determined by the Authority or any late fee alongwith applicable taxes thereon.

CHAPTER XI

ACTION IN CASE OF DEFAULT BY INTERMEDIARIES

32. Action in case of Default. - (1) In case of any act of omission or commission by an intermediary which *prima-facie* entails violation of the provisions of the Act, or the rules or this regulation or any other regulations or instructions, directions or notifications issued either by the Central Government or the Authority, in relation to the provision of UPS, or is considered to be prejudicial to the interest of subscribers under UPS, such intermediary shall be liable to be proceeded against in terms of the provisions of the Act, these regulations and such other specific regulations applicable to the said intermediary, under which it has been granted registration by the Authority.

(2) The provisions of the specific regulations applicable to the said intermediary, dealing with suspension or cancellation of certificate of registration and action in case of default shall apply *mutatis mutandis* in respect of proceedings referred to in sub-regulation (1).

(3) The proceedings under sub-regulation (1) shall be without prejudice to any action that the Authority may initiate under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

(4) Besides the intermediary concerned, any person who is connected with such intermediary and in charge of and responsible for provision of services under UPS, including the principal officer(s) and compliance officer, shall also be liable to be proceeded with.

(5) Notwithstanding the provisions of sub-regulation (1) and sub-regulation (2) above, the conduct of any entity involved with the implementation of UPS, which *prima-facie* is in violation of the provisions of these regulations shall be reported by the Authority, to the Central Government, for taking appropriate action.

CHAPTER XII

INSPECTION AND AUDIT

33. Inspection and Audit. - (1) The inspection and audit of any intermediary, in relation to activities performed under these regulations, shall be in accordance with the provisions of the specific regulations, applicable to the said intermediary, under which it has been granted registration by the Authority. The relevant provisions pertaining to inspection and audit, shall apply *mutatis mutandis* in such a case.

(2) Without prejudice to provisions of sub-regulation (1), the Central Government or the Authority, may cause any special inspection or audit to be done, in relation to the activities of any intermediary under these regulations or any other entity involved with implementation of UPS, for securing orderly conduct and implementation of UPS or in the interest of subscribers under UPS. The Authority may devise any suitable mechanism for conduct of such special inspection or audit.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

34. Redressal of Subscriber Grievances. - The grievances of the subscriber shall be redressed in accordance with the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, and the intermediary shall have suitable mechanism for redressal of grievance of subscribers in accordance with the provisions of the said regulations.

35. Confidentiality. - The intermediary shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received or acquired by it during the course of its working. The intermediary shall ensure updated cyber security measures and prevent breach of data, at all times. It shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.

36. Conflict of Interest. -The intermediary shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest and shall put in place a mechanism to resolve any conflict-of-interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner. The intermediary shall make appropriate disclosure to Authority of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as such intermediary which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

37. Compliance and Corporate Governance. -(1) The intermediary shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place. It shall not engage in fraudulent and manipulative transactions and shall not indulge in any unfair competition including resorting to unfair means for inducing other intermediary of the Authority, which is likely to harm the interests of other intermediary or subscriber or is likely to place such other intermediary in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

(2) The intermediary shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.

(3)The intermediary shall comply with the directions given to it by the Authority, and shall co-operate with any person or entity designated by the Authority, as and when required and shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Authority or neglect or fail or refuse to submit to the Authority or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence and papers or any part thereof as may be demanded or requested from time to time.

(4) The intermediary shall ensure that any change in its registration status or any penal action taken by any authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of other intermediaries or subscribers is promptly informed to the Authority and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the Authority and as per the provisions of the relevant regulations.

38. Power of Authority to issue Clarifications. -In order to remove any difficulties in the implementation, application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications, instructions, guidelines or circulars.

Schedule I

[See Regulation 4, 19, 20 and 23]

Summary of Forms contained in Schedule I

Sl	Particulars	Form
1	Exercise of Option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS) and to avail its Benefits (new recruits on or after 1 st April 2025)	A1
2	Exercise of Option by an eligible Central Government employee presently subscribed to National Pension System (NPS) for being covered under Unified Pension Scheme (UPS)	A2
	Claim by Subscriber	
3	Claim and Payout Form: Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or after 1 st April 2025	B1
4	Claim and Payout Form: Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or before 1 st April 2025	B2
	Claim by Spouse (Death Cases)	
5	Claim and Payout Form: Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or after 1 st April 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had already availed benefits under UPS	B3
6	Claim and Payout Form: Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or before 31 st March 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had already availed benefits under UPS	B4
7	Claim and Payout Form: Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or after 1 st April 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefits under UPS	B5
8	Claim and Payout Form: Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated or retired on or before 31 st March 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefits under UPS	B6

Form A1

UNIFIED PENSION SCHEME (UPS) – SUBSCRIBER REGISTRATION FORM - Government Sector																		
Exercise of Option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS) and to avail its Benefits																		
Name of CRA														Paste recent photograph of 3.5 cm x 2.5 cm size / passport size (Do not sign across / staple / clip)				
Print my PRAN in Hindi		Yes		No		If yes, please submit details as per Annexure I												
Select your category [Please tick (√)]						Central Government												
To, National Pension System Trust Dear Sir/Madam,																		
I,.....Son/Daughter of Mr /Mrs.....having joined Central Government service on..... and having read and fully understood the provisions of the Unified Pension Scheme (UPS) as notified by the Central Government vide notification F.No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme, do hereby exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS). Further, I hereby acknowledge that this option exercised by me shall be final and irrevocable. I hereby request that an UPS account be opened in my name as per the particulars given below:																		
* indicates mandatory fields. Please fill the form in English and BLOCK letters (Refer general guidelines at instructions page.)																		
1. PERSONAL DETAILS: (Refer Sr. No. 1 of the instructions)														Use Annexure II if name exceeds the space provided below				
Salutation*		Shri		Smt		Kumari												
Applicant Name*																		
Father's Name																		
Mother's Name																		
Orphan Status*		Yes		No														
Either Father's or Mother's name is mandatory* on PRAN Card*						Select the name to appear				Father's Name		Mother's Name						
Date of Birth*		d	d	m	m	y	y	y	y									
Place of Birth*																		
Country of Birth*																		
PAN*										Nationality*								
Applicant Gender*		Male		Female		Transgender		Marital Status*		Unmarried		Married						
Legally wedded Spouse Gender (if married) *				Male		Female		Transgender		Legally wedded Spouse DOB (if married) *								
Legally wedded Spouse Name (if married)*																		
Income Range (per annum) *		Below 1 lac		1 lac to 5 lac		5 lac to 10 lac		10 lac to 25 lac		25 lac to 1 Cr		Above 1 Cr						
Please Tick if Applicable		Politically exposed person		Related to Politically exposed person		(Refer instruction no. 1)												
2. PROOF OF IDENTITY and ADDRESS (POI / POA)* (Any one of the following to be submitted)																		
Passport										Passport Expiry Date								
Driving License										Driving License Expiry Date								
Government ID Card										Voter ID Card								
CKYC Number																		
National Population Register																		
Proof of possession of Aadhaar						Provide last Four Digits. Redact or black-out first 8 digits of the Aadhaar number on submitted copy (Refer Sr. No. 2 of the instruction)												
3. ADDRESS DETAILS*																		
Line 1																		
Line 2		V I L L A G E / C I T Y																

[illegible]

I have understood the information requirement of the Form (read along with the FATCA / CRS Instructions and Terms & Conditions) and hereby confirm that the information provided by me/us on this Form is true, correct and complete and hereby accept the same.														Signature / Thumb Impression* of Applicant (refer instructions)			
8. DECLARATION BY APPLICANT* (Refer Sr no. 6 of the instructions)																	
I have read and understood the terms and conditions of the Unified Pension Scheme (UPS). The information and documents furnished by me are true and correct, to the best of my knowledge. Any changes in the information furnished by me shall be informed to CRA / NPS Trust. I understand that I shall be fully liable for submission of any false or incorrect information or documents. I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder. Declaration under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 I hereby declare that the contribution paid by me/on my behalf has been derived from legally declared and assessed sources of income. I understand that NPS Trust has the right to peruse my financial profile or share the information, with other government authorities. I further agree that NPS Trust has the right to close my PRAN in case I am found violating the provisions of any law relating to prevention of money laundering.														Signature / Thumb Impression* of Applicant (*LTI in case of males and RTI in case of females to be provided. Toe impression in case no hands)			
Date								Place									
9. DECLARATION BY NODAL OFFICER (All * Mark fields are Mandatory)																	
Employment Details (At the time of exercise of UPS option)																	
Date of joining*										Date of Superannuation*							
Date of commencement of qualifying service*																	
Employee Code/ID*																	
Post (Optional)																	
Group (Optional)		A	B (Gazetted)	B (non-Gazetted)		C		D		E		other					
Service(Optional)		IAS		IPS		IFS		Group A			Group B			other			
Basic Pay*																	
Pay Scale (Optional)																	
Name of the office*																	
Department*																	
Ministry*																	
DDO Registration Number*								PAO / CDDO / PrAO Registration Number*									

*Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13 of PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025.

It is certified that Shri./Smt./Kumari.....is employed in this office and the details provided in this subscriber registration form have been verified as per service record. The given address and officially valid documents (OVDs) of KYC are verified by this office. Also, it is further certified that he/she has read entries/entries have been read over him/her by us and got confirmed by him/her.

Name of DDO		Name of PAO	
Signature of DDO		Signature of PAO	
DDO Code No. (As per record in CRA System)		PAO Code No. (As per record in CRA System)	
Seal of DDO		Seal of PAO	
Date		Date	
Place		Place	

ACKNOWLEDGEMENT

[illegible]

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE SUBSCRIBER REGISTRATION FORM

General guidelines

- (a) Please fill in legible handwriting to avoid errors. Do not overwrite. Corrections should be countersigned by the applicant. Applications incomplete in any aspect (or) if mandatory fields are left blank (or) with unclear photograph (or) not accompanied by required documents (or) not authenticated by the Nodal Office are liable to be rejected.
- (b) Copies of documents submitted by the applicant should be self-attested.
- (c) Applicant is advised to retain the acknowledgement slip signed / stamped by the designated nodal officer where they submit the application.

SI	Item No	Item Details	Instructions
1	1	Fathers Name, Mother's Name	(a) If the name has more than 30 digits, fill Annexure II for the same. (b) If the applicant is an Orphan, he/she may leave the fields blank. However, an official document to support the status to be submitted.
		Politically Exposed Person	Politically Exposed Person's (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions such as heads of state or of the government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials
2	2	Proof of Identity	If the applicant is submitting Aadhaar as proof of Identity, the first 8 digits of the Aadhaar number should be redacted / masked on the submitted copy.
3	5	Bank Details	For UPS account opening through physical form (FORM A1) bank details and documentary proof are mandatory. Please submit a cancelled cheque / copy of bank passbook / bank statement / bank certificate / letter from Bank containing applicant's Name, Bank Name, Bank Account Number and IFS Code.
4	6	Selection of Pension Fund (PF) & Investment Choice	Government employee/subscribers can exercise choice of Pension Funds and allocate their investments either in Asset Class 'G' under 'Active Choice' or in Life Cycle Funds - LC 50 or LC 25 under 'Auto Choice'. If no choice is provided, the contributions will be distributed among the default Pension Funds and investment pattern selected by the Government.

5	7&8	FATCA & CRS Declaration / Signature by Applicant	Clarification / Guidelines on filling details if applicant residence for tax purposes in jurisdiction(s) outside India: • Jurisdiction(s) of Tax Residence: Since US taxes the global income of its citizen, every US citizen of whatever nationality, is also a resident for tax purpose in USA. • Tax identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (a “Functional equivalent”), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number). • In case applicant is declaring US person status as ‘No’ but his/her Country of Birth is US, document evidencing Relinquishment of Citizenship should be provided or reasons for not having relinquishment certificate is to be provided. • In case applicant is declaring US person status as ‘Yes’, provide PAN and ‘father name’ in addition to details required under section 9 of form. • In case the applicant is unable to affix signature, Left Thumb Impression in case of male and Right Thumb Impression in case of female should be affixed and in case there is no hands, toe impression of the applicant to be provided. The thumb / toe impression should be attested by two persons, one of whom should be the designated nodal officer attesting the same under his/her official seal and stamp.
<u>General Information for Subscribers</u> a) The Subscriber can obtain the status of his/her application from CRA and respective Nodal Office. b) Subscribers are advised to retain the acknowledgement slip signed/ stamped by the designated respective nodal office where they submit the application. c) For more information / clarifications, contact CRA: Website: Call: Address of CRA.			

Annexures - Subscriber Registration Form for Government Sector applicants (Tick and fill applicable annexures below)	
Annexure I - Print PRAN Card in Hindi (Fill the details in Devanagari script)	
Applicant's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Father / Mother's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Annexure II - If Alphabets of name exceeded the space provided on page 1 of the application form	
Applicant's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Father's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Mother's First Name	
Middle Name	
Last Name	

Form A2

[See Regulation 4]

Exercise of Option by an eligible Central Government employee presently subscribed to National Pension System (NPS) for being covered under Unified Pension Scheme (UPS)

I,.....Son / Daughter of Mr. / Mrs. being a subscriber of NPS as on 01/04/2025 with permanent retirement account number (PRAN)....., having read and fully understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by Central Government vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme, do hereby exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS).

Further, I hereby acknowledge that this option exercised by me shall be final and irrevocable.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data / details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder

Date: -----

Place: -----

Signature of Subscriber

Name-----

(To be filled and certified by the DDO based on Service records)

Employment Details (At the time of exercise of UPS option)	
Employee Code/ID	
Date of commencement of qualifying service (Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13)	
Current month Basic Pay	
Non-Practicing Allowance (NPA), if applicable	
Schedule date for next increment	

Signature & Name of DDO	Signature & Name of PAO
DDO Reg. No.	PAO Reg. No.
Date: Place:	Date: Place:

Note/Instruction:

- The duly signed copy of this Form shall be kept by DDO in employee's service record and a copy of the same shall be provided to the employee for his record.
- DDO shall input the Head of Office verified data in the Central Record Keeping System and in case of physical submission of form by the subscriber, the DDO shall upload a copy of this duly signed option form. PAO shall authorise and approve the option exercised by the subscriber in the CRA system through their login.

FORM B1

[See Regulation 19, 20 and 23]

Claim and Payout Form**Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or after 01/04/2025****Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form**

Joint Photograph
Of
Subscriber & spouse

PART -A (to be filled by the subscriber)**1. Category (any one):**

Superannuation (After minimum 10 years of qualifying service)	
Voluntary Retirement (After 25 years of qualifying service)	
Retirement under Fr 56(j) (which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965)	

2. Detail of Subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service		Date of Voluntary Retirement (if applicable)	
Gender		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j)		In case of voluntary retirement, date of deemed superannuation	
DDO (office name)		PAN		Ministry/Department (from where retired)	
PAO (office name)					

3. KYC details:

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar* /Driving License/ Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of legally wedded spouse as on date of superannuation:

Name		PAN*	
DOB		Aadhaar No.*	
Gender			
Mobile No.		E-mail Id	

7. Details of Bank account:

Type of Bank A/c	Joint with legally wedded Spouse as on date of superannuation Single (only in the absence of a legally wedded Spouse as on date of superannuation)	Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	
Note: Please ensure that the Government servant is the Primary Account holder in the Joint Account.			

8. Final withdrawal percentage – (can be availed upto 60% of corpus)

I desire to opt for final withdrawal (applicable where subscriber had not availed UPS benefits)	% of individual corpus
I am exercising this option being fully aware that the final withdrawal will proportionately reduce the assured payout.	

Declaration:

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ a subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN----- and have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

2. Basic Pay details for last 12 months before superannuation/ retirement under FR 56 (j)/ voluntary retirement:

3. Salary details of last month before superannuation/ retirement under FR 56 (j)/voluntary retirement:

Month/Year	Basic Pay (includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice if any) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by subscriber in Part-A , details of employment and salary i.e., qualifying service, last basic pay, average basic pay, superannuation/retirement date, legally wedded spouse details on the date of superannuation, which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.	
Verified and certified that the details are true and correct.	
Signature & Name of DDO	
DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Form B1 (Part D) UPS Payout Order (UPO) issued by PAO (System Generated)

To,

National Pension System Trust
(address to be added)

Joint Photograph of
Subscriber & spouse

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Subscriber Category (any one):

Superannuation (After minimum 10 years of qualifying service)	
Voluntary Retirement (After 25 years of qualifying service)	
Retirement under FR 56(j) which is not a penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965	

2. Details of subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service		Date of Voluntary Retirement (if applicable)	

Gender		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j)		In case of voluntary retirement, date of deemed superannuation	
DDO (<i>office name</i>)		PAN		Ministry/Department (<i>from where retired</i>)	
PAO (<i>office name</i>)					

3. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement:

Name		PAN	
DOB		E-mail Id	
Gender		Mobile No.	

4. Details of Bank account:

Bank A/c No.		Bank Name		IFSC	
--------------	--	-----------	--	------	--

5. Details of Employment & Salary:

	Length of Qualifying service in number of months	
	Average of last 12 Months basic pay	
	Assured Payout	
	Last month salary (Basic Pay + DA)	
	Length of qualifying service in completed six months	
	Date of start of monthly admissible Payout	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Subscriber**6. UPS Benefits payable to Subscriber:**

	Lump-sum payment	
	Excess, if any, of Individual Corpus <i>vis-a-vis</i> Benchmark Corpus	
	Final Withdrawal amount	
	Monthly Admissible Payout [Assured Payout *IC/BC (1- Final Withdrawal%)]	
	DR amount on admissible payout	
	Arrears of admissible Payout and applicable DR	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to,
To Subscriber
(address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form**By Claimant:**

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of PAN Card of claimant.
- iii. KYC documents of claimant
- iv. One joint photograph
- v. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by subscriber (in case the form submitted by subscriber in physical mode)

FORM B2

[See Regulation 4,19 and 20]

**Claim and Payout Form: Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who
superannuated/retired on or before 31/03/2025****Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form**Joint Photograph of
Subscriber & spouse**PART -A (to be filled by the subscriber)****1.Detail of Subscriber:**

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j)		Date of joining service	
Gender		PAO (office name)		DDO (office name)	
PAN		Ministry/Department (from where retired)			

2. KYC details:

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar*/ Driving License / Passport/Voter ID/CKYC/ Letter issued by NPR			

3. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/District	
State		Pin Code	
Country			

4.Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

5. Details of legally wedded spouse as on date of superannuation:

Name		PAN*	
DOB		Aadhaar No.*	
Gender			
Mobile No.		E-mail Id	

6. Details of Bank account:

Type of Bank A/c	Joint with legally wedded Spouse as on date of superannuation Single (only in the absence of legally wedded Spouse as on date of superannuation)	Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

Note: Please ensure that the Government servant is the Primary Account holder in the Joint Account.

Declaration:

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ a subscriber of National Pension System with PRAN----- and have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)**1. Details of Partial Withdrawal:**

S. N.	Date of Partial withdrawal	Amount withdrawn	No. of units withdrawn as per default pattern	Default pattern NAV on the date of superannuation	Value of partial withdrawals (no. of units withdrawn * NAV) as per default pattern, as on date of superannuation
1					
2					
3					
Total					

2. Details of voluntary contribution:

S. N.	Date of voluntary contribution	Amount of voluntary contribution	No. of units allotted	NAV on the date of superannuation	Value of voluntary contribution (no. of units * NAV) as on date of superannuation
1					
2					
3					
...					
n					
Total					

3. Details for calculation of UPS benefits payable to subscriber:

	Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of superannuation/retirement	
	Benchmark Corpus (BC): Value of IC as per default pattern of Investment + Value of partial withdrawals amount at the time of Superannuation as per default pattern - value of voluntary contribution on date of superannuation/retirement	

	Final withdrawal (FW in %)	
	Representative Annuity Rate (<i>as on date of superannuation, as published by PFRDA</i>)	
	Representative annuity amount= (IC) x (1-FW%) *(Representative Annuity Rate)/ (12*100) where {IC <= BC}	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)

1. Employment Details as per service record:

	File no	
	Employee Code/ID	
	Date of commencement of qualifying service (<i>Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13</i>)	
	Date of Superannuation/ retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965)	
	Length of Qualifying service in months (Q)	
	Length of qualifying service in completed half years (L) (<i>fraction to be ignored</i>)	
	Date of Start of monthly Payout (<i>in case of superannuation, next day of superannuation or in case of retirement under FR 56 (j), next day of retirement</i>)	

2. Basic pay details for last 12 months before superannuation/ retirement under FR 56 (j):

	Basic Pay	NPA (<i>non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice</i>)	Total (Basic pay +NPA)		Basic Pay	NPA (<i>non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice</i>)	Total (Basic pay +NPA)
Month 1				Month 7			
Month 2				Month 8			
Month 3				Month 9			
Month 4				Month 10			
Month 5				Month 11			
Month 6				Month 12			
Average of 12 Months of (Basic pay +NPA) = P							

3. Salary details of last month before superannuation/ retirement under FR 56 (j):

Month/Year	Basic Pay (<i>includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice if any</i>) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by subscriber in **Part-A**, details of employment and salary i.e., qualifying service, last basic pay, average basic pay, superannuation/retirement date, legally wedded spouse details on the date of superannuation, which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO	
DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Form B2
Part D
UPS Payout Order (UPO) issued by PAO
(System Generated)

Joint Photograph
of
Subscriber & spouse

To,
National Pension System Trust
(address to be added) – system

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j)		Date of joining service	
Gender		PAO (office name)		DDO (office name)	
PAN		Ministry/Department (from where retired)			

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement:

Name		PAN	
DOB		E-mail Id	
Gender		Mobile No.	

3.Details of Employment & Salary:

	Length of Qualifying service in number of months	
	Average of last 12 Months basic pay	
	Last month salary (Basic Pay + DA)	
	Length of qualifying service in completed six months	
	Date of start of monthly Payout	
	Admissible Payout: Assured Payout*(IC/BC) * (1-FW%) where {IC <= BC} <i>(Assured Payout = (½ of P) x (Q/300)) with the condition that if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000, where P is basic pay and Q is qualifying service in months)</i>	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Subscriber**4. UPS Benefits payable to Subscriber:**

	Date of start of top-up Payout	
	Lumpsum Payment	
	Interest on Lumpsum Payment	
	Monthly Top-up Amount	
	DR amount on admissible payout	
	Arrears on monthly top-up and applicable DR upto date of commencement of monthly top up	
	Interest on Arrears (if Applicable)	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to, To Subscriber
(address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form**By Claimant:**

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of PAN Card of claimant.
- iii. KYC documents of claimant
- iv. One joint photograph
- v. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by subscriber (in case the form submitted by subscriber in physical mode)

FORM B3

[See Regulation 19, 20 and 23]

Claim and Payout Form

Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or after 01/04/2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had already availed benefits under UPS

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Photograph
of
spouse

PART -A (to be filled by the spouse)**1.Details of deceased Subscriber:**

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	--	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. KYC Details

Document (any one)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar* / Driving License / Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/ District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of Bank a/c of spouse for credit of UPS benefits:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

Declaration:

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I hereby authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)
--

Details of UPS benefits that were being paid for deceased subscriber:

Monthly admissible payout to deceased subscriber as on the date of demise	
DR amount on the date of demise	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)
--

Employment details as per service record:

	File no	
	Employee Code/ID	
	Date of Start of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	

Certified that the details provided by spouse of deceased subscriber in Part-A , details of employment, legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement, date of death of subscriber which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.
--

Verified and certified that the details are true and correct.
--

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
----------	----------------------

Date:	Place:
-------	--------

Form B3
(Part D)
UPS Payout Order (UPO) issued by PAO
(System Generated)

Photograph of spouse

To,
National Pension System Trust
(address to be added) – system

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of deceased subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	---	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Spouse

3. UPS Benefits payable to Spouse:

Date of start of family Payout to spouse (<i>on demise of subscriber</i>)	
Monthly Family Payout (<i>60% of the monthly pay out to subscriber</i>)	
DR amount on family payout	
Adjustment of excess monthly payout paid for deceased subscriber upto the date of commencement of family payout, if any	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to,
To Subscriber
(address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form**By Claimant:**

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of Death certificate of deceased Government Subscriber
- iii. Copy of PAN Card of claimant.
- iv. KYC document of claimant
- v. One photograph
- vi. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by claimant

FORM B4

[See Regulation 19 and 20]

Claim and Payout Form

Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or before 31/03/2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had already availed benefits under UPS

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Photograph
of
Spouse

PART -A (to be filled by the spouse of deceased subscriber)

1. Details of deceased Subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	---	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. KYC Details:

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar* / Driving License / Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/ District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of Bank a/c of spouse for credit of UPS benefits:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

Declaration:

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I hereby authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)
--

Details of UPS benefits that were being paid for deceased subscriber:

Monthly top-up payout to deceased subscriber as on the date of demise	
DR amount on admissible payout on the date of demise of subscriber	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)
--

Employment details as per service record:

	File no	
	Employee Code/ID	
	Date of Start of eligibility of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	

Certified that the details provided by spouse of deceased subscriber in Part-A, details of employment, legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement, date of death of subscriber which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.
--

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

**Form B4
(Part D)
UPS Payout Order (UPO) issued by PAO
(System Generated)**

Photograph
of
Spouse

**To,
National Pension System Trust
(address to be added)**

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of deceased subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	---	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Spouse

3. UPS Benefits payable to Spouse:

Date of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	
Monthly Family Pay-out (60 % of top-up amount payable to subscriber)	
DR amount (on 60% of admissible payout to subscriber)	
Adjustment of excess monthly top up paid for subscriber upto the date of commencement of family payout, if any	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

**Copy to,
To Subscriber**

(address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form**By Claimant:**

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of Death certificate of deceased Government Subscriber
- iii. Copy of PAN Card of claimant.
- iv. KYC document of claimant
- v. One photograph
- vi. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by claimant

FORM B5

[See Regulation 19, 20 and 23]

Claim and Payout Form

Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or after 01/04/2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefits under UPS

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Photograph
of
Spouse

PART -A (to be filled by the spouse)**1. Details of deceased Subscriber:**

Name		PAN No	
Gender		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j) /Retirement	
PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
Date of joining service			

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. KYC Details:

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar * / Driving License / Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/ District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of Bank a/c of spouse for credit of UPS benefits:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

7. Final withdrawal percentage – (can be availed upto 60% of corpus)

I desire to opt for Final withdrawal (applicable where subscriber had not availed UPS benefits)	% of individual corpus
I am exercising this option being fully aware that the final withdrawal will proportionately reduce the assured payout.	

Declaration:

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I hereby authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)**1. Details for calculation of UPS benefits payable to deceased subscriber:**

	Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of superannuation/retirement	
	Benchmark Corpus (BC) (on date of superannuation/retirement)	
	Excess/shortfall of Individual Corpus vis-a-vis Benchmark Corpus (IC-BC)	
	Final withdrawal (FW in %)	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)**1. Employment Details as per service record:**

	File no	
	Employee Code/ID	
	Date of commencement of qualifying service (Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13)	
	Date of Superannuation/ retirement under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965)/ Voluntary Retirement	

	Length of Qualifying service in months (Q)	
	Length of qualifying service in completed half years (L) (fraction to be ignored)	
	Date of Start of monthly Admissible Payout (in case of Superannuation and Voluntary Retirement: <i>From next day of superannuation,</i> in case of Retirement under 56(j): <i>From next day of Retirement</i>)	
	Date of Start of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	

2. **Basic Pay details for last 12 months before superannuation/ retirement under FR 56 (j):**

	Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)		Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)
Month 1				Month 7			
Month 2				Month 8			
Month 3				Month 9			
Month 4				Month 10			
Month 5				Month 11			
Month 6				Month 12			
Average of 12 Months of (Basic pay +NPA) = P							

3. **Salary details of last month before superannuation/ retirement under FR 56 (j):**

Month/Year	Basic Pay (includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice) if any) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by spouse of deceased subscriber in **Part-A**, details of employment, legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement, date of death of subscriber which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name

DDO Registration No.

Date:

Place:

Form B5
(Part D)
UPS Payout Order (UPO) issued by PAO
(System Generated)

To,

National Pension System Trust
(address to be added) – system

Photograph
of
Spouse

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of deceased subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	---	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. Details of Employment & Salary:

	Length of Qualifying service in number of months	
	Average of last 12 Months basic pay	
	Assured Payout	
	Last month salary (Basic Pay + DA)	
	Length of qualifying service in completed six months	
	Date of start of monthly admissible Payout	
	Date of start of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Spouse

4. UPS Benefits payable to Spouse:

Lumpsum Payment	
Excess, if any, of Individual Corpus vis-a-vis Benchmark Corpus	
Final Withdrawal (if opted)	
Monthly Family Payout (60% of admissible payout) where Admissible payout=Assured Payout *IC/BC (1- Final Withdrawal%)	
DR amount on family payout	
Arrears upto date of commencement of Family Payout (including arrears of monthly payout and DR on admissible payout)	
i) Payable to subscriber till the date of demise of subscriber	
ii) Payable to Spouse after date of demise of subscriber	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

**Copy to,
To Subscriber
(address and email and mobile) – over email**

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form

By Claimant:

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of Death certificate of deceased Government Subscriber
- iii. Copy of PAN Card of claimant.
- iv. KYC document of claimant
- v. One photograph
- vi. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by claimant

FORM B6

[See Regulation 4, 19 and 20]

Claim and Payout Form

Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/ retired on or before 31/03/2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefits under UPS

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Photograph
of
Spouse

PART -A (to be filled by the spouse of deceased subscriber)

1. Details of deceased Subscriber:

Name		PAN No	
Gender		Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j) /Retirement	
PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
Date of joining service			

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. KYC Details

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar * /Driving License/Passport / Voter ID/CKC ID/Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/ District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of Bank a/c of spouse for credit of UPS benefits:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

Declaration:

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I hereby authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)**1.Details of Partial Withdrawal:**

S. N.	Date of Partial withdrawal	Amount withdrawn	No. of units withdrawn as per default pattern	Default pattern NAV on the date of superannuation	Value of partial withdrawals (no. of units withdrawn * NAV) as per default pattern, as on date of superannuation (A)
1					
2					
3					
Total					

2. Details of voluntary contribution:

S. N.	Date of voluntary contribution	Amount of voluntary contribution	No. of units allotted	NAV on the date of superannuation	Value of voluntary contribution (no. of units * NAV) as on date of superannuation
1					
2					
3					
...					
n					
Total					

3. Details for calculation of UPS benefits payable for deceased subscriber:

Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of superannuation/retirement	
Benchmark Corpus (BC): Value of IC as per default pattern of Investment + Value of partial withdrawals amount at the time of Superannuation as per default pattern - value of voluntary contribution on date of superannuation/retirement	
Final withdrawal (FW in %)	
Representative Annuity Rate (as on date of superannuation, as published by PFRDA)	
Representative annuity amount= (IC) x (1-FW%) *(Representative Annuity Rate)/ (12*100) where {IC ≤ BC}	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)
--

1. Employment details as per office records:

	File no	
	Employee Code/ID	
	Date of commencement of qualifying service (Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13)	
	Date of Superannuation/ Retirement under FR 56(j)	
	Length of Qualifying service in months (Q)	
	Length of qualifying service in completed half years (L) (fraction to be ignored)	
	Date of Start of Payout to deceased subscriber (in case of superannuation, next day of superannuation/ in case of retirement, next day of retirement)	
	Date of start of family Payout to spouse (on demise of subscriber)	

2. Basic Pay details for last 12 months before superannuation/ retirement under FR 56 (j):

	Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)		Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)
Month 1				Month 7			
Month 2				Month 8			
Month 3				Month 9			
Month 4				Month 10			
Month 5				Month 11			
Month 6				Month 12			
Average of 12 Months of (Basic pay +NPA) = P							

3. Salary details of last month before superannuation/ retirement under FR 56 (j):

Month/Year	Basic Pay (includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice if any) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by spouse of deceased subscriber in **Part-A**, details of employment, legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement, date of death of subscriber which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name

DDO Registration No.

Date:

Place:

Form B6
(Part D)
UPS Payout Order (UPO) issued by PAO
(System Generated)

Photograph
of
Spouse

To,
National Pension System Trust
(address to be added)

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of deceased subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
------	--	----------	--	--	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. Details of Employment & Salary:

	Length of Qualifying service in number of months	
	Average of last 12 Months basic pay	
	Last month salary (Basic Pay + DA)	
	Length of qualifying service in completed six months (<i>fraction ignored</i>)	
	Date of Start of Payout for deceased subscriber	
	Date of start of family Payout to spouse (<i>on demise of subscriber</i>)	
	Admissible Payout: Assured Payout*(IC/BC) * (1-FW%) where {IC <= BC} (Assured Payout = (½ of P) x (Q/300)) with the condition that if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000, where P is basic pay and Q is qualifying service in months)	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Spouse

4. UPS Benefits payable to Spouse:

Date of start of top-up Payout	
Lumpsum Payment	
Interest on Lump-sum Payment	
Monthly Family Pay-out (60 % of topup amount payable to subscriber)	
DR amount (on 60% of admissible payout)	
Arrears upto date of commencement of Family Payout (<i>including arrears of monthly top up payout and DR on admissible payout</i>)	
Top-up amount payable to subscriber till the date of demise of subscriber	
Family payout payable to Spouse after date of demise of subscriber	
Interest on Arrears for Top-up and applicable DR (if Applicable)	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

**Copy to,
To Subscriber
(address and email and mobile) – over email**

Instructions to fill the form

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form

By Claimant:

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of Death certificate of deceased Government Subscriber
- iii. Copy of PAN Card of claimant.
- iv. KYC document of claimant
- v. One photograph
- vi. Specimen signature of claimant

By DDO:

- i. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- ii. Copy of the signed Form by claimant

SCHEDULE II

[See Regulation 12]

Weighted Average NAV (Default Pattern)

Month-Year	NAV	Month-Year	NAV
Apr-08	10.0169	Jul-12	14.8845
May-08	10.0866	Aug-12	14.9999
Jun-08	9.9783	Sep-12	15.3255
Jul-08	9.9720	Oct-12	15.4229
Aug-08	10.0807	Nov-12	15.5895
Sep-08	10.2633	Dec-12	15.8031
Oct-08	10.4036	Jan-13	16.0547
Nov-08	10.6600	Feb-13	16.0440
Dec-08	11.7884	Mar-13	16.1008
Jan-09	11.4626	Apr-13	16.5458
Feb-09	11.5112	May-13	17.0449
Mar-09	11.5189	Jun-13	16.7816
Apr-09	12.0014	Jul-13	15.9781
May-09	11.9312	Aug-13	15.6236
Jun-09	11.9892	Sep-13	15.8324
Jul-09	12.0483	Oct-13	16.2803
Aug-09	11.9888	Nov-13	16.2586
Sep-09	12.1057	Dec-13	16.3700
Oct-09	12.1193	Jan-14	16.4305
Nov-09	12.3082	Feb-14	16.5176
Dec-09	12.3612	Mar-14	16.8651
Jan-10	12.4054	Apr-14	17.0500
Feb-10	12.3513	May-14	17.5693
Mar-10	12.5562	Jun-14	17.8120
Apr-10	12.6431	Jul-14	17.9483
May-10	12.8170	Aug-14	18.0605
Jun-10	12.9687	Sep-14	18.2917
Jul-10	12.9630	Oct-14	18.8614
Aug-10	13.0217	Nov-14	19.2479
Sep-10	13.3050	Dec-14	19.4854
Oct-10	13.3025	Jan-15	20.0057
Nov-10	13.3356	Feb-15	20.0860
Dec-10	13.4714	Mar-15	20.0660
Jan-11	13.2767	Apr-15	20.0252
Feb-11	13.3305	May-15	20.1517
Mar-11	13.5694	Jun-15	20.0376
Apr-11	13.5311	Jul-15	20.3518
May-11	13.3990	Aug-15	20.3791
Jun-11	13.5915	Sep-15	20.7275
Jul-11	13.6515	Oct-15	20.8447
Aug-11	13.7151	Nov-15	20.7871
Sep-11	13.7352	Dec-15	20.8167
Oct-11	13.6674	Jan-16	20.7299
Nov-11	13.6760	Feb-16	20.5749
Dec-11	13.8600	Mar-16	21.3101
Jan-12	14.2520	Apr-16	21.5913
Feb-12	14.4285	May-16	21.8058
Mar-12	14.3269	Jun-16	22.1155
Apr-12	14.3985	Jul-16	22.8321
May-12	14.5384	Aug-16	23.2344
Jun-12	14.7626	Sep-16	23.4793

Oct-16	23.6178
Nov-16	24.3138
Dec-16	23.7789
Jan-17	24.1363
Feb-17	23.7790
Mar-17	24.1551
Apr-17	24.1904
May-17	24.5885
Jun-17	25.0057
Jul-17	25.3881
Aug-17	25.4314
Sep-17	25.3854
Oct-17	25.5963
Nov-17	25.5021
Dec-17	25.4862
Jan-18	25.5615
Feb-18	25.1638
Mar-18	25.6182
Apr-18	25.4962
May-18	25.4489
Jun-18	25.4858
Jul-18	25.9063
Aug-18	26.0361
Sep-18	25.7509
Oct-18	25.9449
Nov-18	26.6298
Dec-18	27.1161
Jan-19	27.1381
Feb-19	27.0954
Mar-19	27.8787
Apr-19	27.8151
May-19	28.6110
Jun-19	28.9874
Jul-19	29.3996
Aug-19	29.3282
Sep-19	29.3810
Oct-19	29.8446
Nov-19	30.0717
Dec-19	30.2054
Jan-20	30.1999
Feb-20	30.5728
Mar-20	29.9191
Apr-20	30.5958
May-20	31.2102
Jun-20	31.7616
Jul-20	32.4631
Aug-20	32.2234
Sep-20	32.3033
Oct-20	33.0050
Nov-20	33.6894
Dec-20	34.2231
Jan-21	34.1974
Feb-21	33.8183
Mar-21	34.3118
Apr-21	34.5690

May-21	35.0699
Jun-21	35.0854
Jul-21	35.2202
Aug-21	35.8914
Sep-21	36.3718
Oct-21	36.3397
Nov-21	36.4770
Dec-21	36.5480
Jan-22	36.3760
Feb-22	36.4891
Mar-22	36.6811
Apr-22	36.3259
May-22	35.7391
Jun-22	35.6202
Jul-22	36.4361
Aug-22	37.1241
Sep-22	36.8472
Oct-22	37.1941
Nov-22	37.8499
Dec-22	37.8120
Jan-23	37.8312
Feb-23	37.8462
Mar-23	38.2325
Apr-23	38.9491
May-23	39.5675
Jun-23	39.7059
Jul-23	40.0364
Aug-23	40.1459
Sep-23	40.2593
Oct-23	40.1013
Nov-23	40.7170
Dec-23	41.5727
Jan-24	41.9909
Feb-24	42.6008
Mar-24	43.0157
Apr-24	43.0274
May-24	43.6209
Jun-24	44.3142
Jul-24	44.9167
Aug-24	45.3459
Sep-24	45.9843
Oct-24	45.6338
Nov-24	45.8298
Dec-24	45.9490
Jan-25	46.0805
Feb-25	45.6371

For period(s) subsequent to February 2025, the weighted average NAV for each month shall be declared.

SCHEDULE III

[see Regulation 12]

Illustrative examples of computation of Benchmark Corpus**1. For subscribers superannuated / retired on or before 31.03.2025**

Scenario 1: Subscriber has (i) continued in default scheme of investment (ii) made partial withdrawal and (iii) made voluntary contribution

Assumptions:

- i) Subscriber joined on 05/01/2012 and has continued in default pattern till superannuation
- ii) Subscriber has made partial withdrawal of Rs. 1,00,000 on 31.03.2021
- iii) Subscriber has made voluntary contribution of Rs. 50,000 on 31.03.2022
- iv) Subscriber has superannuated on 30.11.2024

Partial withdrawal	
Date of Partial Withdrawal	31.03.2021
Amount of Partial Withdrawal	Rs. 1,00,000
Weighted average NAV of default scheme	Rs. 34.3118
No. of withdrawal units	2914.4500
Voluntary Contribution	
Date of voluntary contribution	31.03.2022
Amount of contribution	Rs. 50,000
Weighted average NAV of default scheme	Rs. 36.6811
No. of units added as per default scheme	1363.1000
Superannuation	
Date of Superannuation	30.11.2024
Corpus as per default scheme (Individual Corpus)	Rs. 15,88,888.91
Weighted average NAV of default scheme	Rs. 45.8298
Units on the date of superannuation	34669.3400

Benchmark corpus units on the date of superannuation

$$\begin{aligned}
 &= \text{Individual Corpus units} \\
 &+ \text{No of units of partial withdrawal(s)} \\
 &- \text{No of units of voluntary contribution(s)} \\
 &= 34669.3400 + 2914.4500 - 1363.1000 \\
 &= 36,220.6900
 \end{aligned}$$

Benchmark Corpus value on the date of superannuation

$$\begin{aligned}
 &= \text{Cumulative units} \times \text{NAV (on the date of superannuation)} \\
 &= 36,220.6900 \times 45.8298 \\
 &= \text{Rs. 16,59,986.98}
 \end{aligned}$$

In case of past retirees upto 31st March 2025, who have not exercised active investment choice and continued in default pattern till superannuation/retirement, the benchmark corpus will be derived as per the above method.

Scenario 2 - Subscriber has made - i) active choice of investment ii) partial withdrawal and iii) voluntary contribution

Assumptions:

- i) Subscriber joined on 05/01/2012 and was covered under default scheme
- ii) Subscriber has exercised investment choice on 15.01.2020
- iii) Subscriber has made partial withdrawal of Rs. 1,00,000 on 31.03.2021
- iv) Subscriber has made voluntary contribution of Rs. 50,000 on 31.03.2022
- v) Subscriber has superannuated on 30.11.2024

Investment Choice – change	
Date of shifting to active choice	15.01.2020
Corpus on the date of shifting (no voluntary contributions or partial withdrawals were made before the date of shifting)**	Rs.8,00,000
Weighted average NAV of default scheme (15.01.2020)	Rs.30.1999
Units in default scheme (15.01.2020)	26,490.1539
Superannuation	
Date of Superannuation	30.11.2024
Weighted average NAV of Active Choice	Rs.29.6510
Units as per Active Choice (Individual Corpus)	58,273.2639
Units as per Default Scheme of all mandatory (employee + employer) contributions	36,220.6900
Weighted average NAV of default scheme	Rs.45.8298
Benchmark Corpus as per default scheme*	Rs.16,59,986.98
Corpus as per Active choice	Rs.17,27,860.55

*Benchmark derived since 15.01.2020 (partial withdrawals and voluntary contribution are ignored for the following computation)

** If any voluntary contributions or partial withdrawals were made before shifting to active choice, the effect will be computed as per scenario 1.

Contributions	Date of Contribution	Contribution Amount	NAV of Default Scheme as on date of Contribution	Units
Opening Balance of units as on 15.01.2020				26,490.1500
Mar-20	07.04.2020	9,540	29.9191	318.8599
Apr-20	09.06.2020	10,017	31.2102	320.9528
May-20	09.06.2020	10,017	31.2102	320.9528
Jun-20	10.07.2020	10,017	31.7616	315.3808
---	---	---	---	---
Oct-24	04.11.2024	21,000	45.6338	460.1852
Nov-24	30.11.2024	21,000	45.8298	458.2171
On superannuation	30.11.2024		45.8298	36,220.69

Benchmark Corpus on the date of superannuation = Value of Corpus on the date of superannuation based on default pattern

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total units} \times \text{NAV}_{\text{Default}} \\
 &= 36,220.69 \times \text{Rs. } 45.8298 \\
 &= \text{Rs. } 16,59,986.98
 \end{aligned}$$

In case of past retirees upto 31st March 2025, who have exercised active investment choice on or after 01st April 2019, the benchmark corpus will be derived as per the above method.

2. For subscribers superannuating / retiring on or after 01.04.2025

Scenario 1: Subscriber has (i) continued in default scheme of investment (ii) made partial withdrawal and (iii) made voluntary contribution

Assumptions:

- i) Subscriber joined on 05/01/2012 and has continued in default pattern till superannuation
- ii) Subscriber has made partial withdrawal of Rs. 1,00,000 on 31.03.2021
- iii) Subscriber has made voluntary contribution of Rs. 50,000 on 31.03.2022
- iv) Subscriber will superannuate in 30.11.2027

Partial withdrawal	
Date of Partial Withdrawal	31.03.2021
Amount of Partial Withdrawal	Rs.1,00,000
Voluntary Contribution	
Date of voluntary contribution	31.03.2022
Amount of contribution	Rs.50,000
On 31.03.2025	
Balance of units in default scheme	36,220.6900
Superannuation	
Date of Superannuation	30.11.2027
Units as per Default Scheme of all mandatory (employee + employer) contributions	43,987.7522
Weighted average NAV of default scheme*	Rs.57.7864
Benchmark Corpus as per default scheme**	Rs. 25,41,893.84

*Projected NAV

Benchmark calculation till 31.03.2025 = Mandatory contributions received as per scenario 1 of part 1.

**Benchmark calculation since 01.04.2025

Contribution for the Month	Contribution Date	Contribution Amount (Rs.)	NAV Date	NAV of default pattern (Rs.)*	Units
Opening balance (on 31.03.2025)					36,220.6900
Mar-25	10.04.2025	10,000	10.04.2025	47.4578	210.7135
Apr-25	05.05.2025	10,000	05.05.2025	47.8877	208.8219
May-25	27.06.2025	10,000	27.06.2025	48.0861	207.9603
Jun-25	20.08.2025	10,000	31.07.2025	48.4457	206.4167
Jul-25	24.09.2025	10,500	31.08.2025	48.5155	216.4257
Aug-25	24.09.2025	10,500	24.09.2025	48.5290	216.3655
---	---	---	---	---	
Sep-27	04.10.2027	22,000	04.10.2027	57.1873	384.7008
Oct-27	07.11.2027	22,000	07.11.2027	57.6829	381.3955
Nov-27	30.11.2027	22,000	30.11.2027	57.7864	380.7124
On Superannuation 30.11.2027				57.7864	43,987.7522

*Projected NAV

Benchmark Corpus = Value of Corpus on the date of superannuation based on default pattern

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total units} \times \text{NAV}_{\text{Default}}(\text{on the date of superannuation}) \\
 &= 43,987.7522 \times 57.7864 \\
 &= \text{Rs. 25,41,893.84}
 \end{aligned}$$

Scenario 2 - Subscriber has made - i) active choice of investment ii) partial withdrawal and iii) voluntary contribution

Assumptions:

- i) Subscriber joined on 05/01/2012 and was covered under default scheme
- ii) Subscriber has exercised investment choice on 15.01.2020
- iii) Subscriber has made partial withdrawal of Rs. 1,00,000 on 31.03.2021
- iv) Subscriber has made voluntary contribution of Rs. 50,000 on 31.03.2022
- v) Subscriber will superannuate on 30.11.2027

Investment Choice – change	
Date of shifting to active choice	15.01.2020
Corpus on the date of shifting (<i>no voluntary contribution or partial withdrawal till shifting</i>)	Rs.8,00,000
Weighted average NAV of default scheme (15.01.2020)	Rs.30.1999
Units in default scheme (15.01.2020)	26,490.1539
Superannuation	
Date of Superannuation	30.11.2027
Weighted average NAV of Active Choice	Rs.47.1677
Units as per Active Choice	58,273.2639
Units as per Default Scheme of all mandatory (employee + employer) contributions	50,200.6457
Weighted average NAV of default scheme	Rs.57.7864
Benchmark Corpus as per default scheme*	Rs. 29,00,914.59
Corpus as per Active choice	Rs.34,27,860.55

*Projected NAV

Benchmark derived since 15.01.2020 till 31.03.2025 = Mandatory contributions received on 'as and when' basis in default scheme.

Contribution for Month	Date of Contribution	Contribution Amount	NAV Date	NAV of Default Scheme*	Units
Benchmark calculation upto 31.03.2025 is as per scenario 1 of part 2					36,220.6900
<i>Benchmark calculation from 01.04.2025 onwards</i>					
Mar-25	10.04.2025	23,500	10.04.2025	47.4578	495.1768
Apr-25	05.05.2025	23,500	05.05.2025	47.8877	490.7314
May-25	27.06.2025	23,500	27.06.2025	48.0861	488.7067
Jun-25	20.08.2025	23,500	31.07.2025	48.4457	485.0792
Jul-25	24.09.2025	24,700	31.08.2025	48.5155	509.1156
Aug-25	24.09.2025	24,700	24.09.2025	48.5290	508.9740
Cont---	---	---	---	---	
Sep-27	04.10.2027	29,900	04.10.2027	57.1873	522.8434
Oct-27	07.11.2027	29,900	07.11.2027	57.6829	518.3512
Nov-27	30.11.2027	29,900	30.11.2027	57.7864	517.4228
On Superannuation 30.11.2027				57.7864	50,200.6457

*Projected NAV

Benchmark Corpus = Value of Corpus on the date of superannuation based on default pattern

$$\begin{aligned}
 &= \text{Total units} \times \text{NAV}_{\text{Default}}(\text{on the date of superannuation}) \\
 &= 50,200.6457 \times 57.7864 \\
 &= \text{Rs. 29,00,914.59}
 \end{aligned}$$

Schedule IV

[See Regulation 13]

Illustration for computation of qualifying service for purpose of UPS benefits

Particulars	Date	Period
Date of Joining Central Government Service	15.01.2010	-
Date of Superannuation	31.03.2026	
Service span	16 years, 2 months and 16 days OR 194 months and 16 days (A month is taken for 30 days)	
Period of deputation on foreign service**	15.01.2015- 14.01.2017	24 months
Period of unauthorised absence**	07.01.2018- 06.12.2018	11 months
Period of extraordinary leave**	01.02.2019 – 01.04.2019	2 months
Period of suspension pending inquiry**	05.09.2023 – 04.03.2024	6 months

** For the purpose of computation of period of foreign service, unauthorised absence, extraordinary leave and suspension, actual period (months and days) shall be reckoned for calculation of qualifying service.

Scenario 1: suspension revoked and employee exonerated, extraordinary leave granted on medical ground, unauthorised absence not condoned with forfeiture of past service, applicable contribution was not received for the period of deputation

- Period from joining service till superannuation/retirement = 194 months and 16 days.
- Period of suspension counted as qualifying service = 6 months (05.09.2023 to 04.03.2024)
- Period of deputation excluded from qualifying service = 24 months (15.01.2015- 14.01.2017)
- Period of Extraordinary Leave counted as qualifying service = 2 months (01.02.2019 - 01.04.2019)
- Period of past service and unauthorised absence disqualified on account of unauthorised absence = 8 years, 10 months and 21 days or 106 months and 21 days (15.01.2010 to 06.12.2018)

Qualifying Service = 194 months and 16 days – (24 months + 106 months+ 21 days)

= 63 months and 25 days

***The Qualifying Service period shall be taken as 63 months in whole months and the balance fraction period of 25 days shall be excluded for the computation.**

UPS benefits not applicable as Q <120.

Scenario 2: Major penalty imposed (barring dismissal and removal) after inquiry, extraordinary leave not allowed as qualifying service by the competent authority, unauthorised absence condoned with no forfeiture of past service, applicable contribution was received for the period of deputation

- Period from joining service till superannuation/retirement = 194 months and 16 days.
- Period of suspension excluded from qualifying service = 6 months
- Period of deputation counted as qualifying service = 24

iv. Period of Extraordinary Leave excluded from qualifying service = 2 months

v. Period of service disqualified on account of unauthorised absence = 11 months (07.01.2018- 06.12.2018)

Qualifying Service = 194 months and 16 days - (6 months + 2 months + 11 months)

= 175 months and 16 days

***The Qualifying Service period shall be taken as 175 months and the fraction period of 15 days shall be excluded for the computation.**

Scenario 3: Major penalty imposed after inquiry, extraordinary leave not allowed as qualifying service by the competent authority, unauthorised absence condoned with no forfeiture of past service, applicable contribution was not received for the period of deputation

i. Period from joining service till superannuation/retirement = 194 months and 16 days.

ii. Period of suspension excluded from qualifying service = 6 months

iii. Period of deputation not counted as qualifying service = 24

iv. iv. Period of Extraordinary Leave excluded from qualifying service = 2 months

v. Period of service disqualified on account of unauthorised absence = 11 months (07.01.2018- 06.12.2018)

Qualifying Service = 194 months and 16 days - (6 months + 24 months + 2 months + 11 months)

= 151 months and 16 days

***The Qualifying Service period shall be taken as 151 months and the fraction period of 16 days shall be excluded for the computation.**

SCHEDULE V

[See regulation 15(1)(iv)]

Illustrative examples of working of Admissible Payout under different scenarios

Scenario 1: The below mentioned scenarios have been considered based on the monthly assured payout $\{(P/2) \times (Q/300)\}$ of Rs. 22,500 (Individual Corpus is equal or more than benchmark corpus)

Case 1: Employee does not opt for any final withdrawal

Monthly Assured Payout = Rs. 22,500

Admissible Payout = Rs. 22,500 plus applicable Dearness Relief

Case 2: Employee opts for 60% final withdrawal

Monthly Assured Payout = Rs. 22,500

Admissible Payout = Rs. 22,500 $\times (1-60/100)$

Rs. 9,000 plus applicable Dearness Relief

Case 3: Employee opts for 40% final withdrawal

Monthly Assured Payout: Rs. 22,500

Admissible Payout = Rs. 22,500 $\times (1-40/100)$

Rs. 13,500 plus applicable Dearness Relief

Case 4: Employee opts for 20% final withdrawal

Monthly Assured Payout: Rs. 22,500

Admissible Payout: Rs. 22,500 $\times (1-20/100)$

Rs. 18,000 plus applicable Dearness Relief

Scenario 2: The employee superannuates on 30/05/2025 completing 15 years, 11 months and 12 days and has opted for UPS

- (i) qualifying service as certified by HOO is 191 months;
- (ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 52,894;
- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 53,600;
- (iv) partial withdrawal of Rs. 1,15,000 that has value of Rs. 1,95,130 on the date of superannuation based on number of units redeemed for partial withdrawal;
- (v) UPS Corpus on the date of superannuation Rs 27,43,000 with no voluntary contribution till superannuation.
- (vi) The subscriber has continued in the default pattern throughout the service, all the contributions were regular and timely,
- (vii) Opted for 60% final withdrawal at the time of superannuation.
- (viii) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs. 29,38,130
- (ix) Assuming DR to increase to 56% in Jan. 2025

Last month Basic Pay: Rs. 53,600

Dearness Allowance (@56% on 30/05/2025): Rs. 30,016

I. Lumpsum Payment = $(E/10) \times L$

E = last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance
= 53,600 + 30,016 = Rs. 83,616

L = Qualifying months of service/ 6 = 191/6 = 31.83
= 31 (*fractions to be ignored considering 6-months of completed service*)

Lumpsum Payment = $\left(\frac{83,616}{10}\right) \times 31 = 2,59,209.60$
Rounded to next integer Rs. 2,59,210

II. Assured payout = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$ with the condition that if $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

= $(\frac{1}{2} \text{ of } 52,894) \times (191/300) = 16,837.92$
rounded to next higher integer Rs. 16,838

III. Admissible Payout = Assured Payout $\times (IC/BC) \times (1-FW\%)$

Admissible Payout = $16,838 \times \frac{27,43,000}{29,38,130} \times 0.40$
= 6,287.90
rounded to next higher integer Rs. 6,288

IV. Dearness Relief (01/06/2025) = Admissible Payout $\times$ DR Rate (%)

= $6,288 \times 56\%$
= 3,521.28

rounded to next higher integer Rs. 3,522

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

V. Monthly Payout

= Admissible Payout + Dearness Relief on Admissible payout
= $6,288 + 6,288 \times 56\%$
= $6,288 + 3,521.28$

Both figures rounded to next integer
= 9,810

Scenario 3: The employee superannuates on 30/04/2025 completing 15 years, 11 months and 12 days and has opted for UPS

- (i) qualifying service as certified by HOO is 191 months;
- (ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 52,894;
- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 53,600;
- (iv) partial withdrawal of Rs.1,15,000 that has value of Rs.1,95,130 on the date of superannuation based on number of units redeemed for partial withdrawal;
- (v) UPS Corpus on the date of superannuation Rs.27,43,000 with no voluntary contribution till superannuation.
- (vi) The subscriber has continued in the default pattern throughout the service, all the contributions were regular and timely,
- (vii) Opted for no final withdrawal at the time of superannuation.
- (viii) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs.29,38,130
- (ix) Assuming DR to increase to 56% in Jan. 2025

I. Lumpsum Payment = $(E/10) \times L$

E = last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance
= 53,600 + 30,016 = Rs. 83,616

L = Qualifying months of service/ 6 = 191/6 = 31.83

= 31 (*fractions to be ignored considering 6-months of completed service*)

$$\text{Lumpsum Payment} = \left(\frac{83,616}{10} \right) \times 31 = 2,59,209.60$$

Rounded to next integer Rs. 2,59,210

II. Assured payout = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$ with the condition that if $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

$$= (\frac{1}{2} \text{ of } 52,894) \times (191/300) = 16,837.92$$

rounded to next higher integer Rs. 16,838

III. Admissible Payout = Assured Payout $\times (IC/BC) \times (1-FW\%)$

$$\text{Admissible Payout} = 16,838 \times \frac{27,43,000}{29,38,130} \times 1$$

$$= 15,719.73$$

rounded to next higher integer Rs. 15,720

IV. Dearness Relief (01/06/2025) = Admissible Payout $\times$ DR Rate (%)

$$= 15,720 \times 56\%$$

$$= 8,803.20$$

rounded to next higher integer Rs. 8,804

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

V. Monthly Payout

$$= \text{Admissible Payout} + \text{Dearness Relief on admissible payout}$$

$$= 15,720 + 15,720 * 56\%$$

$$= 15,720 + 8,803.2$$

Both figures rounded to next integer

$$= 15,720 + 8,804$$

$$= \text{Rs. } 24,524$$

In the above illustrations, there may be a scenario where, the above-mentioned employee dies just after few days of superannuation on 28.06.2025. He already availed UPS benefits of Lumpsum Payment. In such case, the employee will be eligible to get Monthly admissible payout as per the above calculation upto 28.06.2025 and thereafter family payout would be admissible to legally wedded spouse on the date of superannuation.

VI. Family Payout (to the legally wedded spouse after demise of the employee) wef 29.06.2025:

Family Payout = 60% of Admissible Payout + Dearness Relief

$$= 60\% * 15,720 + (60\% * 15,720) * 56\%$$

$$= 9,432 + 5,281.92$$

Both figures rounded to next integer

$$= 9,432 + 5,282$$

$$= \text{Rs. } 14,714$$

Scenario 4: The employee superannuates on 30/05/2025 completing 10 years, 3 months and 12 days and has opted for UPS

- (i) qualifying service as certified by HOO is 123 months;
- (ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,250,
- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,400,
- (iv) UPS Corpus on the date of superannuation Rs 8,00,000 with no voluntary contribution till superannuation and also there has been no partial withdrawal,
- (v) The subscriber has continued in the default pattern throughout the service.
- (vi) No final withdrawal opted at the time of superannuation.
- (vii) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs. 8,00,000

Last month Basic Pay: 25,400

Dearness Allowance (@56% on 30/05/2025): 14,224

I. Lumpsum Payment = (E/10) x L

$$\begin{aligned} E &= \text{last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance} \\ &= 25,400 + 14,224 = \text{Rs. } 39,624 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \text{Qualifying months of service/ 6} = 123/6 = 20.5 \\ &= 20 \text{ (fractions to be ignored considering 6-months of completed service)} \end{aligned}$$

$$\text{Lumpsum Payment} = \left(\frac{39,624}{10} \right) * 20 = 79,248$$

II. Assured payout:

= $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$ with the condition that if $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

$$= (\frac{1}{2} \text{ of } 25,250) \times (123/300) = 5,176.25$$

rounded to next higher integer Rs. 5,177

Since $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, the amount is taken as **Rs. 10,000**

III. Admissible Payout:

$$\text{Admissible Payout} = \text{Assured Payout} \times (\text{IC/BC}) \times (1 - \text{LW}\%)$$

$$\text{Admissible Payout} = 10,000 \times \frac{8,00,000}{8,00,000} \times 1$$

$$= 10,000$$

IV. Dearness Relief (01/06/2025) = Admissible Payout * DR Rate (%)

$$= 10,000 \times 56\%$$

$$= 5,600$$

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

V. Monthly Payout:

$$= \text{Admissible Payout} + \text{Dearness Relief on admissible payout}$$

$$= 10,000 + 10,000 \times 56\%$$

$$= 10,000 + 5,600$$

$$= \text{Rs. 15,600}$$

SCHEDULE VI

[See Regulation 22]

Representative Annuity Rates (RAR) for the period Jan 2014 to March 2025

$$\text{Representative Annuity Rates} = JLWR50 + \frac{(0.6-0.5)}{(1.0-0.5)} * (JLWR100 - JLWR50)$$

Where;

JLWR50 is the average annuity rate corresponding to the annuity product- Joint life with 50 percent to the spouse without return of purchase price for the said month; and

JLWR100 is the average annuity rate corresponding to the annuity product- Joint life with 100 percent to the spouse without return of purchase price for the said month

The Representative Annuity Rate computed as per the above formula for the period from January 2014 to March 2025 is as follows:

Month-Year	Representative Annuity Rate
Jan-14	8.12%
Feb-14	8.12%
Mar-14	8.12%
Apr-14	8.12%
May-14	8.12%
Jun-14	8.12%
Jul-14	8.12%
Aug-14	8.12%
Sep-14	8.12%
Oct-14	8.12%
Nov-14	8.12%
Dec-14	8.12%
Jan-15	8.12%
Feb-15	8.12%
Mar-15	8.12%
Apr-15	8.12%
May-15	8.12%
Jun-15	8.12%
Jul-15	8.12%
Aug-15	8.12%
Sep-15	8.30%
Oct-15	8.30%
Nov-15	8.30%
Dec-15	8.30%
Jan-16	8.30%
Feb-16	8.30%
Mar-16	8.30%

Month-Year	Representative Annuity Rate
Apr-16	8.30%
May-16	8.30%
Jun-16	8.30%
Jul-16	8.30%
Aug-16	8.30%
Sep-16	8.30%
Oct-16	8.25%
Nov-16	8.25%
Dec-16	8.25%
Jan-17	8.25%
Feb-17	8.23%
Mar-17	8.23%
Apr-17	8.23%
May-17	8.05%
Jun-17	8.05%
Jul-17	8.23%
Aug-17	8.23%
Sep-17	8.23%
Oct-17	8.23%
Nov-17	8.26%
Dec-17	8.26%
Jan-18	8.18%
Feb-18	8.18%
Mar-18	8.19%
Apr-18	8.19%
May-18	8.19%
Jun-18	8.22%

Month-Year	Representative Annuity Rate
Jul-18	8.22%
Aug-18	8.22%
Sep-18	7.91%
Oct-18	7.92%
Nov-18	8.03%
Dec-18	8.03%
Jan-19	7.99%
Feb-19	8.03%
Mar-19	8.03%
Apr-19	7.96%
May-19	8.02%
Jun-19	8.02%
Jul-19	8.02%
Aug-19	7.96%
Sep-19	7.67%
Oct-19	7.67%
Nov-19	7.82%
Dec-19	7.82%
Jan-20	7.73%
Feb-20	7.73%
Mar-20	7.65%
Apr-20	7.59%
May-20	7.64%
Jun-20	7.64%
Jul-20	7.63%
Aug-20	7.63%
Sep-20	7.22%
Oct-20	7.22%
Nov-20	7.21%
Dec-20	7.20%
Jan-21	7.20%
Feb-21	7.20%
Mar-21	7.20%
Apr-21	7.20%
May-21	7.20%
Jun-21	7.20%
Jul-21	7.19%
Aug-21	7.20%
Sep-21	7.20%
Oct-21	7.20%
Nov-21	7.21%
Dec-21	7.21%
Jan-22	7.21%

Month-Year	Representative Annuity Rate
Feb-22	7.31%
Mar-22	7.31%
Apr-22	7.32%
May-22	7.32%
Jun-22	7.35%
Jul-22	7.42%
Aug-22	7.43%
Sep-22	7.46%
Oct-22	7.46%
Nov-22	7.54%
Dec-22	7.57%
Jan-23	7.52%
Feb-23	7.57%
Mar-23	7.57%
Apr-23	7.52%
May-23	7.50%
Jun-23	7.42%
Jul-23	7.44%
Aug-23	7.43%
Sep-23	7.43%
Oct-23	7.43%
Nov-23	7.50%
Dec-23	7.50%
Jan-24	7.50%
Feb-24	7.43%
Mar-24	7.43%
Apr-24	7.38%
May-24	7.38%
Jun-24	7.37%
Jul-24	7.37%
Aug-24	7.30%
Sep-24	7.30%
Oct-24	7.31%
Nov-24	7.31%
Dec-24	7.31%
Jan-25	7.31%
Feb-25	7.31%
Mar-25	7.31%*

*Provisional (to be declared separately)

SCHEDULE VII

[see Regulation 22]

Illustration for Retirees on or before 31.03.2025

Scenario 1: The employee has superannuated on 31/08/2016 completing 10 years, 3 months and 12 days of service, started receiving annuity from 01/10/2016 and has opted for UPS

- (i) qualifying service as certified by HOO is 123 months;
- (ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,250;
- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,400;
- (iv) partial withdrawal of units whose value was Rs. 91,000 and those units have value of Rs. 1,03,750 on the date of superannuation based on number of units redeemed for partial withdrawal;
- (v) NPS Tier-I Corpus on the date of superannuation Rs 8,00,000 with no voluntary contribution till superannuation.
- (vi) representative annuity rate applicable on the date of superannuation (31/08/2016) is 8.30% per annum as per Table in Schedule V
- (vii) employee has withdrawn 60% lumpsum withdrawal at the time of exit from NPS
- (viii) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs. 9,03,750

Last month Basic Pay: 25,400

Dearness Allowance (@2% on 31/08/2016): Rs. 508

I. Lumpsum Payment = $(E/10) \times L$

E = last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance
 = 25,400 + 508 = Rs. 25,908

L = Qualifying months of service/ 6 = 123/6 = 20.5
 = 20 (*fractions to be ignored considering 6-months of completed service*)

Lumpsum Payment = $\left(\frac{25,908}{10}\right) \times 20 = \text{Rs. 51,816}$

II. Assured payout = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$ with the condition that if $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

= $(\frac{1}{2} \text{ of } 25,250) \times (123/300) = 5,176.25$

rounded to next higher integer Rs. 5,177

Since $(P/2) \times Q/300$ is less than 10,000, the assured payout is taken as Rs. 10,000

III. Admissible Payout = Assured Payout $\times (IC/BC) \times (1-FW\%)$

Admissible Payout = $10,000 \times \left(\frac{8,00,000}{9,03,750}\right) \times (1 - 60\%)$
 = 3,540.80

rounded to next higher integer Rs. 3,541

IV. Dearness Relief (on 01/09/2016) = Admissible Payout $\times$ DR Rate (%)

= 3,541 $\times$ 2%

= 70.82

rounded to next higher integer Rs. 71

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

- V. **Representative annuity amount = Individual Corpus (1-Lumpsum Withdrawal %) * (Representative Annuity Rate)/(12)**

$$=(8,00,000 * (1 - 0.6)) * \frac{8.3\%}{12} = 2,213.33$$

rounded to next higher integer Rs. 2,214

- VI. **Monthly top-up amount:**

$$= (\text{Admissible Payout} + \text{Dearness Relief thereon}) - \text{Representative annuity amount}$$

$$= (3,541 + 3,541 * 2\%) - 2,214$$

$$= \text{Rs. } 1,397.82$$

Figures rounded to next integer

$$= \text{Rs. } 1,398$$

In the above illustrations, there may be a scenario where, the abovementioned employee died on 15/02/2021. In such case, the employee will be eligible to get Top-up amount as per the above calculation upto 15/02/2021 and thereafter family payout would be admissible to legally wedded spouse as on the date of superannuation.

- VII. **Family Payout (to the legally wedded spouse after demise of the employee) wef 16/02/2021:**

DR rate on 16/02/2021: 17%

Family Payout to Spouse = 60% of {(Admissible Payout + Dearness Relief thereon) – Representative Annuity Amount}

$$= 60\% * \{(3,541 + 17\% \text{ of } 3541) - 2,214\}$$

$$= 1157.38$$

= rounded to next higher integer Rs. 1,158

Note: Simple Interest as per PPF rate will be payable on arrears of monthly top-up amount and lumpsum payment upto the previous month of submission of claim forms.

Scenario 2: The employee superannuated on 30/11/2024 completing 17 years, 09 months of qualifying service, started receiving annuity from 01/02/2025 and has opted for UPS

- (i) qualifying service as certified by HOO is 213 months;
- (ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 52,894;
- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 53,600;
- (iv) partial withdrawal of Rs.1,15,000 that has value of Rs.1,95,130 on the date of superannuation based on number of units redeemed for partial withdrawal;
- (v) UPS Corpus on the date of superannuation Rs.27,43,000 with no voluntary contribution till superannuation.
- (vi) The subscriber has continued in the default pattern throughout the service, all the contributions were regular and timely,
- (vii) representative annuity rate applicable on the date of superannuation (30/11/2024) is 7.31% per annum as per Table in Schedule V
- (viii) Opted for 60% lumpsum withdrawal at the time of superannuation.
- (ix) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs.29,38,130

Last month Basic Pay: 53,600

Dearness Allowance (@53% on 30/11/2024 0): Rs. 28,408

I. Lumpsum Payment = $(E/10) \times L$

E = last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance
 = 53,600 + 28,408 = Rs. 82,008

L = Qualifying months of service/ 6 = 213/6 = 35.5
 = 35 (fractions to be ignored considering 6-months of completed service)

Lumpsum Payment = $\left(\frac{82,008}{10}\right) \times 35 = \text{Rs. 2,87,028}$

II. Assured payout = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$ with the condition that if $(P/2) \times (Q/300)$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

= $(\frac{1}{2} \text{ of } 52,894) \times (213/300) = 18777.37$

rounded to next higher integer Rs. 18,778

III. Admissible Payout = Assured Payout $\times (IC/BC) \times (1-FW\%)$

Admissible Payout = $18,778 \times \left(\frac{27,43,000}{29,38,130}\right) \times (1-0.60)$

= 7,012.38

rounded to next higher integer Rs. 7,013

IV. Dearness Relief (on 01/01/2025) = Admissible Payout $\times$ DR Rate (%)

= $7,013 \times 53\%$

= 3,716.89

rounded to next higher integer Rs. 3,717

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

V. Representative annuity amount = Individual Corpus $(1-\text{Lumpsum Withdrawal } \%) \times (\text{Representative Annuity Rate})/(12 \times 100)$

= $(27,43,000 \times (1 - 0.6)) \times \frac{7.31}{12 \times 100} = 6,683.78$

rounded to next higher integer Rs. 6,684

VI. Monthly top-up amount:

= (Admissible Payout + Dearness Relief thereon – Representative annuity amount)

= $(7,013 + 7,013 \times 53\% - 6,684)$

= 4,045.89

Figures rounded to next integer

= Rs. 4,046

Note: Simple Interest as per PPF rate will be payable on arrears of monthly topup amount and lumpsum payment upto the previous month of submission of claim forms.

Scenario 3: The employee has superannuated on 31/08/2016 completing 10 years, 3 months and 12 days of service, started receiving annuity from 01/10/2016 and has opted for UPS

(i) qualifying service as certified by HOO is 123 months;

(ii) twelve-month average basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,250;

- (iii) last month basic pay prior to superannuation as certified by HOO is Rs 25,400;
- (iv) partial withdrawal of units whose value was Rs. 91,000 and those units have value of Rs. 1,03,750 on the date of superannuation based on number of units redeemed for partial withdrawal;
- (v) voluntary contribution of units whose value was Rs. 1,80,000 and those units have value of Rs. 2,00,958 on the date of superannuation based on number of units;
- (vi) NPS Tier-I Corpus on the date of superannuation Rs 10,00,000.
- (vii) representative annuity rate applicable on the date of superannuation (31/08/2016) is 8.30% per annum as per Table in Schedule V
- (viii) employee has withdrawn 60% lumpsum withdrawal at the time of exit from NPS
- (ix) Benchmark corpus of the employee on the date of superannuation is Rs. 9,02,792

Last month Basic Pay: 25,400

Dearness Allowance (@2% on 31/08/2016): Rs. 508

I. Lumpsum Payment = (E/10) x L

E = last month Basic Pay (including non-practising allowance, if applicable) + Dearness Allowance
= 25,400 + 508 = Rs. 25,908

L = Qualifying months of service/ 6 = 123/6 = 20.5
= 20 (fractions to be ignored considering 6-months of completed service)

Lumpsum Payment = $\left(\frac{25,908}{10}\right) \times 20 = \text{Rs. } 51,816$

II. Assured payout:

= $\left(\frac{1}{2} \text{ of } P\right) \times \left(\frac{Q}{300}\right)$ with the condition that if $\left(\frac{P}{2}\right) \times \frac{Q}{300}$ is less than 10,000, it will be taken as 10,000

= $\left(\frac{1}{2} \text{ of } 25,250\right) \times \left(\frac{123}{300}\right) = 5,176.25$

rounded to next higher integer Rs. 5,177

Since $\left(\frac{P}{2}\right) \times \frac{Q}{300}$ is less than 10,000, the assured payout is taken as **Rs. 10,000**

III. Admissible Payout:

Admissible Payout = Assured Payout x (IC/BC) x (1-FW%)

Admissible Payout = Assured Payout * $\left(\frac{10,00,000}{9,02,792}\right) * (1-60\%)$

Since IC > BC, excess of IC is to be ignored; IC shall be taken as equal to BC and hence (IC/BC) in this case is 1.

= 10,000 x 1 x (0.40)

= 4,000

rounded to next higher integer Rs. 4,000

IV. Dearness Relief (on 01/09/2016) = Admissible Payout x DR Rate (%)

= 4,000 * 2%

= Rs. 80

Note: The Dearness relief amount will be based the Dearness Rate (%) as notified by the Central Government from time to time.

V. Representative annuity amount = Individual Corpus (1-Lumpsum Withdrawal %) x (Representative Annuity Rate)/(12 x 100)

$$=(9,02,792 * (1 - 0.6)) * \frac{8.30}{12*100} = 2,497.72$$

rounded to next higher integer Rs. 2,498

VI. Monthly top-up amount:

$$= (Admissible Payout + Dearness Relief thereon - Representative annuity amount)$$

$$= (4,000 + 4,000 * 2\% - 2,498)$$

$$= \text{Rs. 1,582}$$

In the above illustrations, there may be a scenario where, the abovementioned employee died on 15/02/2021. In such case, the employee will be eligible to get Top-up amount as per the above calculation upto 15/02/2021 and thereafter family payout would be admissible to legally wedded spouse as on the date of superannuation.

VII. Family Payout (to the legally wedded spouse after demise of the employee) wef 16/02/2021:

DR rate on 16/02/2021: 17%

$$\text{Family Payout to Spouse} = 60\% \text{ of } \{(Admissible Payout + Dearness Relief thereon)$$

$$- Representative Annuity Amount\} = 60\% \text{ of } \{(4,000 + 17\% * 4000) - 2,498\}$$

$$= \text{Rs. 1,309}$$

Note: Simple Interest as per PPF rate will be payable on arrears of monthly top-up amount and lumpsum payment upto the previous month of submission of claim forms.

DR. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./1044/2024-25]